Page No. 1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक १०] तृतीय विधान सभा के दसवें सत्र, १९६६ का ६ वां दिवस [संख्या ४

मंगलवार, दिनांक २० सितम्बर, १९६६.

विधान सभा की बैठक म० पू० ११.०१ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[सार्वजनिक निर्माण, विद्युत, समाज कल्याण, स्वायत शासन, यातायात, वित्त, राजकीय उद्योग, सहकारी, उद्योग–विभाग]

श्री अध्यक्ष : श्री रावतराम।

कस्बा छापर से छापर रेल्वे स्टेशन तक सड़क

९१. **श्री रावतराम** (सादूलपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि कस्बा छापर, जिला चूरू, से छापर रेल्वे स्टेशन तक लगभग दो माइल जो सड़क बनी हुई है वह बिल्कुल टूट गई है ? यदि हां, तो सरकार इसकी मरम्मत कब करवायेगी ?

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भीमसिंह) : सड़क की हालत ठीक है व आवागमन योग्य है। प्रश्न नहीं उठता।

श्री रावतराम : अध्यक्ष महोदय, यह सड़क बिल्कुल टूटी हुई है और कच्ची से भी खराब है। आवागमन का कोई रास्ता नहीं है, सड़क बिल्कुल टूट गई है और नगर–पालिका की एरिया में भी नहीं है इसलिए बजट में गुंजाइश रखकर इसको पूरा करवाना चाहिए।

श्री भीमसिंह : तीन मील का टुकड़ा १९६४–६५ में ७०००) रु० खर्चे पर बनाया था और फिर भी उसकी मरम्मत के लिए लेबर गैंग लगी रहती है, समय समय पर मरम्मत होती रहती है। अगर माननीय सदस्य कहते हैं कि हालत खराब है तो इसको देख लिया जायेगा और जो कुछ बजट की गुंजाइश के अनुसार कार्यवाही हो सकेगी, वह की जायेगी।

श्री रावतराम : आप नीचे विभाग वालों से रिपोर्ट मंगवायें, वह टुकड़ा बिल्कुल खराब हालत में है। इतना खराब है कि इससे अधिक खराब कोई सड़क हो नहीं सकती।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल ।

अलवर जिले के गांवों को बिजली

६२. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) वर्ष १९६५-६६ में अलवर जिले में कौन-कौन से गांवों को बिजली दी गई है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(२) चालू वर्ष १९६६-६७ में किन किन गांवों को बिजली देने की योजना है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(३) गांवों को बिजली के लिए प्राथमिकता देने के क्या आधार हैं ?

(४) अलवर से जींदोली की लाइन को ५ वर्ष डले हुए होते हुए भी रास्ते में कस्बा डहरा, दिलानपुरा, शाहपुर, नान्दनहेडी चान्दौली आदि ग्रामों को अभी तक बिजली क्यों नहीं दी गई और मालखेड़ा सब तहसील में नई लाइन डालकर बीजवाड़ा जमालपुरा आदि गांवों को इतनी दूर होते हुए भी उन ग्रामों से प्राथमिकता क्यों दी गई ?

(५) क्या यह सही है कि विद्युत सलाहकार समिति की मीटिंग में कस्बा डहरा शाहपुर और चांदोली को १९६५-६६ में बिजली देने के लिए ग्रामों में शामिल किया गया था ? यदि हां, तो बाद में इन ग्रामों को कब और क्यों काटा गया ?

(६) क्या विजयमन्दिर से जोंदोली की धाटी तक दोनों तरफ गांवों का सर्वे करा लिया गया है जहां पर १-१ और २-२ मील के फासले पर कई गांव आबाद हैं और उनमें बिजली की खूब मांग है ? क्या इन गांवों को चालू वर्ष में बिजली दी जायेगी ?

उप मन्त्री, विद्युत (श्री घासीराम यादव) : (१) वर्ष १९६५-६६ में अलवर जिले के जिन गांवों का विद्युतीकरण किया गया, उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) वर्ष १९६६-६७ के लिए गांवों के विद्युतीकरण की योजना बन रही है ।

(३) इस विषय में अन्तिम निर्णय शीघ्र ही लिया जायगा ।

(४) अलवर से जींदोली तक ३३ के.वी. की लाइन खेंची हुई है इसलिए आसपास में पड़ने वाले गांवों को इस लाइन से बिजली नहीं दी जा सकती । सन् १९६५-६६ के कार्यक्रम में शाहपुरा दिलानपुर कस्बा डहरा शामिल किया गया है लेकिन उनका विद्युतीकरण पीछले साल नहीं हो सका । इस वर्ष कार्य में इनका विद्युतीकरण हो जायगा ।

ग्राम बीजवाड़ा व जमालपुर के विषय में निवेदन है कि अलवर मालाखेड़ा होती हुई राजगढ़ तक विद्युत संचार लाइन ३३ के. वी. की है व योजनानुसार एक ३३।११ के. वी. का सबस्टेशन मालखेड़ा में स्थापित होना था ।

क्रेश प्रोग्राम के अनुसार ११ के. वी.

Page No. 3

(श्री घासीराम यादव)

की लाइन ही खींची जाती थी इसी कारण वश जमातपुरा व जीजवाड़ा को क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत कृषि क्षमता बढ़ाने के लिए लिखा था।

(५) कस्बा डहरा व शाहपुरा को गन्रूट योजना में शामिल किया गया था और कार्य शुरू कर दिया गया है। विद्युत सलाहकार समिति की बैठक में कस्बा ठहरा, शाहपुरा के विद्युतीकरण की सिफारिश की गई थी।

(६) विजय मन्दिर से जिंदोली की घाटी तक दोनों तरफ गांवों का सर्वे जारी है। सर्वे की रिपोर्ट आने पर आगे की कार्यवाही की जायगी।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री रामानन्द अग्रवाल : गांवों में किन आधारों पर बिजली दी जायेगी, इस बारे में सरकार ने आज तक कोई निर्णय लिया ?

श्री घासीराम यादव : अभी तक यह प्रश्न विचाराधीन है लेकिन आम तौर से पोटेन्शियल्टी ज्यादा हो, लाइन के नजदीक हो, तो दी जाती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने ३३ के, वी. लाइन का बताया लेकिन क्या ट्रांसफोर्मर लगाकर उस क्षेत्र में बिजली नहीं दी जा सकती ? इसके बजाय आपने दूसरे क्षेत्र में जहां बिजली बिल्कुल नहीं थी वहां लगाई, क्या यह पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं है ? एक गांव में जिसके लिए सलाहकार समिति ने एप्रूव किया उसके बाद उसको काट दिया और दूसरी जगह जहां एप्रूवल नहीं है, वहां लाइन भी नहीं है उसमें स्पेशल लाइन डलवाते हैं, क्या यह पक्षपात नहीं है ?

श्री घासीराम यादव : सलाहकार समिति ने दो गांवों के लिए सिफारिश की थी और तीन गांवों में लगाई गई।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सलाहकार समिति ने ४ साल पहले सिफारिश की थी उसके बाद आपने काट दिया और दूसरे गांवों को मिल गई।

श्री घासीराम यादव : आपने १९६५-६६ का विद्युत सलाहकार समिति का रेफरेंस दिया है।

श्री जुझारसिंह (चेचट) : जिन गांवों को आपने बिजली दी है, रिटर्न किस तरह से नापते हैं ? गांवों को यूनिट मानते हैं ?

श्री घासीराम यादव : १६ प्रतिशत रिटर्न हम चाहते हैं।

श्री जुझारसिंह : किसी गांव में अगर बिजली गई है और सारे गांव का रिटर्न १६ प्रतिशत हो जाता है तो गांवों में जो छोटे छोटे काश्तकार बिजली मांग रहे हैं।

श्री घासीराम यादव : जहां जहां बिजली उपलब्ध होगी दे देंगे।

श्री जुझारसिंह : गांव में बिजली उपलब्ध है। पर्टीक्युलर लाइन जो जारही है लोड से १६ प्रतिशत नहीं मिलता है इसलिए उस गांव में बिजली नहीं देंगे। एक गांव में ४ लाइनें जा रही हैं और एक

Page No. 4

(श्री जुझारसिंह)

लाइन का १६ प्रतिशत रिटर्न नहीं है, दूसरी में २६ प्रतिशत हो जाता है और आप चाहते हैं गांव का टोटल रिटर्न १६ प्रतिशत तो उससे ज्यादा रिटर्न अगर आपको मिल जाता है फिर भी आप उस गांव को बिजली नहीं दे रहे हैं, इसका क्या कारण है ?

श्री घासीराम यादव : अच्छी तरह समझाइए, मैं समझा नहीं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अलवर से जहां पॉवर हाऊस है वहां से विजयमंदिर केवल ७ मील दूर है उसको बिजली न देकर, क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि बांसूर तक ३२ मील बिजली ले जाकर उससे लाभ हुआ है पॉवर हाउस को और कृषि उत्पादन को भी बजाय उसके कि उस क्षेत्र में दी जाती कस्बे डहरा में तो आपकी राय क्या है ? लाभ हुआ है या नुकसान ?

श्री घासीराम यादव : बहुत बड़ा लाभ हुआ है, कोटपुतली और दो-तीन गाँव भी उसमें शामिल कर रहे है । अलवर जिले में सभी जगह बिजली की जरूरत है ।

श्री दलपतसिंह (आबू) : काश्तकारों की बिजली की मोटरें जलने की ज्यादा शिकायतें आती हैं ।

श्री घासीराम यादव : आप नाम बताइए कहां कहां जल गई ?

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : टोंक जिले में १५० मोटरें जल गई ।

श्री दलपतसिंह : लालसोट की तरफ झालावाड़ की तरफ दो-चार काश्तकार बात कर रहे थे, आखिर इतना बड़ा विभाग है अगर एक साल में १५०) का नुकसान हो जाय तो काश्तकार दो क्रॉप में भी कवर नहीं कर सकता ।

श्री घासीराम यादव : यह तो दूसरा प्रश्न है, वैसे बिजली की शार्टेज से भी मोटरें जल जाती हैं ।

श्री दलपतसिंह : तो प्रिकाशन्स क्या लेते हैं ?

(शोरगुल)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : सब जगह मोटर जलती हैं

श्री रामनन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि आपके बिजली विभाग ने कहा था कि इतना दूर अलवर से बांसूर और रामपुर ले जाना इतना लाभदायक नहीं होगा जितना कि अलवर के नजदीक कस्बा डेरा शाहपुर को बिजली देने से फायदा हो सकता है ? क्या यह सही है कि उसके बावजूद भी केवल चुनाव के लाभ के लिए इतना दूर बिजली ले जाई गई और नजदीक के इलाके को नहीं दी गई ?

श्री घासीराम यादव : आपने जो बात कही वह बिलकुल गलत है । जो बड़े कस्बे हैं वहां बिजली देना आवश्यक है । इन्टेन्सिव एग्रीकल्चर जहां है वहां भी बिजली देना आवश्यक है । सबसे ज्यादा गांव आपकी कॉन्स्टिट्यूएन्सी में है । यह सबको ही मालूम है । हमको कोई राजनैतिक लाभ नहीं मिला

(श्री घासीराम यादव)

है। यदि राजनैतिक लाभ मिला है तो वह आपको ही मिला है और फिर भी आप शिकायत कर रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप बद्री प्रसादजी के इलेक्शन की जीत के लिए वहां पर बिजली ले गये हैं। उनको राजनैतिक लाभ देने के लिये यह आपने किया है और नजदीक के गांवों को आपने छोड़ दिया है।

श्री अध्यक्ष : आप दोनों ही ऐसी बात न लायें।

श्री लक्ष्मीचन्द।

श्री रामानन्द अग्रवाल : I will bring a motion against him if he denies it.

ग्राम इटावा के छात्रावास में तख्तों को व्यवस्था

६३. **श्री लक्ष्मीचन्द** (पीपलदा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि तहसील पीपल्दा के ग्राम इटावा के राजकीय छात्रावास में छात्रों के सोने के लिए जो तख्ते उपलब्ध थे वे टूट चुके हैं?

(२) क्या यह सही है कि इन तख्तों की मरम्मत के लिए छात्रावास के सुपरिन्टेन्डेन्ट ने समाज कल्याण विभाग कोटा से रकम की माँग की है? यदि हां तो कितनी रकम स्वीकृत की गई है, और यदि नहीं की गई तो क्यों?

समाज कल्याण मंत्री (श्री अमृतलाल यादव) (१) राजकीय छात्रावास इटावा में छात्रों के सोने के लिये जो तख्ते उपलब्ध हैं उनमें से कुछ टूट चुके थे जिनकी मरम्मत करके वापिस काम में लिया जा रहा है।

(२) उनकी मरम्मत के लिए ८३) की मांग की गई थी। ८३) की स्वीकृति उनको दी जा चुकी है।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) अध्यक्ष महोदय, बिलकुल ही आवाज नहीं आयी है इसलिए मंत्री महोदय से कहा जाय कि वे दुबारा पढ़ दें।

श्री अमृतलाल यादव : दुबारा पढ़ देता हूं।

(१) राजकीय छात्रावास इटावा में छात्रों के सोने के लिये जो तख्ते उपलब्ध हैं उनमें से कुछ टूट चुके थे जिनकी मरम्मत करके वापिस काम में लिया जा रहा है।

(२) उनकी मरम्मत के लिये ८३) की मांग की गई थी। ८३) की स्वीकृति उनको दी जा चुकी है।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

श्री लक्ष्मीचन्द : उस छात्रावास में कुल कितने तख्ते हैं?

श्री अमृतलाल यादव : कुल कितने तख्ते हैं यह मुझे नहीं मालूम है। जो टूट गये उनकी मरम्मत करदी गई है।

श्री लक्ष्मीचन्द : कितने तख्ते टूटे हुए हैं और कितने तख्ते कुल हैं ?

(विराम)

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या जितने छात्र हैं उनसे आधे तख्ते हैं ?

श्री अमृतलाल यादव : यह सही नहीं है।

श्री जयनारायण सालोदिया : आधार क्या है आपका ?

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन-सु०) : तख्ते नहीं होने से छात्रों को कठिनाइयां होती है, उनको बदल कर सुविधा दी जावेगी ?

श्री अमृतलाल यादव : विद्यार्थियों के लिए पलंग से ज्यादा सुविधा तख्तों में होती है। जहां जहां खाट है वहां तख्ते बनवा रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : आपके बालक भी तख्तों पर ही सोते हैं क्या जो सैन्ट जैवीयर में पढ़ते हैं ?

श्री अमृतलाल यादव : आपके बालक काहे पर सोते हैं ?

श्री श्रवणलाल : क्या इन तख्तों पर गद्दों की व्यवस्था की गई है ?

श्री अमृतलाल यादव : जी हां।

श्री दयाचन्द सोन (बारां-सु.) : रजाईयां नहीं हैं, गद्दे नहीं हैं, तख्ते नहीं हैं तो क्या आपके बजट में प्रावधान नहीं होता है कि आप तख्ते, गद्दे और रजाइयों की बच्चों के लिए ठीक प्रकार से व्यवस्था कर सकें ? आप काहे के लिए हैं फिर ?

श्री अमृतलाल यादव : तख्ते भी हैं और खाट भी हैं, टूटते रहते हैं। उनकी मरम्मत की जाती है। बच्चे जमीन पर नहीं पड़ें यह देखने की बात है। मरम्मत करके उनको चलाने में क्या दिक्कत की बात है ?

श्री दुर्गालाल वाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : आज बाजार में खाट आती है उसकी कीमत क्या है और तख्ते बनाये जाते हैं उसकी कीमत क्या है ? आपने इसको देख कर बनाया ? तख्ता आज के जमाने में कम से कम २०) रु० से कम नहीं बनेगा और ऑर्डिनरी खाट ८)१०) रु० में मिल सकती है। एक तरफ पैसा देने की बात आती है तो आर्थिक संकट सामने आ जाता है। महत्वपूर्ण बात यह रह जाती है कि मंत्री महोदय को यह मालूम ही नहीं है कि तख्ते कितने हैं और कितने टूटे हुए हैं और बच्चे कितने हैं और उसके बावजूद भी आप यह कहने की चेष्टा करते हैं कि मरम्मत कर दी गई है। आधार क्या है उसका स्पष्टीकरण करें।

श्री अमृतलाल यादव : वहां पहले से तख्ते मौजूद थे और खाट भी थे। तख्ते जो थे उनमें कुछ टूट-टाट गये थे तो उनकी मरम्मत करके उनको आज के जमाने में काम में लेना मुनासिब है। फैंकते भी तो उनका पैसा वसूल नहीं होता। ८३) में तख्तों की मरम्मत होकर काम में आने लायक हो गये तो क्या हर्ज की बात है।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : बिना

(श्री हरिराम चौहान)

मरम्मत के कितने दिन तक वे तख्ते पड़े रहे ? आप यह बतायेंगे ?

श्री अमृतलाल यादव : यह बताने में मैं असमर्थ हूं। तख्ते जो टूट गये थे उनकी मरम्मत करा दी गई है।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : कौन रिपोर्ट देता है आपको ? उनकी रिपोर्ट पर व्यवस्था करते हैं या सपने में आ गया तो करते हैं। आखिर क्या लिमिट है।

श्री लक्ष्मीचन्द : मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि तख्तों की मरम्मत कर दी गई है। यह जवाब बिलकुल गलत है ! पचास छात्र हैं। २५ तख्ते हैं। २५ तख्ते हैं ही नहीं। कहते हैं कि ठीक करा दिये। जो अधिकारी हैं उनसे बात की तो वे कोई जवाब ही नहीं देते। मैंने खुद ने देखा कि पचास छात्रों में २५ तख्ते हैं ही नहीं।

श्री अमृतलाल यादव : माननीय सदस्य इस बात में सहयोग दें कि जो छात्र हायर सेकन्डरी में भर्ती होना चाहें उनको वहां भर्ती करायें, बजाय इसके कि तख्तों में इन्ट्रेस्ट लें इसमें इन्ट्रेस्ट लें और भर्ती में सहयोग दें तो अच्छा है।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : आप प्रश्न को साइडट्रेक कर रहे हैं, यह उचित नहीं हैं। एडमिशन में सहयोग दें। वे लड़के वे ही हैं जो हायर सैकन्डरी में पढ़ते हैं। आपकी शक्ल को देख कर वे रो रहे हैं। ५० बच्चों के लिये तख्ते नहीं है, सोने के लिये गद्दे नहीं हैं और पट्टे नहीं हैं। आज समाज कल्याण अधिकारी हैं वे दलबन्दी के शिकार हैं। विकास अधिकारी हैं उसकी शिकायत सुपरिन्टेन्डेन्ट करता है और सुपरिन्टेन्डेन्ट की शिकायत विकास अधिकारी करता है, समाज कल्याण अधिकारी करता है। इस पर आप विचार करिये लड़के एडमिटेड हैं और पढ़ने के लिये आये हुए हैं।

श्री अमृतलाल यादव : माननीय अध्यक्ष कौन कौन किस २ तरीके से इन्ट्रेस्टेड है यह दूसरी बात है तख्तों की मरम्मत कर दी गई है। तख्ते दे दिये हैं। कोई भी लड़का ऐसा नहीं है जो नीचे सोता है।

श्री लक्ष्मीचन्द : कब मरम्मत करायी ?

श्री अमृतलाल यादव : तारीख तो मेरे पास नहीं है। मरम्मत कर दी गई है।

श्री लक्ष्मीचन्द : मैं तो अभी वहां होकर आया हूं।

श्री अमृतलाल यादव : कौनसी तारीख को देखे हैं आपने ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या तख्ते ईन्धन के रूप में जला दिये गये।

श्री अध्यक्ष : ८३) रु० की मंजूरी यहां से कब गयी ?

श्री अमृतलाल यादव : यहां से नहीं जाती है।

श्री अध्यक्ष : जहां से भी। जिस दफ्तर से भी जाने वाली हो।

Page No. 8

श्री अमृतलाल यादव : कोटा में वेलफेयर ऑफिसर है और इन्सपेक्टर रहता है। ज्यों ही उनकी मांग हुई महीने, डेढ महीने में मंजूरी दे दी गई।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य निश्चित रूप से कहते हैं कि ठीक नहीं हुआ और आप कहते हैं कि तख्ते ठीक हो गये। इसका निराकरण ऐसा भी हो सकता है कि यह पता लगाकर कि आज्ञा यहां से कब गयी। इतने दिन में ठीक हो सकते हैं या नहीं ?

श्री अमृतलाल यादव : मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको माननीय सदस्य गलत कहते हैं और यह कहते हैं कि मरम्मत नहीं हुई है और रुपया नहीं पहुँचा है तो मैं इसकी जांच करा लूंगा। तत्काल इसकी व्यवस्था कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष : यह आप पहले ही कह देते।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

जयपुर नगर में बस्तियों का निर्माण

६४. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवामहल, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन नगर आयोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

जयपुर नगर की आबादी के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने वर्तमान में कितनी बस्तियां बसाने की योजना बनाई है ? प्रत्येक योजना में कितने कितने प्लाट्स रक्खे गये हैं, और इनका क्षेत्रफल क्या होगा ?

स्वायत्त शासन व नगर आयोजन मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) :

योजनाएं नगर न्यास द्वारा ही बनाई जाती है। सरकार केवल उन की मन्जूरी देती है। वांछित सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : क्या यह बताने की मन्त्री महोदय कृपा करेंगे कि पुरानी जो बसी हुई बस्तियां हैं और उनमें जो स्लमक्रियेट हो गया है उसको भी साफ कराने की क्या सरकार की कोई योजना है ?

श्री बरकतुल्ला खां : अध्यक्ष महोदय, उसमें दो बातें हैं। एक कच्ची बस्ती और दूसरी गन्दी बस्ती।

सरकार यह कोशिश कर रही है कि कच्ची बस्तियों को भी सैटल किया जावे। अबतक १४ की स्कीमें हाथ में ली हैं और इसके साथ साथ स्लम क्लियरेन्स का जहां तक ताल्लुक है उसके लिए जब तक योजना आयोग की तरफ से अलॉटमेन्ट नहीं होता तब तक भारत सरकार पैसा अलाट नहीं करती है, तो इसलिये फिलहाल स्लम-क्लियरेन्स का काम हाथ में न लेकर कच्ची बस्तियों को ही एक तरह से नये सिरे से बसाने का काम हाथ में लिया है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि तीसरी योजना काल में स्लम क्लियरेन्स के लिए प्रावधान रखा गया था पर उसका उपयोग नहीं किया गया ?

Page No. 9

श्री बरकतुल्ला खां : नहीं। कोई रुपया अलॉट ही नहीं हुआ जहां तक मेरा खयाल है। प्लानिंग कमीशन की तरफ से कोई फाइनेन्स मंजूर नहीं हुआ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इसकी फाइनेन्स स्वीकृत हो गई थी पर स्लम को किस तरह से क्लियर किया जाय इसके पेटर्न पर डिस्प्यूट था और उसका फाइनली डिसीजन नहीं होने से वह पैसा नहीं मिल सका ?

श्री बरकतुल्ला खां : जब प्लान का कोर बना था तब स्लम का रुपया जो था वह खत्म हो गया।

श्री भैरोंसिंह : कोर के बनने के बाद भी रुपया स्लम के लिए निर्धारित किया हुआ था।

श्री बरकतुल्ला खां : जहां तक मेरा ख्याल है फाइनेन्शियल कन्डीशन को देखते हुए प्लानिंग कमीशन ने इसके लिए मंजूरी नहीं दी कि इसके लिए कोई रुपया दिया जाय।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जावे कि एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग ने फाईनेन्शियल सेंक्शन इसके लिये लेने के लिए मूव ही नहीं किया था ?

श्री बरकतुल्ला खां : फाइनेन्स विभाग ने तो सबसे बात की थी। योजना मन्त्री से भी की थी, पर जैसी मजबूरियां थीं, उनमें मैं मजबूर था। आप मान सकते हैं मैं कमजोर साबित हुआ कि रुपयों का अलॉटमेन्ट नहीं करवा सका।

श्री भैरोंसिंह : योजना मन्त्री बता सकेंगे कि इस योजना के लिये व्यवस्था की थी और कोर ऑफ दी प्लान में भी प्रोवीजन रखा था। अब योजना को क्रियान्वित नहीं किया गया इसमें वही कारण थे या और कारण थे ?

श्री अध्यक्ष : उनको नोटिस आप देना।

श्री भैरोंसिंह : उनकी सब नॉलेज में है। वे तो यों ही बता देंगे। वे तैयार भी हैं बताने को।

श्री दुर्गालाल बाददार : कच्ची बस्तियों और स्लम एरिया की एक लिस्ट तैयार करके इसके बारे में क्या सरकार ने जानकारी प्राप्त कर ली है कि इतना काम करना है ? इतने फीगर इसके हो चुके हैं, जिससे पता लग सके कि इतना कर चुके हैं और यह करना बाकी है।

श्री बरकतुल्ला खां : इसके लिये आम तौर से जानकारी प्राप्त करली है। पर जहां तक कच्ची बस्तियों का सवाल है उनमें जो लो लेवल में हैं उसकी फिलिंग की कास्ट ४) रुपया फी गज आती है। बाकी डेवलपमेन्ट चार्जेज भी करीब करीब चार रुपया फी गज आता है, तो इस तरह सारा खर्चा डेवलपमेन्ट करने और फिल-अप करने का आठ रुपया फी गज के आसपास आता है। अब जो उस एरिया में रहने वाले लोग हैं वे इतने गरीब हैं कि आठ रुपया गज की कीमत नहीं दे सकते।

इसके साथ साथ जब फ्लड आया था तो टैक्निकल लोगों की भी यह राय थी कि जब तक लो लाइंग एरिया में बस्तियां हैं

Page No. 10

(श्री बरकतुल्ला खां)

उनको बाकायदा फिलिंग करके न बसाया जावेगा तब तक खतरा बराबर बना रहेगा। इसलिये १४ बस्तियों की स्कीम बनाकर काम हाथ में लिया है और उम्मीद करता हूं कि कम से कम १४ सौ परिवार दो साल के अन्दर २ वहां ठीक तरह से बस जावेंगे। बाकी के लिए भी सिलसिला जारी है। स्क्रूटिनी करके किस किसको किस तरह से बसाया जावे इसके प्रयत्न जारी हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अगर इनमें सुधार करके उनको बसाने की सरकार की वाकइ में भावना है तो क्या कारण है कि जमीनों को बेचने के अधिकार नगरपालिका को नहीं दिये गये, मसलन जयपुर नगरपालिका को इसका क्या कारण हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल सेन्टर !

श्री भैरोंसिंह : एक जानकारी और। स्लम क्लियरेन्स के लिए थोड़ा बता दें उदयपुर में मकान बने हैं और वहां उन्होंने खर्चा किया है।

श्री बरकतुल्ला खां : यह तो आप उसके लिए कह रहे हैं जो हो चुका है। यह तो मैं मानता हूं कि उदयपुर में हुआ। इससे पहले अलवर में भी हुआ है। पर बाकी कोर ऑफ दी प्लान में रुपया बचा था उसको लेना चाहते थे उनमें जहां तक मुझे ख्याल पड़ता है एक लाख रुपये का प्रोविजन था टोकन तरीके से, सब्जेक्ट टू दी करेक्शन, इससे दूसरी स्कीमें ले सकते थे। यह स्कीम तो ऑलरेडी कम्प्लीट हो चुकी थी। तो टोकन प्रोविजन जो करीब लाख रुपये का था वह रुपया नहीं मिला।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि अजमेर में स्लम क्लियरेन्स के लिए विभाग ने कागज मूव किये थे पर फाईनेन्स की सेंक्शन नहीं होने से इम्प्लीमेन्ट नहीं किया जा सका ?

श्री बरकतुल्ला खां : मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : क्या सरकार कम से कम इस बारे में इतना आश्वासन देने को तैयार है या नहीं कि वह इन स्लम्स को कब तक मिटा सकेगी। कम से कम टाइम लिमिट एक साल, दो साल, चार साल कर दें ?

श्री बरकतुल्ला खां : मैंने ट्रस्ट के लोगों से बात की। उसके आधार पर यह कह सकता हूँ कि ट्रस्ट की जो स्कीमें हैं वे नो लॉस नो प्रॉफिट के बेसिस पर बनती हैं इसलिए कोशिश यह कर रहे हैं कि जिस स्कीम में थोड़ा प्रॉफिट हो सकता हो उसको पहले हाथ में लें और जिसमें हमें नुकसान होता हो उसे स्लम क्लीयरेन्स की स्कीम के साथ उसको मिला कर दोनों को इक्वेट कर दें तो इस तरह से डेवलपमेंट भी होता रहेगा और स्लम्स भी कम होते जायेंगे तो जैसा अर्ज किया इस समय १४ ऐसी स्कीमें हाथ में ले रखी हैं और जैसी भी कोशिश होगी, दो तीन सालों में उनको रेग्युलेराइज कर देंगे एक तरह से।

इनमें एक कठिनाई यह भी हमारे सामने आती है कि जो छोटे-छोटे एरिया में रहते हैं वे सभी उसी जगह रहना चाहते हैं,

(श्री बरकतुल्ला खां)
बाहर जाना नहीं चाहते। अब जो प्लान के अनुसार उनके प्लाट बनाते हैं तो मिनिमम से भी कम, छोटे प्लाट बनते हैं जिनमें वे सभी आ नहीं सकते। अब अगर किसी को हटाना पड़ता है तो आपस में झगड़ा करते हैं। यह प्रॉब्लम भी हमारे सामने है। इसको भी टैक्टफुल्ली हैंडल करके कुछ को वहां से थोड़ी दूर कच्ची बस्तियों में ले जाने की कोशिश करेंगे और इस तरह से इस समस्या का समाधान कर सकेंगे।

श्री भैरोंसिंह : कच्ची बस्तियों के लिए जमीन की क्या रेटें तय की हैं लोगों को प्लाट देने के लिए और क्या अन्तिम रूप से ऐसी कोई रेट तय कर दी है ?

श्री बरकतुल्ला खां : कच्ची बस्तियों में जो वहां के रहने वाले हैं और जो ५१ से वहां रह रहे हैं उनको उस जगह पर सिर्फ मामूली डेवलपमेंट चार्जेज लेकर बसा देंगे। जो बाहर ५७ से पहले के रह रहे हैं उनके लिये भी यह तय किया है कि उनसे डेवलपमेंट चार्जेज और थोड़ा नज़राना लेकर दे दी जावे वहीं पर।

श्री भैरवलाल "कालाबादल" (अकलेरा-मु०) : एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : जयपुर शहर का है इसमें तो।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : कच्ची और गन्दी बस्तियां झालावाड़ में भी हैं।

श्री झुझारसिंह (चेचट) : एम० ए० एल० क्वार्टर्स के पीछे कच्ची बस्तियों में लोग हैं। जहां इन्तजाम नहीं होता। रात दिन वहां चोरियां होती रहती हैं। उनको भी हटा कर इन्तजाम किया जाना चाहिये।

श्री बरकतुल्ला खां: जब तक आॅल्टरनेटिव प्लॉट्स नहीं दिये जायें उन गरीबों को तब तक कठिनाई है।

श्री झुझारसिंह : वहां कच्ची बस्तियों में एम० एल० ए० को बसाने के लिए ३२ प्लाट पड़े हुए हैं। आज वहां वे नहीं बन रहे हैं। फिर रात-दिन चोरियां भी होती रहती हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एम० एल० ए० लोगों की बस्ती के सामने गरीबों की कच्ची झोंपड़ियां रहेंगी तो वे उनको याद आते रहेंगे।

श्री झुझारसिंह : इसके कारण चोरियां होती हैं वहां।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह तो पुलिस की कमजोरी के कारण होती हैं।

श्री बरकतुल्ला खां : वे गरीब हो सकते हैं, पर चोर और बेईमान नहीं हो सकते कच्ची बस्तियों वाले।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : अध्यक्ष महोदय, आज्ञा हो, तो एक बात मैं भी निवेदन करना चाहता हूँ कि मैंने पांच छः वर्षों तक देखा है कि कच्ची बस्तियां और गन्दगी बढ़ ही रही है, घट नहीं रही है।

मेरे ख्याल में राजस्थान में जयपुर एक प्रमुख नगर है, यह राजधानी भी है। आप को इसके लिए कोई न कोई योजनाबद्ध

Page No. 12

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

तरीका काम में लेना चाहिये कि यहां कच्ची बस्तियां और गन्दगी जो बढ़ रही है उस पर काबू पाकर आप कम नहीं कर सकें तो कम से कम जो स्थिति है, उससे तो बदतर नहीं होने दें, उस पर काबू पावें।

यहां बिलकुल हौच-पौच तरीके से चारों तरफ लोग बस जाते हैं, गन्दगी होती है ? मुझे मतलब नहीं एम० एल० ए० क्वार्टर के पीछे क्या है क्या नहीं है, पर सिद्धान्त की बात यह है कि शहर की सफाई होनी जरूरी है, जयपुर की सफाई होनी जरूरी है, बहुत जरूरी है। यहां बहुत से यात्री लोग आते हैं, विदेशी लोग भी आते हैं, राजधानी भी है। जयपुर की जो स्थिति है वैसी भारत में और दूसरे देशों में इतनी गन्दगी तो बहुत कम जगह होगी।

श्री बरकतुल्ला खां : जहां तक गन्दगी का ताल्लुक है जैसे जैसे अरबन एरिया डेवलप होते जाते हैं उसी तरह से रूरल एरिया के लोग अर्बन एरिया के पास आ रहे हैं और अर्बन एरिया में आते हैं तो नेचुरली जो इम्पेक्ट हो रहा है लोगों का इसे हल करने के लिए सारी योजनाएं बनाई जाती हैं। जयपुर में ५१ से इम्प्रूवमेंट बोर्ड है उसने ५१ से ६४ तक डेढ करोड़ इस पर खर्च किया है। इसके फाइनेन्शियल इम्पली-केशन्स भी आये हैं। मिडिल इन्कम ग्रुप, लो इन्कम ग्रुप और कमर्शियल इन्कम ग्रुप के प्लाट भी दिये गये हैं। अब जहां तक स्लम का ताल्लुक है वह वाकाई है। पर मैं बड़ी नम्रता के साथ अर्ज करूंगा कि बम्बई, कानपुर, कलकत्ता के स्लम्स देखने के बाद, सही है कि हमारे स्लम्स बुरे हैं, अच्छी चीज नहीं है, पर फिर भी इतने बुरे नहीं हैं जितने इन जगहों के हैं, बम्बई के एयर पोर्ट पर पहुँचते हैं तो हम देखते हैं कि वहां आसपास के लोग किन हालतों में रह रहे हैं। यहां के स्लम्स को दूर करने के लिये सरकार कोशिश कर रही है, और भी करेगी। हमें इसका पूरा पूरा ख्याल है कि किस तरह से यह स्लम्स का प्रोब्लम हल हो।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह तो सही है लेकिन मैं एक मिनट के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि अगर नगर के विस्तार के संबंध में आपके पास कोई योजना है तो दृढतापूर्वक उस योजना को कार्यान्वित करें और नगर के अन्दर गन्दगी को नहीं बढने दें। मेरा तात्पर्य इतना ही है।

प्रश्न संख्या ६५

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल सेन्टर।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री भैरवलाल 'कालाबादल'

कोटा डिपो से चलने वाली बसें

६६. **श्री भैरवलाल 'कालाबादल'** (अकलेरा-सु०) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) १ जनवरी, १९६६ से ३१ अगस्त, १९६६ तक स्टेट रोडवेज के कोटा डिपो द्वारा किस किस रूट की कितनी कितनी गाड़ियां किस किस तारीख को कट

(श्री भैरवलाल "कालाबादल")

कर दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(२) कोटा डिपो द्वारा १ जुलाई, १९६६ से ३१ अगस्त, ६६ तक किस किस रूट पर किस किस बस को निश्चित समय पर रवाना नहीं किया गया ? देरी से भेजने के क्या कारण थे ?

(३) क्या यह सही है कि कोटा डिपो के रूटों पर स्टेट रोडवेज़ के अलावा प्राइवेट बसें भी चलती हैं ? यदि हां, तो कहां से कहां तक ?

उप-मन्त्री,यातायात, (श्री भीमसिंह) : (१) कोटा डिपो द्वारा १ जनवरी, १९६६ से ३१ अगस्त, १९६६ तक विभिन्न मार्ग पर चलने वाली गाड़ियों को जिन जिन तारीखों में कट किया गया, उनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(२) १ जुलाई, १९६६ से ३१ अगस्त, १९६६ तक विभिन्न मार्गों की जिन गाड़ियों को देरी से रवाना किया गया, उनकी सूची सदन की पटल पर रख दी गई है। गाड़ियों के देरी से भेजने का एक मात्र कारण गाड़ियों का अभाव होना व बहुतायत का खराब हालत में होना है।

(३) कोटा डिपो के राष्ट्रीयकृत मार्गों पर जो प्राइवेट गाड़ियां चलती हैं वे निम्न प्रकार है:—

१. कोटा—बकानी (कोटा—इकलेरा मार्ग)

२. बारां-दरा—रामगंज मण्डी

३. कोटा—सामोद (दरा तक)

४. रामगंजमण्डी—झालावाड़—सरडा

५. भवानीमण्डी—इकलेरा—मनोहर थाना

६. चेचट—सोचत—विरावा

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भैरवलाल "कालाबादल" : क्या यातायात कानून के तहत आपके निगम को भी परमिट्स मिलते हैं या नहीं ?

श्री भीमसिंह : परमिट्स मिलते हैं।

श्री भैरवलाल "कालाबादल" : तो क्या कानून की शर्तों में यह नहीं है कि अगर गाड़ियां कट की जायें या देरी से चलाई जायें तो इनका चालान किया जाये ?

श्री भीमसिंह : ऐसा है कि कोई गाड़ियां फेल हो जाती हैं, कोई बरसात के कारण फेल हो जाती हैं या रास्ते में ही ब्रेकडाउन हो जाता है। तो यह इस किस्म की चीजें हैं कि जो सभी किस्मों की गाड़ियों में होती है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : क्या यह सही है कि कोटा डिपो की अधिकतर गाड़ियां खराब होने के कारण वहां के यात्रियों को ८-८ घण्टों तक बस स्टेन्ड पर बैठे रहना पड़ता है और गवर्नमेंट को इसकी शिकायतें वहां के विधायकों और जनता द्वारा दी गई हैं ?

श्री भीमसिंह : यह जानकारी अवश्य है कि गाड़ियां खराब होती रहती हैं लेकिन मैजोरिटी ऑफ दी व्हीकल्स खराब नहीं

Page No. 14

(श्री भीमसिंह)

होती हैं और उनको सुधारने का प्रयास किया गया है और गाड़ियां भेजी गई हैं और पहले से हालत में सुधार है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : कोटा डिपो में कितनी गाड़ियां हैं और कितनी खराब पड़ी है इससे ही मालूम पड़ जायगा।

श्री भीमसिंह : मैंने यह सूचना सदन की मेज पर रखी है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : अध्यक्ष महोदय, यह लिस्ट जिस प्रकार की है और इसमें जो जानकारी दी गई है वह हाउस की बहस के लिए हो जाये तो बहुत सुन्दर रहेगा। आप जुलाई का महीना ले लें इसमें कर्टेल किया है। कोटा-इकलेरा रूट पर ३५ गाड़ियों में से ३० को महीने भर में कर्टेल किया। इस तरह से आप ६ महीने का रेकॉर्ड देख लें और मैं बताना चाहता हूँ कि यह रेकार्ड भी गलत दिया है विधान सभा के लिए मेरे पास एक अलग से असली लिस्ट है जिसको देखा जाये तो मालूम पड़ेगा कि दोनों में फर्क है, क्योंकि मैं वहां ही बैठा रहता हूँ। मैंने दो साल तक यही काम किया है। १९६ बसें कर्टेल हुई जुलाई में रूट पर नहीं गयीं, जिनमें ३५ बसें इस कोटा-इकलेरा लाइन पर नहीं लगाई गयीं। अगर प्राईवेट वालों की नहीं जाती तो आप चालान कर देते हैं। निगम से यह कानून अवहेलना हुई है और वह भी उस कानून की जो कि यातयात की सुविधा के लिए विधान सभा के माननीय सदस्यों ने पास किया तो यह अपमान विधान सभा का हुआ है कोई कालाबादल का नहीं हुआ है। कानून का पालन नहीं हुआ और कानून का पालन नहीं कराया गया आपके निगम में भी। तो मैं समझता हूं कि दोनों को जेल की सींखचों में दे देना चाहिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : मिनिस्टर समेत जेल के सींखचों में।

यातायात मंत्री (श्री चन्दनमल वैद : माननीय सदस्य समेत।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं तो जाता आता रहता हूं।

श्री भैरवलाल "कालाबादल" : १० गाड़ियां चेचट नहीं गयी। २३ उस महीने में लाईन में नहीं लगी। १७, १२, ३६ और ५३ एक नहीं गयीं। यह एक महीने का रेकार्ड है। तो प्राईवेट वालों की देखी जाये कि उन्होंने कितनी चलाई। यह निगम की गाड़ियां कट करके प्राईवेट ओनर्स की चलाते हैं। मुझे अभी यह लिस्ट मिली है और इसलिए पूरी तरह देख भी नहीं पाया हूं केवल जुलाई का रिकार्ड देखा है। माननीम मंत्री महोदय ने इसका आश्वासन भी कई बार दिलाया है लेकिन फिर भी यह आश्वासनों के बाद हुआ है। दो महीने पूरे होने तक मैं चुप हूं मैंने पहले भी कहा कि गाड़ियां देरी से चलती हैं या समय से पहले चल देती हैं और इसके लिए माननीय मंत्री महोदय ने कहा था इसका सख्ती से पालन किया जायेगा। मैंने कहा था कि यदि इस तरह से करते हैं तो इनका चालान कर दो। इन्होंने कहा था कि

(श्री भैरवलाल "कालाबादल")

मुझ पर भरोसा नहीं है क्या मैं खुद सजा दूंगा आप बता दें कि किस किस को सजा दी गयी । हां, आपने कन्डक्टर्स और ड्राईवर्स को जरूर मारा है । मैंने कहा था कि बड़े बड़ों को सजा मिलनी चाहिए लेकिन आपने सजा दी छोटों को । बीमारी तो ऊपर से चल रही है । इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जनता के हित का सवाल है । इससे सरकार की आमदनी का भी नुकसान होता है और आपने सवारियों पर भी टैक्स बढ़ा दिया फिर भी यह गाड़ियों की हालत ठीक नहीं है । ठीक है शायद मुझे तो आगे नहीं आना पड़ेगा लेकिन इस भ्रष्टाचार को तो आपको मिटाना चाहिए बदनामी हमारे ऊपर आती है ।

श्री अध्यक्ष : अब आप जवाब सुन लीजिए थोड़ा ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : लिस्ट बहुत लम्बी है । इसलिए मैं कहता हूं कि हाउस पुनः विचार करे और कभी भी विचार करें । यह कानून की अवहेलना दो विभागों ने की है–ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटी और रोडवेज....

श्री रामकिशन (वैर) : यह दर्द इतना बड़ा है कि इसका कोई जवाब ही नहीं है ।

श्री भीमसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कई बातें एक साथ कह दीं फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि उनकी सारी बातों को कवर कर सकूं । जो शिड्यूल्ड ट्रिप्स थीं वह १८९१ थीं उसमें से १७२ ट्रिप कैंसिल हुई है और यह परसन्टेज जाकर १०–१५ परसेन्ट पड़ता है । जिनके ऊपर प्राइवेट गाड़ियां ऑपरेट करती हैं उनको फायदा पहुंचे इस गरज से यह कट हुआ है, जहां तक यह कहा है माननीय सदस्य ने तो मैं कहूंगा कि प्राइवेट ऑपरेटर्स जो ऑपरेट करते हैं उसमें ८६ ट्रिप्स कैंसिल हुई हैं तो यह ५० परसेन्ट से भी कम है । अगर मेलाफाइड इन्टेन्शन होती तो सारी की सारी प्राइवेट ऑपरेटर्स के यहां होती। फिर ब्रेकडाउन की आप चर्चा करते हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि कोटा ऐसा इलाका है कि जहां बरसात के अन्दर ज्यादा नाले वगैरह टूट जाते हैं–इस कारण भी सर्विस बन्द हुई है । साथ ही साथ यह भी तथ्य है कि यह गाड़ियां १ लाख मील से ज्यादा चल चुकी हैं । और बीच में एमर्जेन्सी आने के कारण जो गाड़ियों के रिप्लेसमेंट आने थे, वह नहीं मिल सके और हम पुरानी गाड़ियों को रिप्लेस नहीं कर पाये हैं । अब यह जो एमर्जेन्सी खत्म हुई और हालात कुछ सुधरे हैं तो नई गाड़ियां वहां पर भेजी हैं और भी भेजेंगे । उसके बावजूद भी माननीय सदस्य कहते हैं तो आपकी जो भी व्यवस्था है यदि आपका सहयोग प्राप्त होगा तो उनके लिए प्रयत्न किया जायेगा और जितना भी कर सकूंगा उसमें कसर नहीं रखूंगा और इस काम में हमारी और आपकी दोनों की कोशिशों से अवश्य सुधार होगा ।

श्री भंवरलाल "कालाबादल" : सहयोग की बात यह है कि अभी इन्होंने लीपापोती सब कर दी उस पर, यानी उनको ऐसा बरी कर दिया कि बरसात के कारण गाड़ियां लेट गई और बरसात के कारण गाड़ियां कट हुई हैं । यह बातें कह कर सारी बात पर पानी

(श्री भैरवलाल कालाबादल)

फेर दिया, इस सदन को। फिर कहते हैं कि सहयोग करो। मैं आपसे कहता हूं कि कोटा उज्जैन जाने वाली गाड़ी पांच बजे की जगह छः बजे गई तो क्या यह बरसात के कारण लेट गई। एक गाड़ी को कोटा से भोपाल जाना था जो साढे सात बजे गई एक तारीख को और कोटा इकलेहरा ७ बजे जाती है वह ८ बज कर २० मिनट पर गई। यह कोई बरसात के कारण लेट गई हैं क्या? सही बात यह है कि आपके ड्राईवर और आपके कण्डक्टर टाईम पर नहीं आते हैं। वर्कशाप से कभी गाड़ियां टाईम पर निकलती नहीं हैं, आपके फोरमेन नहीं आते हैं और इसलिए गाड़ियां सम्भलाई नहीं जाती हैं। हालत तो यह है आपकी। इसको तो कोई देखता नहीं है। इस साल तो बरसात भी हुई ही नहीं है। मेरे पास तारीखवार सूचना है कि कब कब गाड़ियां लेट गई हैं....

श्री अध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है....

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में....

(दोनों साथ साथ बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष : यह कोटा का प्रश्न है।

श्री गोविन्दसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसी सदन में मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था और यह कहा था कि हमने हर बस के लिए अलग अलग ड्राईवर मुकर्रर कर दिए हैं। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या आपने यह व्यवस्था कर दी है कि अमुक बस पर अमुक ड्राइवर चलेगा, इसका आप जवाब दे दें।

श्री भोमसिंह : यह तो पूछा नहीं था इसलिए इतनी विस्तृत सूचना तो डिटेल में मैं अभी निवेदन नहीं कर सकता कि हर एक बस के लिए अलग अलग ड्राइवर की व्यवस्था कर दी है या नहीं।

(व्यवधान)

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक प्रश्न यह है कि क्या आपके निगम ने यह व्यवस्था कर रखी है कि जिस डिपो से जिस गाड़ी का चलना होता है, किसी जगह पर वह अगर ब्रेकडाउन हो जाएगी तो उसकी रोस्पोन्डिग दूसरी सर्विस भी ब्रेकडाउन हो जाएगी और दूसरे डिपो वाले अपनी गाड़ी चलाने के लिए नहीं देंगे। जैसे कोटा-जयपुर के बीच में गाड़ी जयपुर डिपो से जानी चाहिये और वह गाड़ी ब्रेकडाउन हो जाती है तो वापिस कोटा डिपो से जो बस चलनी चाहिए वह भी नहीं चलती है और कोटा से जो रिटर्न जर्नी होनी चाहिए वह भी ब्रेकडाउन के कारण नहीं होती है, क्या इस तरह की व्यवस्था की हुई है या नहीं?

श्री भोमसिंह : गाड़ियों के जो रूट हैं उन पर अगर डाउन गाड़ी, जो जाने वाली है, वह अगर नहीं जायेगी तो उधर से जो अप गाडी, आने वाली है वह भी नहीं आ सकेगी। लेकिन हर एक डिपो पर यह व्यवस्था है कि ज्योंहि गाड़ी के ब्रेक डाउन की सूचना

(श्री भीमसिंह)

मिलते ही फौरन जाकर वहां के पैसेंजर्स को लिफ्ट करें, गाड़ी को मेंटेन करें और रिपेयर करें और गाड़ी को मूव करावें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : व्यवस्था यह है कि स्पेयर गाड़ी होते हुए भी ब्रेकडाउन होने पर अपनी गाड़ी लगाते नहीं हैं। अगर जयपुर से जो जयपुर डिपो की गाड़ी जाती है और वह ब्रेक डाउन हो जाती है तो जो कोटा डिपो में स्पेयर गाड़ी होगी तो भी रिटर्न जर्नी नहीं होगी। जब तक इधर से गाड़ी नहीं जायेगी तब तक उधर से गाड़ी नहीं आएगी, यह व्यवस्था है और इसकी वजह से ब्रेक डाउन ज्यादा होने लाजमी हो जाते हैं। यह तथ्य है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय,....

(व्यवधान)

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : प्रश्न सं० ६७।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, एक आध सवाल इस बारे में और पूछ लेने दें।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न पूछा जा चुका है।

(श्री अमृतलाल यादव, समाज कल्याण मंत्री उत्तर पढ़ने लगे)

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : इसके लिए तो कमेटी नियुक्त करना चाहिए। उनके डिपोज में कई हजार का सामान हो गया, पुराने पार्ट्स रिप्लेस हो गए और आप बात करते हैं.... ...

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इस पर आधा घण्टे की बहस हो जानी चाहिए जिससे सब माननीय सदस्य अपने विचार रख सकें।

श्री अध्यक्ष : इस पर विचार किया जाएगा।

नगरपालिका क्षेत्र निवाई में अनुदान

६७. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

नगरपालिका क्षेत्र निवाई में समाज कल्याण विभाग द्वारा किस किस कार्य के लिए कितना अनुदान गत दो वर्षों में दिया गया है ? यदि कोई अनुदान नहीं दिया गया है तो किन किन कारणों से ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री अमृतलाल यादव) : नगरपालिका क्षेत्र निवाई में व्हील बैरोज खरीदने के लिए वर्ष १९६३-६४ में नगरपालिका निवाई को ३००) रु० अनुदान दिया गया था। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में अब तक कोई अनुदान नहीं दिया गया है। इस क्षेत्र से अनुदान के लिए और कोई मांग नहीं की गई, इसलिए अनुदान नहीं दिया गया।

श्री जयनारायण सालोदिया : मेरा पूछना यह था कि आप किस किस प्रकार का अनुदान देते हैं ?

श्री अमृतलाल यादव : हाउसिंग की मांग करते हैं तो वह भी देते हैं । जिस तरह की मांग करते हैं और जितनी मांग करते हैं उतना देते हैं ।

श्री जयनारायण सालोदिया : आपने तीन सौ रुपये १९६३-६४ के बताए हैं लेकिन मैंने तो दो साल के लिए पूछा था ।

श्री अमृतलाल यादव : ६३-६४ में ही दिया है उसके बाद दिया ही नहीं होगा ।

श्री जयनारायण सालोदिया : आपने सारी लाइफ में ही ३००) रुपये दिए हैं। सारी निवाई म्यूनिसिपैलिटी की लाइफ में और समाज कल्याण विभाग की लाइफ में कुल तीन सौ रुपये दिए गए हैं ।

श्री अध्यक्ष : श्री जोधसिंह !

मावली जंक्शन से मावली-नाथद्वारा सड़क

६८. **श्री जोधसिंह चौहान** (गिरवा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सही है कि मावली जंक्शन से मावली-नाथद्वारा सड़क को मिलाने वाली सड़क अब तक कच्ची है जिससे वर्षाकाल में मोटरों आदि के आवागमन में कठिनाई रहती है ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त कच्ची सड़क पर रेल्वे क्रोसिंग की समस्या भी है और मावली एक जंक्शन होने के कारण रेल्वे क्रोसिंग का फाटक काफी अर्से तक बन्द रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार कोई पुल आदि बना कर तथा सड़क को पक्की बना कर इस समस्या का समाधान करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, यातायात (श्री भीमसिंह) :

(१) जी हां ।

(२) जी हां, सड़क का कार्य अर्थाभाव के कारण नहीं हो सका है तथा पुल बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्री जोधसिंह चौहान : कब से नहीं हो सका है ? कब से, कितने साल हो गए हैं जब से कि इस प्रकार की समस्या मौजूद है ?

(विराम)

कितने साल हो गए हैं जब से कि यह समस्या मौजूद है और सरकार अभी तक इस बारे में कुछ नहीं कर सकी है ?

श्री भीमसिंह : समस्या तो जब से रेल्वे लाइन बनी है और वहां पर आवागमन चालू हुआ है, तभी से है ।

श्री जोधसिंह चौहान : कितने साल हो गए हैं ?

(विराम)

इसको बीस-पच्चीस साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक इस पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया । मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि नाथद्वारा से मावली जाने में प्लेटफार्म साउथ में पड़ता है और उधर रेल्वे क्रोसिंग में भी आने की इजाजत नहीं है, वहां पर टिकिट खरीद कर आने की सुविधा भी नहीं है । मैं सरकार से

(श्री जोधसिंह चौहान)

निवेदन करूंगा कि यह छोटा सा यार्ड है, रेल्वे का यार्ड, इसमें रेल्वे डिपो भी है। अगर यहां पर पुलिया वन जाय तो आने-जाने की सुविधा हो सकती है। लेकिन आज बीस साल हो गए इस समस्या को, लेकिन अभी तक भी सरकार ने इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की है।

श्री अध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल !

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): इसमें बहुत बड़े खर्चे का भी सवाल नहीं है। सरकार को कुछ न कुछ इस सम्बन्ध में करना चाहिए। वहाँ पर लोगों को आने-जाने में बड़ी दिक्कत होती है और बड़ी असंतोषजनक व्यवस्था है, सरकार को इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए।

श्री जोधसिंह चौहान : क्या राज्य सरकार आश्वासन देगी कि पांच महीने, छ: महीने या साल भर में यह सड़क बना दी जाएगी ?

श्री भीमसिंह : अध्यक्ष महोदय, १७ मार्च, १९६६ को जनरल मैनेजर के चेम्बर में मीटिंग हुई थी जिसमें डिविजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट और हमारे पी० डब्ल्यू० डी० के ऑफिसर भी मौजूद थे। उस बैठक में रेल्वे और पी० डब्ल्यू० डी० के बीच में यह निर्णय हुआ था कि रेल्वे उस हिस्से को मेंटेन करेगी और दोनों तरफ के जो सड़क के टुकड़े हैं उनको भी दुरुस्त करा देगी। यह अभी मार्च के अन्दर ही तय हुआ है और हम आशा करते हैं कि जल्दी ही यह तकलीफ दूर हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल !

सीकर ठिकाने के कर्मचारियों को पेंशन

९९. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) भूतपूर्व सीकर ठिकाने के कितने कर्मचारियों को पेंशन नियमों के अन्तर्गत राज्य सरकार पेंशन दे रही है ?

(२) वर्तमान बजट में घोषणा के उपरान्त भी क्या उनमें से ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें अभी तक ३०) रु० से कम पेंशन ही मिल रही है ?

वित्त मंत्री (श्री बालकृष्ण कौल) : (१) राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत पेंशन नियम सीकर ठिकाने के उन कर्मचारियों को लागू होते हैं जिनको राज्य सरकार की सेवा में ठिकाने के खालसा किये जाने पर लिये गये हैं। ऐसे कर्मचारियों को जो ठिकाने पर पेंशन पा रहे हैं और राज्य सरकार से अब पेंशन पा रहे हैं ? उनको जागीर नियम लागू होते हैं। यह सूचना देना अभी सम्भव नहीं है कि सीकर ठिकाने के कितने भूतपूर्व कर्मचारी राजस्थान सेवा नियमों में पेंशन पाते हैं और कितने जागीर पेंशन नियमों के तहत पेंशन पाते हैं।

(२) रिटायर्ड कर्मचारियों को ३०)रु० माहवार कम से कम पेंशन दिए जाने की घोषणा जो राज्य सरकार द्वारा की गई थी उसके सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा दिनांक १५-४-६५ को आज्ञा प्रसारित की जा चुकी है। उपरोक्त आज्ञा जागीर पेंशनरों (जिनमें सीकर ठिकाने के पेंशनर भी सम्मिलित हैं) को लागू नहीं होती है

(श्री बालकृष्ण कौल)

जैसा कि राज्य सरकार के आदेश सं० एफ १ (१२) एफ डी, एक्सपेंडीचर । रूल्स, ६४ दिनांक २९-७-६५ से स्पष्ट है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि ठिकाना खालसा होने के बाद ठिकाने के सारे असेट्स और लायबिलिटी को सरकार ने लिया है ?

श्री बालकृष्ण कौल : मुझे यह खबर नहीं है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह ठीक है कि खालसा होने के बाद जो सर्वेंट्स सरकार के पास गवर्नमेंट सर्वेन्ट बने उनको पेंशन सरकार के नियमों के अनुसार दी गई है ?

श्री बाल कृष्ण कौल : यह ठीक है कि जो सरकारी नौकरी में आए और उसके बाद पेंशन मिली वह नियमों के आधार पर मिली ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : Under pension rules ?

श्री बालकृष्ण कौल : जी हां, Under pension rules.

श्री कृष्णकुमार गोयल : फिर क्या कारण है कि अण्डर पेंशन रूल्स पेंशन मिलने पर भी उनको ३०) रुपये की मिनिमम पेंशन नहीं मिलती ?

श्री बालकृष्ण कौल : आपने शायद मेरे जवाब को समझा नहीं । वही लोग जो खालसा होने के वक्त सरकारी नौकरी में आए और फिर रिटायर हुए उनको सरकारी नियमों के आधार पर पेंशन दी जा रही है लेकिन जो पहले से पेंशनयाफ्ता हैं उन्हें जागीरी एक्ट के हिसाब से जो पेंशन बनती है वही पेंशन दी जाती है जो ठिकाने के वक्त दी जाती थी ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आपकी सूचना के लिए मैं निवेदन करता हूं कि वहां पर यह हो रहा है कि जो खालसा होने के पहले रिटायर हो गए और उनकी पेंशन हो गई उनको तो आप अभी तीस रुपये और दे रहे हैं और दुर्भाग्य की बात है कि खालसा होने के बाद, आपकी सर्विस के अन्दर आने के बाद वह लोग रिटायर हुए, गवर्नमेंट ने जिनको रिटायर किया उनको आप पेंशन नहीं दे रहे हैं जो राजस्थान के नियमों के अनुसार देना चाहिए। आपने जैसा कहा था कि खालसा होने से पहले जिनकी पेंशन हो गई उनको यह पेंशन नहीं मिलती लेकिन स्थिति बिल्कुल रिवर्स है । जो खालसा होने से पहले रिटायर हुए उन्हें तो आप पेंशन दे रहे हैं और जो आपकी सर्विसेज में आने के बाद रिटायर हुए हैं और आपने जिनको रिटायर किया है उनको आप पेंशन नहीं दे रहे हैं ।

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमान्, यह प्रश्न जो आपने उठाया है वह बड़ा अहम है और माननीय सदस्य यह बताने में मेरी सहायता करेंगे कि कौन से ऐसे केसेज़ हैं । यह बड़ी गम्भीर चीज है । उनको नहीं मिलना चाहिए जो कि पहले रिटायर हुए हैं । उनको जागीर एक्ट के हिसाब से पेन्शन मिलनी चाहिए, और जो खालसा होने के बाद गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हुए हैं उनको सरकारी नियमों के आधार पर पेन्शन मिलनी चाहिए। अगर इसमें कहीं पर गलती है तो बताया जाय ।मैं इसको एक्जामिन करूंगा ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आज वह आश्वासन दे रहे हैं कि खालसा होने के बाद आपकी सर्विस में अगर वे रिटायर हुए हैं तो उनको आप पेन्शन रूल्स के तहत पेन्शन देंगे ?

श्री बालकृष्ण कौल : जी हां।

श्री अध्यक्ष : श्री हरलाल।

प्रतापगढ़ से अरनोद को बिजली

१००. **श्री हरलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) प्रतापगढ़ से अरनोद को बिजली कब तक दी जा सकेगी ?

(२) क्या यह सही है कि इसके लिये सम्बन्धित पंचायत समिति तथा स्थानीय जनता द्वारा मांग की जा रही है ? यदि हां, तो अरनोद को बिजली अब तक क्यों नही दी गई है ?

उप-मन्त्री, विद्युत (श्री घासीराम यादव) : (१) अरनोद को अभी तक किसी योजना में शामिल नहीं किया गया है।

(२) जी हां। आर्थिक कठिनाइयों के कारण समस्त स्थानों का विद्युतिकरण एक साथ नहीं हो सकता।

श्री हरलाल मीणा : अरनोद प्रतापगढ़ से कितनी दूर है और उसकी आबादी कितनी है ?

श्री घासीराम यादव : यह जानकारी मुझे नहीं है।

श्री हरलाल मीणा : कितनी आबादी वाले गांव या कस्बे को आप बिजली देते हैं ?

श्री घासीराम यादव : आबादी का कोई क्राइटेरिया नहीं है। ५ हजार से ज्यादा के जो गांव या कस्बे हैं उनको भी बिजली पूरी नहीं दी गई है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): प्रतापगढ़ सब-डिविजन में प्रतापगढ़ के अलावा और कौन सा गांव है जहां बिजली दी गई है ?

श्री घासीराम यादव : यह जानकारी मुझे नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जानकारी नहीं है तो जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।

श्री घासीराम यादव : आप सवाल रख लेते। आपने तो अरनोद के बारे में सवाल उठाये है।

एक माननीय सदस्य : बिजली देने का क्राइटेरिया क्या है ?

श्री घासीराम यादव : पहले उन गांवों में बिजली देते हैं जो कि बड़े गांवों के पास हैं। उन स्थानों पर बिजली देते हैं जहां कोई उद्योग हों या एग्रीकल्चर क्षेत्र हो।

श्री विजयपाल कटारा (डूंगरपुर) : मिनिस्टर साहब को दौरा करके देखना चाहिये कि वह एग्रीकल्चर का क्षेत्र है या नहीं।

श्री घासीराम यादव : आप बतायें कि किस क्राइटेरिया में यह आता है।

Page No. 22

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा कि चित्तौड़ में बिजली के विकास को देखिये और चित्तौड़ जिले का ही एक अंग है प्रतापगढ़ वहां पर कोई विकास नहीं है, कोई बिजली की व्यवस्था नहीं है। और इस तरह से अगर सौतेला व्यवहार होता है तो मैं समझता हूं कि यह अन्यायपूर्ण व्यवस्था है। अगर सरकार इसको अपना पुनीत कर्त्तव्य समझती है कि इस ओर ध्यान आकर्षण किया जाय कि अरनोद प्रतापगढ़ से दूसरे नम्बर का कस्बा है। प्रतापगढ़ सब-डिविजन में एक ही जगह बिजली दी है और दूसरे सब-डिविजनों में देखिये कि बिजली एक जगह दी है? कहीं पर बिल्कुल ही नहीं दी गई है। मेरे ख्याल से प्रतापगढ़ के साथ जो सौतेला व्यवहार है उसको समाप्त करना चाहिए और अरनोद में बिजली बराबर देनी चाहिए।

श्री रामकिशन (वैर) : आपने जो क्राइटेरिया बना रखा है तो क्या सरकार इस क्राइटेरिया में इस बात पर विचार करने को तैयार है कि ख़ास तौर से आदिवासी, पिछड़े हुए क्षेत्र हैं वहां पर कौन से उद्योग चल सकते हैं इस दृष्टि से विचार कर सकती है। अरनोद आदिवासी क्षेत्र है जो आपका क्राइटेरिया है और १४-१५ मील प्रतापगढ़ से दूर है उसको बिजली दी जाय इस पर विचार करने को तैयार है?

श्री घासीराम यादव : क्राइटेरिया अभी फाइनल नहीं हुए हैं। यह प्रश्न अभी तक सामने नहीं आया है कि पिछड़े हुए क्षेत्र में चाहे बड़े शहर हों या नहीं वहां पर बिजली दी जाय।

श्री रामकिशन : वह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है तो प्लानिंग कमीशन के इन्स्ट्रक्शन्स के अनुसार और संविधान के अनुसार यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। वह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है

श्री घासीराम यादव : जिन गांवों में खेती हो सकती है उनको प्राइम एमर्जेन्सी है।

श्री हरलाल मीणा : अरनोद के इलाके में बिजली इसीलिए चाही जा रही है कि वहां की जमीन अच्छी है।

श्री घासीराम यादव : राजस्थान में और जगह भी अरनोद से अच्छी पैदावार हो सकती है।

श्री हरलाल मीणा : कौन सी जगह है?

श्री दलपतसिंह (आबू) : यहां पर बिजली कब तक आप दे देंगे?

श्री घासीराम यादव : बिजली का प्रोग्राम बनेगा तब पता चलेगा। अभी तक वह बनाया नहीं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : भीलवाड़ा में एक लाख कुए हैं लेकिन वहां पर बिजली नहीं दी गई है। केवल तहसील असींद में २० हजार कुए हैं वे लेकिन वहां पर कोई बिजली की लाइन नहीं दी गई है।

श्री घासीराम यादव : भीलवाड़े में कई जिलों से कुए कम हैं।

श्री अध्यक्ष : भीलवाड़े की बात बन्द करेंगे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अभी अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक प्रश्न पूछा है कि कोई न कोई सिद्धान्त होना चाहिए कि बिजली कहां दी जाय और कहां न दी जाय। अगर एक जगह जो कि ७ मील दूर है वहां पर नहीं दी जायेगी और एक ३२ मील दूर है वहां पर आप ऊट-पटांग रूप से देते हैं और कहते है कि इस स्थान की अपने यहां पर व्यवस्था की गई है, तब तो हम समझ सकते हैं कि आपके पास कोई उसूल नहीं है और मनमाने रूप से आप बिजली देते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर कोई ऐसी व्यवस्था है जो कि असन्तोषजनक है तो सरकार का ध्यान आकर्षित करने का अधिकार है, और मैं समझता हूँ कि यह ऐसी व्यवस्था है कि जहां अरनोद के साथ इस प्रकार से सौतेला व्यवहार किया गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणलाल !

हिन्डौन से बयाना सड़क

१०१. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन-सु०) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सच है कि हिन्डौन से बयाना जाने वाली सड़क बहुत खराब हो चुकी है ?

(२) क्या यह भी सच है कि इस पर जो टुकड़े डामर किये गए थे वे भी खराब हो चुके हैं ?

(३)यदि हां,तो सरकार उपरोक्त सड़क को ठीक कराने के बारे में क्या विचार रखती है ?

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भीमसिंह) : (१) कुछ मीलों की दशा सन्तोषप्रद नहीं है।

(२) जी हां।

(३) इस सड़क की ६ मीलों की दशा सन्तोषप्रद नहीं हैं। तीन मीलों का कार्य ठेकेदार को दे दिया है बाकी ३ मीलों के टेण्डर आमंत्रित किये जा रहे हैं।

श्री श्रवणलाल : टेकेदार को कौन सी तारीख को कार्य दिया है ? कब दिया है ?

श्री भीमसिंह : इसकी तारीख तो अभी मेरे पास नहीं है।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रश्न को कम से कम चार बार रख चुका हूं और मंत्री महोदय मुझे हर बार यह आश्वासन देते हैं कि इस सड़क को बहुत जल्दी ठीक करा रहे हैं, लेकिन उसकी दशा इतनी खराब हो चुकी है कि उसमें २-२ फीट के खड्डे पड़े हुए हैं और जनता के जाने के लिए पटरी के पास का जो रास्ता था वह भी इतना खराब हो चुका है कि आने-जाने में लोगों को बड़ी दिक्कत उठानी पड़ती है। मैं इसके बारे में आपके द्वारा कई बार मंत्री महोदय से प्रार्थना कर चुका था कि आप स्वयं मौके पर जाकर देखें कि रोड की क्या हालत है और आप क्या कर रहे हैं ? ५ महीने पहले एक तीन मील का टुकड़ा बना था, अध्यक्ष महोदय, मुझे शर्म के साथ कहना पड़ता है कि वह तीन मील का टुकड़ा ६ महीनों में बराबर हो गया है पता नहीं कि कितने घोटाले कर रहे हैं। उसमें डामर लगता है या नहीं और मिट्टी भरी जाती है

(श्री श्रवणलाल)

या क्या। आप मौके पर जाकर देखिये कि हालत कैसी खराब हो गई है।

श्री भीमसिंह : आप जो बात कह रहे हैं वह गलत नहीं है। मैं इसको मानता हूँ और मैं स्वीकार कर रहा हूं कि हालत संतोषजनक नहीं है। उसके अलावा जो आपने जानकारी चाही थी वह मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि ७–८ मील का ठेकेदार को ठेका दे दिया गया है और ६ से ११ मील का टेण्डर १६-२-६६ को काल किया गया है। उसके बावजूद आपका कहना है कि हालत बहुत ही खराब है तो मैं इन्सपेक्शन कराके और जानकारी करके जो भी व्यवस्था होगी और जितना पैसा उपलब्ध होगा उसी दायरे के अन्दर जो कुछ हो सकेगा वह किया जायेगा।

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय और कोई आश्वासन न दें तो यह आश्वासन तो दें कि वे अपनी निजी कार में जिसमें कमानियां न हो उस सड़क पर निकलेंगे। यह आश्वासन तो दें दें कि हिन्डौन और बयाना का चक्कर लगायें अपनी कार में ?

श्री भीमसिंह : हिन्डौन और बयाना का चक्कर लगाने लगूंगा तो आपको मुश्किल पड़ जायेगी।

श्री रामकिशन : वहां आप पधारें और आपकी कार टूट जाये ताकि आपको पता तो लगे कि सड़क ठीक नहीं है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह समझा जाय कि आप हिन्डौन और बयाना के इसीलिए चक्कर नहीं लगाते हैं कि ये लोग वहां से जीते हैं।

श्री जुझारसिंह (चेचट) : रोड मेन्टीनेन्स का जो एलोकेशन मिलता है क्या वह सड़कों के प्रोपोर्शन में नहीं मिलता है इसलिए सड़कें खराब होती हैं ?

श्री अध्यक्ष : यह इससे सम्बन्धित नहीं है।

श्री जुझारसिंह : यह खराब इसीलिए होती हैं कि इनको फण्ड बराबर नहीं मिलता है।

श्री **अध्यक्ष** : यह बयाना और हिण्डौन की सड़क के बारे में है।

प्रश्न संख्या १०२

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल !

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री मानिकचन्द सुराणा !

(१२ मध्यान्ह)

बीकानेर में ऊन की मिल

१०३. श्री **मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : क्या राजकीय उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) बीकानेर में ५००० स्पिंडल्स की ऊनी मिल लगाने की योजना में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

(२) राज्य सरकार ने टैक्सटाइल आयुक्त को उक्त ऊनी मिल के लिए लाइसेंस प्रदान करने के लिए कब प्रार्थना पत्र दिया

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

था और उक्त प्रार्थना पत्र पर क्या लाइसेन्स प्राप्त हो चुका है ?

(३) क्या ऊनी मिल के लिए आवश्यक मशीनरी की खरीद की जा चुकी है ? यदि हां, तो कहां से व उसके लिए क्या कोई टेन्डर मांगे गये थे ?

(४) क्या ऊनी मिल को स्थापित करने के लिए आवश्यक जमीन का आवंटन किया जा चुका है ?

(५) उक्त मिल कब से कार्य करना प्रारम्भ कर देगी ?

राजकीय उप मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) (१) ५,१८४ स्पिंडल्स की ऊनी मिल के लिये व्यापारिक अनुमति पत्र (इन्डस्ट्रियल लाइसेन्स) प्राप्त हो चुका है।

(२) राज्य सरकार टेक्सटाइल आयुक्त को प्रार्थना पत्र नहीं दिया है वरन् ज्वाइन्ट चीफ कंट्रोलर ऑफ इम्पोर्ट्स बम्बई को अप्रेल सन् १९६६ को इम्पोर्ट लाइसेंस के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। इंपोर्ट लाइसेंस प्राप्त हो चुका है।

(३) ऊनी मिल के लिए १२०० सिपंडल्स की मशीनरी का खरीद की कार्यवाही जापानी येन क्रेडिट से इंपोर्ट लाइसेन्स हासिल करके पूरी की जा चुकी है करीब १४ जापानी फर्मों से उपरोक्त मशीनरी की खरीद के लिए आफर आमंत्रित करके मेसर्स मारू बेनी इडा कं. लि. से मशीनरी की खरीद के लिए एग्रीमेंट किया जा चुका है।

(४) ऊनी मिल के लिए जमीन को चयन कर लिया गया है।

(५) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के पहले भाग में उत्पादन प्रारम्भ हो जाने की आशा है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ५,१८४ स्पिन्डल्स के लिए आपने प्रश्न के भाग (१) के उत्तर में कहा है और भाग. (३) के उत्तर में कहा है १२०० स्पिंडल्स लगाने की कार्यवाही की जा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि बाकी स्पिंडल्स अभी तक इंपोर्ट नहीं हो पाये हैं या और कहीं लगाने की योजना है ?

श्री मथुरादास माथुर : कुल ५,१८४ स्पिंडल्स के लिए लाइसेन्स मिला था उसमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने १२०० के लिए फोरिन एक्सचेंज रिलीज किया है इतने स्पिंडल्स इकोनोमिक और सेल्फ सफिशियेन्ट होते हैं। इस पर टोटल खर्चा करीब ८० लाख है उसमें से करीब ४० लाख फोरिन कोम्पोनेन्ट्स में होगा। हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ४० लाख रुपये दिये हैं १२०० स्पिंडल्स की कीमत करीब करीब इतनी होती है। नेक्स्ट ईयर और फोरिन एक्सचेंज मिल जायेगा तो २५०० स्पिंडल्स पूरे हो जायेंगे। ये दो तरह के होते हैं एक कारपेन्ट के और दूसरे और तरह के। २५०० स्पिंडल्स बीकानेर में लगने के बाद बाकी भी पूरा कर दिया जायेगा मिड ऑफ दि प्लान में।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : आप कहते हैं कि चौथी योजना में काम पूरा हो

(श्री मुरलीधर व्यास)

जायेगा। अभी कुछ हुआ ही नहीं है तो काम पूरा कैसे हो जायेगा ?

श्री मथुरादास माथुर : मैंने कहा है कि मिड ऑफ दि प्लान तक शुरू हो जायेगा योजना के दो भाग होते हैं पहला भाग ढाई साल का और फिर दूसरा ढाई साल का। पहले भाग में काम शुरू हो जायेगा। ऑर्डर हो चुका है फोरिन एक्सचेंज उपलब्ध हो चुका है, जमीन ले ली है, कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है। मशीनरी लगने के बाद प्रोडक्शन शुरू हो जायेगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह मशीनरी खरीद ली गई है तो हिन्दुस्तान में कब आ जायेगी और बीकानेर में कब पहुंच जायेगी ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि १२ महीनों के अन्दर अन्दर पहुंचजायेगी। तब तक बाकी सिविल वर्क कंपलीट करके मशीनरी बैठाकर दो तीन साल में काम शुरू हो जायेगा subject to all conditions being normal कंस्ट्रक्शन शुरू हो रहा है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ५००० स्पिंडल्स लगाने की घोषणा की थी और जोधपुर में भी ऊनी मिल लगाने की घोषणा थी तो क्या १२०० स्पिंडल्स बीकानेर में लगायेंगे और बाकी के जोधपुर में लगाने का विचार है ?

श्री मथुरादास माथुर : जोधपुर के लिये राज्य सरकार ने कोई घोषणा नहीं की थी।

श्री मानिकचन्द सुराणा : पत्र में निकला था शायद आपने भी पढ़ा होगा।

श्री मथुरादास माथुर : मैंने भी पढ़ा था लेकिन राज्य सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की।

श्री रावतराम (सादूलपुर) : चूरू के लिए भी योजना है ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या १०४.

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह आपने १२ फर्मों से निगोसियेशन किया है, सवाल यह था कि इसके लिए आपने कोई टेन्डर मांगा था क्या ? लेकिन आपने टेन्डर नहीं मांगा१२ फर्मों से बातचीत की। इस बातचीत से जो निगोसियेशन किया गया तो १२ पार्टीज को एक साथ बुलाकर निगोसियेशन किया गया या एक एक पार्टी को एक वक्त बुलाया और उस समय दूसरी पार्टीज मौजूद नहीं थीं ? निगोसियेशन हुआ, उसमें क्या आपको लिखित टेन्डर दिया है ? क्या स्थिति है ? प्रकाश डालने की कृपा करें।

श्री मथुरादास माथुर : फोरिन एक्सचेन्ज का प्रबन्ध होने के बाद पाजीशन यह थी कि येन क्रेडिट जापान का क्लोज किया जा रहा है इसलिये टैक्सटाइल कमिश्नर ने १४–१५ जापानी फर्मों के नाम बताये, उनसे लिखा-पढ़ी करने के बाद उन्होंने राइटिंग में, इन ब्लैक एन्ड व्हाइट, कोटेशन्स दिये। उसके बाद एक्सपोर्ट कमिश्नर, फाइनेन्स कमिश्नर, राजस्थान और टैक्सटाइल कमिश्नर के टैक्निकल एक्सपर्ट इन

(श्री मथुरादास माथुर)

तीनों ने बैठ कर जिन्होंने कोटेशन्स दिये थे उनको एग्जामिन किया, यह यह मशीन, अलग अलग पार्टस कैसे रहेंगे —यह देखने के बाद उक्त कमेटी ने सबको यहाँ जयपुर में बुलाया और उनके साथ निगोशियेट किया। अलग अलग फर्मों के अपनी अपनी मशीन के अलग अलग नाम होते हैं, सबके साथ निगोशियेशन करने के बाद उस कमेटी ने रिपोर्ट पेश की। जो चीपेस्ट और बैस्ट मशीन थी उसको भारत सरकार ने मंजूर किया उनके साथ निगोसियेट किया, रायटिंग में लिया कि ८ परसेन्ट देंगे या १० परसेन्ट देंगे। निगोशियेट करने के बाद जिस फर्म को रिकमन्ड किया उनके साथ एग्रीमेन्ट हुआ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ४० लाख का फोरिन एक्सचेन्ज मंजूर किया हैं, आपने ४० लाख की मशीन खरीदने की बात थी, क्या यह सही है कि अभी आपने जिस कम्पनी से माल खरीदा है उससे १० लाख का माल ज्यादा खरीदा है ?

श्री मथुरादास माथुर : एक्सपर्टस की कमेटी ने जो एडवाइज किया था वह ४०लाख के करीब था। उसके बाद कम्पनी ने लिख कर दिया कि इसके साथ ये ये और एड किये जांय तो इम्प्रूवमेंट हो जायेगा। इस पर अभी बातचीत चल रही है, फाइनल नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा - एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखें तो उस पर हाफ एन आवर डिस्कशन हो सकता है।

रामगंज मंडी में सीमेंट का कारखाना

१०४ **श्री जुझारसिंह** (चेचट) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या रामगंज मंडी में सीमेंट का कारखाना लगाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

(२) यदि हां, तो यह कारखाना किनके द्वारा लगाया जाने वाला है और अब तक इसके बारे में क्या प्रगति हो पाई है ?

(३) यह कारखाना रामगंज मंडी में किस स्थान पर लगाया जाने वाला है और इसमें कितना खर्चा लगेगा और कब तक यह कार्य करने लग जायेगा ?

खनिज मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : (१) राजस्थान सरकार के समक्ष कोई प्रार्थना पत्र सीमेंट का कारखाना लगाने बाबत विचाराधीन नहीं है।

(२) मेसर्स अवध शुगर मिल्स लि. बम्बई रामगंज मंडी में सीमेंट का कारखाना लगाने का आवेदन पत्र दिया था। पार्टी को लाइसेन्स देने के लिये राजस्थान सरकार ने भारत सरकार से दिनांक २३-७-१९६५ को सिफारिश कर दी है।

(३) निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि कारखाना कहां लगेगा और कैसे लगेगा।

(प्रश्न संख्या १०५)

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

(श्री अध्यक्ष)

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा ।

कारखाने और रिहायशी क्वार्टर्स के लिए भूमि

१०६ **श्री** योगेन्द्रनाथ हांडा (राय-सिंहनगर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान विनयल केमीकल्स कोटा (Rajashan Vinayal Chemicals, Kota) और राजस्थान रेयन्स फैक्ट्री कोटा (Rajasthan Rayans Factory Kota) को कारखाने लगाने एवं रिहायशी क्वार्टर्स बनाने के लिए कितनी भूमि किस किस भाव से एलॉट हुई है ?

(२) उक्त भूमि के आम बाजार भाव क्या हैं ?

उप-मन्त्री उद्योग (श्री मनफूलसिंह) : (१) कोटा के विशाल औद्योगिक क्षेत्र में कुल ४३०.८ एकड़ जमीन दोनों उद्योगों को स्थापित करने एवं रिहायशी क्वार्टर्स बनाने के लिये निम्न भावों पर ९९ वर्ष की लीज पर भूमि एलॉट की गई हैं :

(१) विकास खर्च ३००) प्रति एकड़ के हिसाब से ।

(२) लीज मनी ३०) रु० प्रति एकड़ प्रति वर्ष ।

(२) औद्योगिक क्षेत्र में भूमि के संबंध में बाजार भाव का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि उसमें तो चार्जेज नियम के अनुसार लिये जाते हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : प्रश्न क्यों नहीं उठता, मैंने जानना चाहा था कि आपने सस्ती जमीन दी है बाजार में जिस जमीन की ६०)-७०) कीमत है उसको आपने ३०) में दिया है । मुख्य प्रश्न यह है इसलिये बाजार भाव का कॉन्क्रीट प्रश्न पूछा है ।

श्री मनफूलसिंह : ३०) प्रति एकड़ नियमानुसार दी है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सच है कि डी. सी. एम. को कंसेशन रेट पर चंबल रेस्ट हाउस के पास जमीन दी है ?

उद्योग मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : इतनी जानकारी नहीं है । चंबल रेस्ट हाउस के पास की जमीन से सम्बन्ध नहीं है और न मेरे पास उनकी जानकारी है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी गम्भीर बात है कि डेवलपमेंट रेट्स के अन्दर और कीमत के अन्दर इतनी ज्यादा रियायत दे दी जाय, २७ किलोवाट पॉवर में सत्तर परसेन्ट लोड फेक्टर की जगह नब्बे परसेन्ट लोड फेक्टर करवा दिया जाय और पॉवर भी हाफ रेट पर दे दी जाय । आखिर यह भरतराम-चरतराम क्या सारे राजस्थान को चर जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्री भगराज !

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : माननीय मन्त्रीजी ने कहा कि सब कुछ जमीन जो दी गई है वह रूल्स के आधार

(श्री भैरोंसिंह)

पर दी गई है। क्या रूल्स के आधार पर पन्द्रह सौ रुपये प्रति एकड़ से कम पर जमीन नहीं दी जा सकती ?

श्री हरिश्चन्द्र : पहले जो रूल था १६-५६ का उसमें जो दर थी वह अलग दर थी। उसके बाद में ३०-६-६३ को वह रूल अमेण्ड हुआ और उसके हिसाब से पन्द्रह सौ पर-एकड़ के हिसाब से जयपुर सिटी और कोटा सिटी के लिए दर निर्धारित की गई।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि १६५६ के रूल्स में और इन रूल्स में भी, जिनका हवाला आप दे रहे हैं, तीन सौ रुपये प्रति एकड़ से जमीन देने का प्रावधान नहीं है बल्कि अधिक रकम लेने का प्रावधान है ? आप जो १६६३ के रूल्स बता रहे हैं, यह १६६३ के नहीं हैं बल्कि यह भी १६५६ के ही हैं।

श्री मनफूलसिंह : नोटिफिकेशन दिसम्बर ३१, १६५६ का है, इसके तहत तीसरे पैरा नम्बर १ में डेवलपमेंट चार्जेज के बारे में है :

'Development charges-premium to be charged by way of development charges from the lessees shall be Rs. 500/-per acre in an industrial area situated within the radius of 15 miles of Jaipur City or Kota City.'

श्री भैरोंसिंह : जब पन्द्रह सौ रुपये का प्रावधान था तो आपने तीन सौ रुपये प्रति एकड़ में देने का उत्तर कैसे दे दिया है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : जब कि पन्द्रह सौ रुपये प्रति एकड़ लेने चाहिए वहां आपने तीन सौ रुपये डेवलपमेंट चार्जेज और तीस रुपये कीमत के रूप में लिए हैं। इसके अलावा मार्केट रेट एक एकड़ की कोटा के अन्दर कितनी होगी उसका अन्दाजा लगायें तो बहुत फर्क रहेगा।

श्री मनफूलसिंह : यह नोटिफिकेशन से पहले दे दी गई है। इससे पहले रूल नहीं थे तब दे दी गई है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : जब आप यह कह रहे हैं कि नियम नहीं थे तो उस वक्त आपने यह उत्तर कैसे दे दिया था कि नियमानुसार जमीन दी गई थी ?

श्री मनफूलसिंह : कोलोनाइजेशन के नियम बने हुए थे उनके तहत यह भूमि दी गई है। उसके बाद में रेट पन्द्रह सौ रुपये कर दी गई है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : कोलोनाइजेशन के रूल्स गंग कैनाल के बने हुए थे, भाखरा के नहीं बने हुए थे। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर बात है आप एक एकड़ की कीमत का एस्टीमेट कीजिये कि कोटा के अन्दर क्या होगी जब कि इसको तीन सौ तीन रुपये पर-एकड़ पर डिस्पोज ऑफ कर दी गई है। अब आप कृपा करके यह बताइये कि टोटल लैण्ड कितनी दी है ?

श्री भैरोंसिंह : और कब दी है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : यह भी कि कब दी गई है ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैं समझता हूँ कि थोड़ा कन्फ्यूजन चल रहा हूँ। पोजीशन यह है कि १९५९ के अन्दर ३० दिसम्बर को रूल्स पब्लिश हुए उन रूल्स में तीन सौ रुपये पर-एकड़ ज़मीन की कीमत रखी वहां जो ऐसी पोपुलेशन के टाउन है जिनकी पोपुलेशन तीन लाख या उससे एबव है। यह रूल्स ३० दिसम्बर, १९५९ को पब्लिश हुए। उसके बाद में मैंने जैसा हाउस को बताया कि ३०–९–६३ को वह रेट रिवाइज कर दी गई, यानि जो तीन सौ रुपये की रेट रखी गई थी वह पन्द्रह सौ रुपये हो गई। उसके तहत दर कायम कर दी गई यानि रेट रिवाइज कर दी गई। वैसे रूल्स उस वक्त भी थे और आज भी हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : तीन सौ तीस रुपये पर-एकड़ में दी तब भी घोटाला कम नहीं था, घोटाला in present.

श्री हरिश्चन्द्र : आपके कहने से घोटाला हो जाय तो कोई बात नहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : तीन सौ तीस के हिसाब से बता रहे हैं तो घोटाला है।

श्री अध्यक्ष : आप सुनिये तो सही कि वह क्या कह रहे हैं !

श्री हरिश्चन्द्र : आप किसी की टांग पकड़ लेते हैं और किसी का सिर पकड़ लेते हैं।

श्री मथुरादास माथुर (योजना मन्त्री): आदत से लाचार हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मैंने तो आपकी कमर पकड़ रखी है।

श्री हरिश्चन्द्र : आप मेरी कमर पकड़ेंगे तो मैं आपकी पकड़ में से अपनी कमर को छुड़ा लूंगा।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : वह हाथ में ही नहीं आयेगी इनके !

श्री हरिश्चन्द्र : मेरे मित्र को थोड़ा शुबाह हो रहा है किसी चीज पर। मैंने आपको अर्ज किया कि जो ऐसे कस्बे हैं जिनकी पोपुलेशन तीन लाख या उससे ऊपर है उसकी तो पन्द्रह सौ रुपये है और जिनकी तीन लाख या तीन लाख से नीचे है उनकी तीन सौ तीस है। कोटा की पोपुलेशन १९५९ के अन्दर तीन लाख से कम थी इसलिए तीन सौ रुपये लिये गये। इसके अलावा मैंने यह अर्ज किया ···

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : एलॉटमेंट कब किया गया ?

श्री हरिश्चन्द्र : इसके बाद का हो है।

३०–९–६३ को रूल अमेण्ड हुआ तब जो दर थी वह पन्द्रह सौ रुपये रख दी गई within a radius of fifteen miles of Jaipur city or Kota city.

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : यह एलॉटमेंट कब हुआ ?

श्री हरिश्चन्द्र : अब निकल गई आपके हाथ से।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : एलॉटमेंट की डेट बताइये।

श्री अध्यक्ष : श्री भगराज !

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, दो चीजों का जवाब रह गया ।

श्री अध्यक्ष : कमर अब तो छूट गई, फिर पकड़ना ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मैं कमर छोडूंगा नहीं हालांकि बहुत मोटी कमर में हाथ डाल रहा हूं ।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : कुल जमीन कितनी दी गई ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : Total land and date of allotment ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री भगराज ! बाद में बता देंगे ।

श्री भगराज : १०७ ।

श्री मनफूलसिंह : ४३० एकड़ ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : ४३० एकड़ ?

श्री अध्यक्ष : आप उत्तर दीजिये । दूसरा प्रश्न कहा जा चुका है ।

रानीवाड़ा में विद्युत्-घर स्थापित करने की योजना

१०७ **श्री भगराज चौधरी** (रानीवाड़ा) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि रानीवाड़ा (जिला जालौर) में विद्युत् घर स्थापित करने की योजना काफी लम्बे समय से सरकार के विचाराधीन है ?

(२) क्या यह भी सही है कि उक्त कार्य योजना के अनुसार वित्तीय वर्ष १९६५-६६ में पूरा हो जाना चाहिये था ? यदि हां, तो इस कार्य में देरी होने के क्या कारण हैं ?

(३) अब उक्त कार्य कब शुरू कर दिया जायेगा और कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

उप-मंत्री, विद्युत (श्री घासीराम यादव) : (१) जी हां । १९६५-६६ में रानीवाड़ा में विद्युत गृह लगाने का प्रावधान रखा गया था ।

(२) जी हां । रानीवाड़ा में विद्युत गृह स्थापित करने का कार्य एल. डी. स्कीम १९६५-६६ में रखा गया था । पॉवर हाउस बनाने के लिए जमीन प्राप्त करने में काफी समय लगा । इस कारण देरी हुई ।

इस क्षेत्र को पॉवर लोड को देखते हुए, पालनपुर (गुजरात) से भी ३३ के. वी. लाइन डाल कर कनेक्ट करने की योजना विचाराधीन है ।

(३) यह कार्य शीघ्रातिशीघ्र करवा दिया जायगा । कोई निश्चित तिथि बताना अभी सम्भव नहीं है ।

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, कृषि उत्पादन की दृष्टि से, विशेष कर ऐसे क्षेत्र में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं और जहाँ कृषि उत्पादन बढ़ने की काफी सम्भावना है, मैं

Page No. 32

(श्री मगराज चौधरी)

समझता हूं कि उन क्षेत्रों को विजली की दृष्टि से प्राथमिकता देनी चाहिए। यह योजना १९६५-६६ में रख दी गई थी वह वर्ष पूरा बीत गया है, उसके बाद में नेक्स्ट फाइनेन्शियल ईयर जो अभी चल रहा है वह भी खत्म हो रहा है, फिर भी योजना के पूरी होने की बात तो दूर रही, वह अभी भी विचाराधीन है। अब भी सरकार कहे कि योजना विचारधीन है और जल्दी ही करेंगे, मैं समझता हूं कि इससे हमारी जो सही भावना है कृषि उत्पादन बढ़ाने की वह पूरी नहीं हो रही है।

श्री घासीराम यादव : विचाराधीन नहीं है, वह फाइनल हो चुकी है और पचास हजार रुपये रख दिये हैं डीजल सेट खरीदने के लिये और जमीन एक्वायर कर रहे हैं।

श्री दलपतसिंह (आबू) : आपको यह पता है कि बड़ौदा के अन्दर राजस्थान और बम्बई वालों की मिटिंग हुई थी जिसके अन्दर यह तय किया गया था कि १९६७ के मार्च तक पालनपुर, मण्डौर होते हुए विजली रानीवाड़ा पहुंचा देंगे और १९६७ के मार्च तक किसानों के कुओं पर विजली लगा दी जायेगी ?

श्री घासीराम यादव : यह मीटिंग हुई थी लेकिन यह फाइनल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि फंड्स नहीं थे। प्लानिंग कमीशन कितना रुपया देगा यह तय नहीं हुआ।

श्री दलपतसिंह : क्या यह सही है कि प्लानिंग कमीशन के सामने जो मांग की थी उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए बीस लाख रुपया मंजूर हो चुका है ?

श्री घासीराम यादव : मंजूरी नहीं हुई। रुपया मांगा गया था लेकिन मंजूर नहीं हुआ।

श्री दलपतसिंह : आप कहते हैं कि मांगा गया था लेकिन सैंक्शन नहीं हुआ है जब कि पार्लियामेंट के एक मेम्बर ने मेरे पास रिपोर्ट भेजी है, श्री हरिश्चन्द्र माथुर ने, उसमें उन्होंने कहा कि बीस लाख रुपये इम्प्लीमेंटेशन के लिए मंजूर किये हैं और यह १९६७ के एण्ड तक पूरी हो जायेगी। अध्यक्ष महोदय, तीन साल पहले रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिये यह कहा था कि रानीवाड़ा, मण्डौर तक काश्तकारों के जितने कुए हैं, १९६७ के एण्ड तक उन सबको इलेक्ट्रिफाई कर देंगे। यह योजना कार्यान्वित नहीं हुई है, लेकिन अब किस प्लेटफार्म पर है, किस स्टेज पर है, कितना टाइम लगेगा, किस टाइम तक सैंक्शन होगी ? इसके अलावा तीन चार दफा केबिनेट लेवल पर डिसिजन लिया गया है और तय किया गया है कि जल्दी से जल्दी रूरल प्रोडक्शन के लिहाज से इस स्कीम को पूरा कर दिया जाय। यदि अभी सैंक्शन नहीं हुआ है तो यह होकर यह स्कीम कब तक कार्यान्वित हो जायेगी ?

विद्युत मन्त्री (श्री चन्दनमल बैद) : मैं भी फ्लोर आफ हाउस के ऊपर यह कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट आफ इंडिया फाइनेन्स मिनिस्टरी ने इस काम के लिए अभी तक पैसा नहीं दिया है।

श्री दलपतसिंह : यह कब तक हो जायेगा, यह बता कर संतोष दिलायें।

श्री चन्दनमल बैद : वह सैक्शन करके पैसा दे देंगे तो हम बड़ी तेजी के साथ घोड़े की तरह दौड़ते हुए पूरी कर देंगे।

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार को कृषि उत्पादन के लिये जो पैसा मिलता है वह स्टेट लेवल पर मिलता है। तो ऐसी प्रायोरिटी की स्कीम को न लेकर जो अनइम्पोर्टेण्ट स्कीम हैं उनको लिया जाना, मैं समझता हूं, उचित नहीं है। या तो यह कह दें कि इस पिछली साल १९६५–६६ के अन्दर पैसा नहीं मिला या यह कह दें कि इस साल पैसा नहीं मिला है, तब तो हमारी समझ में आ सकता है कि जो इम्पोर्टेन्ट स्कीम, प्रायोरिटी में आ जानी चाहिए वह नहीं आई है। अब यह कहना कि जमीन नहीं मिली है, फलां चीज नहीं मिली है इस तरह की बात कहना कम से कम ठीक मालूम नहीं पड़ता है जब कि आप दूसरी स्कीम को ले रहे हैं। जब यह मानते हैं कि यह स्कीम बड़ी अच्छी है, और इससे काफी बड़े क्षेत्र में खेती की पैदावार में बढ़ोत्तरी करने में सफलता मिलेगी तो इसे पहले कीजिये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट २ देखिए)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

खानपुरा कनवास सड़क का कार्य

९५ **श्री प्रभुलाल सेन्टर** (खानपुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) खानपुर–कनवास वाया दहीखेड़ा रोड का काम कब शुरू किया गया था ? यह काम बंद होने का क्या कारण है ?

(२) खानपुर–कनवास वाया दहीखेड़ा रोड का काम पुनः कब तक शुरू करने का इरादा है ?

उत्तर

(१) कनवास ग्राम की ओर १ मील में विभाग द्वारा फरवरी १९६६ में कार्य आरंभ किया था। अर्थाभाव के कारण।

(२) अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता।

तहसील सिकराय के गांवों में बिजली

१०२. **श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल** (सिकराय-सु०): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि तहसील सिकराय के किसी भी ग्राम में बिजली नहीं है ?

(२) क्या यह सही है कि सिकराय में बिजली पहुँचाने का कार्यक्रम १९६५–६६ की योजना में सम्मिलित कर भारत सरकार के पास अनुमोदनार्थ भेजा गया था ? यदि हां, तो तहसील सिकराय के ग्रामों को बिजली अब तक क्यों नहीं दी गई है ?

(३) अब कब तक बिजली मिल सकेगी ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी नहीं सिकराय के लिए कोई

Page No. 34

(श्री विद्युत् मन्त्री)

योजना भारत सरकार के पास नहीं भेजी गई।

(३) निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

जयपुर उद्योग में बिजली की बकाया

१०५. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** (भीम) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि जयपुर उद्योग में बिजली की बकाया निकल रही है ?

(२) यदि हां, तो कितनी और कितने अर्से से बाकी है ?

(३) इस प्रश्न को विद्युत् बोर्ड के मेम्बरों के आगे रखा गया या नहीं ?

(४) यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) 15,03,000) रुपये सन् १९६२ से बकाया है।

(३) जी हां।

(४) प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सिकन्दरा–गुड़ा चन्द्रजी सड़क पर डामर कार्य

१६. **श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल** (सिकराय-सु०): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि सिकन्दरा गुड़ा चन्द्रजी सड़क पर अब तक डामर नहीं हुआ है ? यदि हां तो क्यों ?

(२) सरकार इस कार्य को कब तक पूरा करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) सिकन्दरा की ओर से १० मील में डामर करा दिया गया है। बाकी भाग में कार्य स्वीकृत नहीं है।

(२) अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता।

छोटी सादड़ी-बड़ी सादड़ी–निम्बाहेड़ा मार्ग पर पुलियाओं का निर्माण

१७. **श्री हरलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि छोटी सादड़ी से बड़ी सादड़ी और छोटी सादड़ी से निम्बाहेड़ा सड़क बन चुकी है लेकिन पुलियाएं बनी हुई नहीं है ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि इन दोनों सड़कों पर पुलियाएं बनी हुई नहीं होने से आवागमन बन्द रहता है ? यदि हां, तो पुलियाएं नहीं बनने का क्या कारण है ?

उत्तर

(१) जी हां, कुछ पुलिया बनी हैं और ज्यादा हिस्से में पुलिया बननी बाकी हैं।

(श्री सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)

(२) आवागमन वर्षा के कुछ दिनों के सिवाय चालू रहता है। अर्थाभाव के कारण।

घाटवा-कुचामन सड़क का निर्माण

१८. **श्री जोधसिंह चौहान** (गिरवा): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि घाटवा से कुचामन सड़क का निर्माण प्रथम पंचवर्षीय योजना में होने वाला था लेकिन अब तक नहीं हुआ है ?

उत्तर

जी नहीं, सड़क निर्माण का प्रावधान प्रथम पंचवर्षीय योजना में नहीं था।

उदयपुर जिले में सिचाई के लिए गांधी सागर से दी जाने वाली बिजली

१९. **श्री देवीलाल** (सराड़ा-सु०) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) जिला उदयपुर में गांधी सागर दी जाने वाली बिजली कितनी तहसीलों में सिचाई के कुओं आदि कामों के लिये दी जाने की योजना है ?

(२) देवारी से उदयपुर होकर सलूम्बर जाने वाली बिजली की लाइन से तहसील सराड़ा क्षेत्र में कितने मील तक निकाली गई है ?

(३) सलूम्बर ज[ाने वाली] बिजली की लाइन से तहसील है[डक्वार्टर] और मुख्य गावों की कितनी दूर[ी हो]ती है ?

(४) क्या यह सही है कि बिजली विभाग द्वारा सराड़[ा क्षेत्र] में बिजली देने के लिए सिंचाई के कुओं तथा घनी आबादी वाले गावों की सर्वे कराई गई है ?

उत्तर

(१) वर्ष १९६६-६७ की योजना अभी विचाराधीन है।

(२) देवारी से सलूम्बर जाने वाली बिजली की लाइन का लगभग २२ मील ३ फर्लांग लम्बा भाग तहसील रड़ाडा क्षेत्र में से गया है।

(३) सलूम्बर जाने वाली बिजली की लाइन से तहसील हैडक्वार्टर की दूरी लगभग १० मील होगी, अन्य ग्रामों के बारे में सर्वे होने के बाद निश्चित सूचना दी जा सकती है जो अभी नहीं हुआ है।

(४) जी नहीं।

बिजली घर बांसवाडा के मजदूरों को मुआवजा

२०, **श्री जोधसिंह चौहान** (गिरवा) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि बांसवाड़े का बिजली घर सरकार ने श्री वोहरा से अपने कब्जे में लिया ?

(२) क्या यह भी सही है कि उस बिजली घर में २० साल व ३० साल से

(श्री जोधसिंह चौहा र)

मजदूर कार्य कर रहे थे लेकिन बिजली घर चार्ज में लेकर उन म जदूरों को विभाग में नहीं लिया गया ।

(३) क्या यह भी सही है कि उन मजदूरों को मालिक श्री बोह रा ने एक पैसा भी मुआवजे का नहीं दिया तथा उनसे एक माह के नोटिस पर दस्तखत करा लिये ?

(४) क्या यह भी सही है कि सरकार ने उन लोगों को मुआवजा दिलाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की ? अगर हां, तो क्यों नहीं ।

उत्तर

(१) जी हां, बांसवाडा का बिजली घर राजस्थान राजकीय विद्युत मंडल ने दिनांक १-१०-६४ को श्री बोहरा से अपने कब्जे में ले लिया ?

(२) दिनांक १-१०-३४ को उक्त बिजली घर में जो मजदूर कार्य कर रहे थे उनको तत्काल विभाग ने अपनी सेवाओं में ले लिया था बाद में राजस्थान राजकीय विद्युत मण्डल जयपुर निर्मित स्क्रीनिंग कमेटी ने प्रत्येक मजदूर का प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया था तथा उनमें से कुछ को विभाग की नियमित सेवाओं में नियुक्त कर दिया गया है जो मजदूर नियमित सेवाओं के लिए उपयुक्त नहीं समझे गये थे उन्हें भी विभाग में अस्थाई सेवाओं में ले रखा है ।

(३) इस विषय में जानकारी नहीं है ।

(४) इस विषय में भी यह विभाग सीधी तरह संबंधित नहीं है अब तक किसी भी प्रकार का मुआवजा दिलाने के बारे में उक्त बिजली घर के मजदूरों ने इस संबंध में सम्पर्क स्थापित नहीं किया है । मुआवजा प्राप्त करने के लिए मजदूर वर्ग क्या कार्यवाही कर रहा है इसकी जानकारी विभाग को नहीं है ।

रोडवेज की बसें व उनसे लाभ

२१. **श्री रामकिशन** (वैर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

राजस्थान रोडवेज की इस समय कुल कितनी बसें चल रही हैं और गत तीन वर्षों में इससे कितना शुद्ध लाभ हुआ है ?

उत्तर

इस समय निगम के विभिन्न मार्गों पर २४५ गाड़ियां चल रही हैं । तथा गत ३ वर्षों में शुद्ध लाभ निम्न प्रकार है ?

सन	लाभ
१९६२-६३	२५,२४,६६० रु.
१९६३-६४	२३,३१,६८१ रु.
१९६४-६५	१३,२६,४८० रु,

प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि

२२. **श्री रामकिशन** (वैर): क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

तीसरी पंचवर्षीय योजना में जिलेवार प्रति व्यक्ति कितनी धन राशि व्यय की गई है और उसमें जिलेवार प्रति व्यक्ति की आमदनी में कितनी वृद्धि हुई है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

Page No. 37

(श्री योजना मन्त्री)

उत्तर

तीसरी पंचवर्षीय योजना में पहले चार वर्षों में यानि १९६१-६२ से १९६४-६५ तक जो १९६१ की जन संख्या के आधार पर जिलेवार प्रति व्यक्ति व्यय किया गया उसकी सुची संलग्न है । १९६५-६६ में हुए जिलेवार प्रति व्यक्ति का व्यय के आंकड़े अभी तैयार नहीं है ।

प्रति व्यक्ति आय के अनुमान राज्य स्तर पर ही लगाये जाते हैं । अब जिलेवार सूचना उपलब्ध नहीं है और सरकार सदन को यह सूचना देने में असमर्थ है ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

(१२.२० म० प०)

सदन को मेज पर रखे जाने वाले पत्र

श्री **घासीराम यादव** : (उप मन्त्री, राजस्व) : अध्यक्ष महोदय, राजस्व (ख) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ ६ (१८) राज [ख] ६५, दिनांक १४ जून, १९६६ तथा अधिसूचना संख्या एफ ६ (११७) [ख] ६४, दिनांक १६ जून, १९६६ को सदन की मेज पर रखता हूं ।

कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन तथा उस पर विचार

श्री हरिदेव जोशी (खनिज मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के २७ वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं ।

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के २७ वें प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रस्ताव स्वीकार किया जावे ।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

(१२.२२ म० प०)

तहसील सांचोर में अकाल राहत कार्य विषयक ध्यानाकर्षण–प्रस्ताव

श्री **रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत, तहसील सांचोर में अकाल राहत कार्य की ओर अकाल सहायता मन्त्री का ध्यान आकर्षण करता हूँ ।

श्रीमती कमला बेनीवाल (उप–मंत्री अकाल सहायता) : अध्यक्ष महोदय, जो,....

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है ।

श्री रामकिशन (वैर) : अकाल मन्त्री अकाल से पीड़ित हैं, आप ही ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि सांचोर में माह अगस्त को ५८ मिलीमीटर

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

वर्षा हुई और माह सितम्बर में ७८ मिली-मीटर वर्षा हुई, इससे फसल पर तो कोई ज्यादा असर नहीं पड़ा लेकिन पीने के पानी की दृष्टि से उस पर जरूर असर पड़ा लेकिन फसल की दृष्टि से जहां कुछ हलकों में फसल ठीक ठीक थी उस पर उस वर्षा का असर, हुआ और वहां पर उसका असर जरूर पहुंचा है बाकी जगह पर नहीं परन्तु मैं यह कहूंगी कि अभी यह कहना पूर्ण रूप से कि कितने ग्रामों में अकाल है और कितने अकाल ग्रस्त नहीं हैं कठिन है क्योंकि गिरदावरी अभी शुरू नहीं हुई और विस्तृत रिपोर्ट भी अभी सरकार के पास प्राप्त नहीं हुई है इसलिए यह कहना कठिन है । पहली रिपोर्ट अक्टूबर के आखिर में आती है और अन्तिम रिपोर्ट नवम्बर के आखिर तक आती है । फिर भी हमने जिलाधीश को लिखा है कि गिरदावरी पहले हो और स्थिति का अवलोकन करें और फिर वे एसेसमेंट के साथ में रिपोर्ट भेजें। उनकी विस्तृत रिपोर्ट आने पर यह तय किया जा सकेगा कि इस इलाके में क्या हालत है और कहां कहां पर अकाल है और उसके लिये क्या व्यवस्था की जावे और कितनी जल्दी की जावे—उसके लिये सरकार प्रबन्ध करेगी । आम तौर पर अभी जो रिपोर्ट राज्य सरकार को प्राप्त है–उसमें से ६२ गांवों में से २० गांवों में सामान्य फसल होने के आसार हैं बाकि कहीं ६ आना और कहीं ८ आना । ११० गांवों में दो आना से ४ आना तक फसल हो सकती है । मगर यह सब जिलाधीश की रिपोर्ट आने के उपरान्त ही सब स्थिति का पता चला सकता है कि वास्तव में कितने गांवों में स्थिति दयनीय है । जहां तक व्यवस्था का प्रश्न है, अगस्त के माह में जिलाधीश की तरफ से हमें यह सूचना मिली और हमें मालूम पड़ा कि वहां पर घास और चारे की स्थिति खराब है और इस कारण मवेशी वहां से बाहर जा रहे हैं, तो हमने उसी वक्त ५ हजार मन चारा उस इलाके को अलॉट किया, और यह कोशिश की गई कि वहां पर चारा जल्दी से जल्दी पहुँचाया जावे । इस बीच में वर्षा होने के कारण से चारा यथा स्थान पर नहीं पहुँच पाया है क्योंकि रास्ते में नदियों के कारण, लेकिन मूवमेंट उसका जरूर हो गया है । इस अलॉटमेंट के साथ साथ सरकार ने २५ हजार रुपये घास के ट्रान्सपोर्टेशन के लिये मंजूर किये है । इस इलाके की हालत को ध्यान में रखते हुए लेकिन यह बात स्पष्ट है कि जितनी तत्परता के साथ और आवश्यकता के अनुसार चारा वहां पहुँचना चाहिये वह मौसम की खराबी के कारण अधिकतर नहीं पहुँच पाया है और हम जिलाधीश को तकाजा कर रहे हैं कि वे जल्दी से जल्दी उस घास को यथा स्थान पर पहुँचाने की व्यवस्था करें ।

जैसा मैंने आपको बताया कि वर्षा होने से तालाबों में पानी आ गया इसलिये पानी की दिक्कत नहीं आ रही है । जहां तक अनाज की व्यवस्था का प्रश्न है, जहां फसल खराब है उसको देखते हुए अनाज की व्यवस्था की गई और राज्य सरकार ने पिछले अलॉटमेंट के अलावा ३८३ मन गेहूं और मिलों के अतिरिक्त कोटा इस जिले का कर दिया है–और जिला अधिकारियों को सूचित किया गया है कि अभावग्रस्त एरिया है उसमें उसका वितरण किया जावे । अभी भी ७–८ जगह पर सस्ते अनाज की दुकानें

Page No. 39

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

खोल कर उसका वितरण हो रहा है और जैसी जैसी आवश्यकता होगी सरकारी और गैर-सरकारी दुकानों से अनाज की व्यवस्था की जा सकेगी। यह सब मोटी मोटी बातें मैंने आपको बताईं और आपके सामने रखी हैं। मैं समझती हूँ कि माननीय सदस्य को इससे संतोष होगा। जहां तक वर्क का ताल्लुक है जिलाधीश से रिपोर्ट आने पर हम करेंगे। सांचोर बाडमेर की बोर्डर इलाके की सड़कें हैं जो १०–१५ दिन में खुलने वाली है, उसके लिये हमने जिलाधीश से पूछा है कि जो बोर्डर रोड्स इलाके में बनने वाली हैं और जिनका काम चलेगा उनमें और दूसरे इलाके पड़ते हैं उसमें कितना काम किया जा सकता है जिससे इस इलाके के अकालग्रस्त लोगों को राहत मिल सके। वह रिपोर्ट आते ही हम व्यवस्था कर सकेंगे।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने जो सूचना दी है उसके बारे में मैं कुछ और तथ्य सामने रखना चाहूंगा और निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार इसके बारे में ध्यान दें। आपने बताया कि जो आपके पास रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसके अनुसार ११० गांवों में स्थिति खराब है। जो सितम्बर में वर्षा हुई उसके बाद की रिपोर्ट प्राप्त हुई उससे यह स्पष्ट है कि ११० गांवों में अकाल की स्थिति मौजूद है। करीब ४२ गांवों की स्थिति ऐसी आती है जिसमें से ३२ गांवों से ६ आना से लेकर ८ आना तक की स्थिति बताई और १० गांवों में ८ आने से कुछ ज्याद जमाना ठीक है—यह आपने स्वयं ने स्थिति बताई है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक वर्षा सितम्बर के महीने में अच्छी हुई आपने बताया है, लेकिन वह भी आधी जगह हुई है। जहां पर घास होती है उस जगह तो वर्षा नहीं हुई जहां पर मवेशी चरा करते है बाकी आपने कहा कि दो चार आना फसल है, मगर जहां पर आपने दो चार आने की फसल की आशा बताई वहां पर भी वह फसल नष्ट हो चुकी है। मेरे पास वहां से तार प्राप्त हुए हैं। कल ही दो आदमी आये हैं। वहां पर मवेशियों की यह स्थिति है, फसल तो नष्ट हो चुकी है और मवेशियों की भी हालत खराब है।

तो मन्त्री महोदय ने जहां जहां, जिन जिन गांवों में दो आना से ४ आना फसल बताई वहां पर एक आना भी फसल मिलने वाली नहीं है। कोई सम्भावना नहीं है कि वहां पर एक आना भी फसल मिले। हां, जहां पर सामान्य फसल बताई है उन गांवों में ६ आना–८ आना फसल मिल सकती है। पर इनके अलावा और गांवों की रिपोट आपके सामने प्रस्तुत हो चुकी है तो वहां पर तो जल्दी से जल्दी सहायता कार्य शुरू कर देना चाहिये। उन गांवों के लिए नवम्बर तक की इन्तजार करने की बात कही वह समझ में नहीं आती—उनकी रिपोर्ट तो आपके सामने प्रस्तुत है फिर नम्बर तक इन्तजार किस बात की ? मैं राजस्थान सरकार का ध्यान इस ओर पहले भी आकर्षित कर चुका हूँ, मैंने खाद्य मन्त्री जी को सचित किया वे उस इलाके का दौरा करके आये हैं। उस इलाके के मवेशी पहले ही निकल चुके हैं। सांचोर की काकरेज ब्रीड हिन्दुस्तान की मशहूर ब्रीड है—इन मशहूर ब्रीड की गायों के चार चार सौ, पांच पांच सौ के टोले मारे मारे दर दर

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

भटकते फिर रहे हैं; जोधपुर, सिरोही, शेरगढ़, फलोदी तक पहुंच चुके हैं। उन लोगों को रास्ते में बड़ी मुसीबतें उठानी पड़ती हैं, उन लोगों के लिए कहीं कोई इन्तजाम नहीं है। आपने यह भी नहीं बताया कि मवेशी निकल चुकी है। मैं निश्चित रूप से निवेदन कर रहा हूँ कि उस इलाके के लोग इन गायों की बड़ी बड़ी हेड़े रखते हैं, वे लोग गायों की हेड़ें की हेड़ें लेकर जा रहे हैं-रास्ते में उनको किसी प्रकार को सुविधा नहीं है, उनके लिए राजस्थान सरकार की ओर से कोई प्रबन्ध नहीं करवाया गया है, मवेशी वाले मारे मारे फिर रहे हैं, उन इलाकों में उनकी व्यवस्था होनी चाहिये, मैंने पहले भी निवेदन किया था कि पाली जिले के जोड़ को नीलाम नहीं करना चाहिये, वह नीलाम नहीं किया गया है। सांचोर के इलाके के और उसके आस पास के इलाके के मवेशी हैं उनको बचाने की राजस्थान सरकार कोशिश नहीं करेगी तो मैं स्पष्ट रूप से निवेदन करना चाहता हूँ कि उधर के लोग बड़ी भारी मुसीबत में फस जायेंगे, वे अपनी मवेशी को बचा नहीं पायेंगे, ज्यादा से ज्यादा मवेशियों के मरने का खतरा है। वहां घास की कोई व्यवस्था नहीं है। आपने पांच हजार मन घास पहुँचाने को कहा पर वहां केवल चार पांच ट्रक पहुंचे हैं, केवल दस दस किलो चारा वहां के लोगों को दिया गया है। उसके बाद आपने स्वयं ने कहा कि कोई घास वहां नहीं पहुंचा सके। दूध देने वाली गायों को लोगों ने वहां रखा है, उनके लिए कोई चारा मिलने की सम्भावना नहीं है. इसलिये राजस्थान सरकार को चाहिये वहां तुरन्त चारे की व्यवस्था करे, आपने कहा कि रास्ता खराब था इसलिए ट्रक नहीं जा सकते थे, अगर रास्ता खराब था तो राजस्थान सरकार ट्रेन से वहां पर चारा पहुंचा सकती थी। मन्त्री महोदया ने ६-७ दुकानों का इन्डिकेशन दिया है मेरे पास लेटेस्ट सूचना है कि ६ दुकानें मन्जूर की हैं पर एक भी दुकान पर अनाज नहीं पहुंचा है, सिर्फ सांचोर की दुकान पर अनाज पहुंचा है। उस तहसील भर में गांवों के लोग मारे मारे फिरते हैं, पर आज दिन तक वहां पर माइलों की व्यवस्था नहीं है। रानीवाड़ा में आज तक माइलों नहीं पहुँचा है। इसलिए मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो व्यापारी वहां माइलों और बाजरा एवं दूसरा अनाज वहां ले जाना चाहते हैं उन लोगों को स्पेशल परमिट दिए जायं ताकि वहां लोगों को अनाज मिलने की व्यवस्था जल्दी से जल्दी हो सके। आप नवम्बर तक वेट करते रहे तो वहां पर बड़ी भयंकर स्थिति पैदा हो जायगी, वहां के लोगों को बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। अब गिरदावरी किस बात की करेंगे, रिपोर्ट आपके पास आ चुकी है, ३२ गांवों के बारे में विचार कर सकते हैं पर जहां तक दूसरे गांवों का प्रश्न है जिनकी रिपोर्ट आपके पास आ चुकी है—वहां पर जहां तक चारे की व्यवस्था का प्रश्न है, राहत कार्यों का प्रश्न है, फेमीन वर्क्स को चालू करने का प्रश्न है, जहां तक इन सारे साधनों को जल्दी से जल्दी जुटाना का प्रश्न है, उन सारे साधनों को जल्दी से जुटाना चाहियेऔर इन सबकी व्यवस्था वहां पर जल्दी से जल्दी करनी चाहिये। सूजाखाल के पास पूरे एस्टीमेट्स तैयार करके आप मंजूरी दे चुके हैं, वहां कार्य शुरू करवा सकते हैं। आपके सामने सारी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है तो

Page No. 41

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

राजस्थान सरकार को इतनी लाइटली नहीं लेना चाहिये, वहां के मवेशी दर दर घूम रहे हैं, जो लोग अपनी मवेशी लेकर जा रहे हैं उनके साथ मारपीट के समाचार आये हैं। इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इन लोगों के लिए विशेष व्यवस्था की जानी चाहिये नहीं तो उन लोगों के मवेशी मर जायेंगे और सांचोर के इलाके की आधी वैल्थ खत्म हो जायगी और इसे रिकूप करना बहुत ही मुश्किल हो जायगा।

सारे तथ्य आपके सामने रख दिए, सारी रिपोर्ट आपके पास पहुंच गई फिर आप कहते हैं नवम्बर महिने तक वेट करने की, आखिर आप किस चीज के लिए नवम्बर तक वेट करना चाहते हैं जब कि रिपोर्ट आपके पास आ गई है, सारी स्थिति आपके सामने स्पष्ट है। वहां के केटल को बचाने का बड़ा ही अहम् प्रश्न है, इसलिए राजस्थान सरकार स्पेशल कदम उठाकर जल्दी से जल्दी व्यवस्था करे। युद्ध स्तर पर काम होगा तभी रिलीफ पहुंच सकता है। आज दो महीने हुए हैं, मन्त्री महोदय वहां सारी स्थिति अपनी आंखों से देखकर आये हैं, वहां के कलेक्टर कहते हैं कि हमारे पास अनाज नहीं है, सारे गांवों को अभी दुकानों से जोड़ा नहीं गया है, इसलिए आप यकीनन नहीं कह सकते कि सारे गांवों के लिये व्यवस्था कर दी है। राज्य सरकार को सोचना चाहिये कि जहां दूर दूर के इलाकों में, दूर दूर के गांवों में व्यापारी नहीं जा सकते वहां पर राजस्थान सरकार को स्वयं यह सब प्रबन्ध करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप भी राजस्थान सरकार को स्पेशल निर्देशन देंगे कि इस इलाके के मवेशी और लोगों को बचाने के लिए शीघ्रातिशीघ्र कदम उठायें।

श्री **दलपतसिंह** (आबू) : दो तीन दिन पहले हमने भी एडजोर्नमेंट मोशन दिया था, हमारे इधर का इलाका भी उस इलाके से लगा हुआ है। जुलाई में हमारे यहां बरसात हुई वह बहुत अच्छी बरसात हुई, फिर बाद में आबूरोड के एरिया में अच्छी मक्का खड़ी थी, पर डेढ़ महिने तक बरसात नहीं होने के कारण उस इलाके में मक्का बिलकुल जल चुकी है। आज से दस दिन पहले जब मैं उधर टूर कर रहा था तो पंचायत समिति के प्रधान और आदिवासियों का डेप्यूटेशन मिला और उन्होंने बताया कि वहां मक्का की फसल सोलहों आने होने वाली थी इस आशा में उन लोगों के पास जो अनाज था उसको उन्होंने मक्का की अच्छी फसल की आशा में घर खर्च में व्यतीत कर दिया, अब उनके पास दाना भी नहीं रहा और मक्का की फसल जो सोलह आने होने वाली थी वह जल चुकी है। ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करूंगा कि कुओं के अन्दर भी बरसात की कमी के कारण वे लोग रबी अभियान में भी तरक्की नहीं कर सकेंगे। आप अगर वहां पर समय पर व्यवस्था नहीं करेंगे, तकावी वगैरह देने में, सहायता कार्यों में थोड़ी भी देरी करेंगे तो मैं आपको स्पष्ट रूप से सूचित कर देना चाहता हूं कि आज वहां आदिवासियों की ऐसी हालत हो गई है कि न उनके पास ममेशियों के लिए चारा है, न उनके पास खाने के लिए अनाज है, उनकी हालत बहुत खराब हो जायगी।

(श्री दलपतसिंह)

आबूरोड़ को छोड़कर वहां ८० प्रतिशत आदिवासी रहते हैं और चदोला सियाल की तरफ मक्की पर ही चारे का आसरा था, वहां मक्की जल गई, वर्षा का देरी से आने के कारण वह आसरा खतम हो गया, तो अगर इस काम में देरी हुई तो जीवन व्यतीत करना मुश्किल हो जायगा। ऐसी हालत में वहां पर जल्दी से जल्दी आदिवासियों के लिए रहत कार्य शुरू कर दें वरना एक डेढ़ महीने के बाद अगर शुरू किया तो फायदा नहीं होगा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : मुझे इन प्रश्नों के उत्तर जरूर दें कि ६ दूकानें अनाज की जो आपने खोली हैं उनमें आज तक अनाज पहुंचा है या नहीं? दूसरे, चारा कब तक पहुंचेगा? तीसरे जो आप टेस्ट वर्क कहते हैं आपकी रिपोर्ट के अनुसार कब तक चालू कर देंगे?

श्री विजयपाल कटारा (डूंगरपुर-सु.): अध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर प्रोपर और डूंगरपुर जिले में ६०, ००० लोग काम कर रहे हैं दो चार महीने से लगातार जो मजदूर काम कर रहे हैं उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि भूख से कई लोग मर चुके हैं। उनकी हालत से सरकार को समय समय पर अवगत कराया गया है, लेकिन वहां अनाज की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और घास की व्यवस्था पूरी तरह से नहीं हुई, काफी पशु मर चुके हैं। आज भी १३-१४ इंच वर्षा हो चुकी है। पहले फसल सूख गई और एक वर्षा अगर और हो जाती तो सरकार के सामने यह स्थिति नहीं आती लेकिन वर्षा के देर के होने से सारी फसल सूख गई। दूसरे, वर्षा कहीं कम हुई, कहीं अधिक हुई, तो पहली फसल के मुकाबले वहां की हालत खेती के सिलसिले में नहीं के बराबर है। ऐसी हालत में वहां की जनता के और पशुओं के खाने पीने की समस्या है। पानी तालाबों के अन्दर सूखा पड़ा है और जनता इधर उधर भटक रही है। हालां कि राज्य सरकार ने काफी काम करवाया है लेकिन वहां हर तीन साल के अन्दर एक बार अकाल आता ही है, तीन साल से लगातार लोग मजदूरी कर रहे हैं, वहां पेट बांध कर लोग गुजर करते आए हैं। चूंकि फसल में टीडी आ गई, फसल नष्ट हो गई, फसल की नाश करने वाले कीटाणु आ गए इसलिए जनता में भय है कि अब क्या करना चाहिए। जिस समय के अन्दर सरकार को व्यवस्था करनी थी वह नहीं कर पाई। एक व्यक्ति का ४ किलो और ५ किलो के अन्दर एक महीने में कैसे गुजर हो सकेगा। आप अनुभव कर सकते हैं कि राहत कार्य तो आपने चालू किए, लेकिन १-२-०; १२ आना और १० आने से इस महंगाई के समय में किस प्रकार जनता पेट भर सकती है? इस महंगाई के अन्दर एक आदिवासी कैसे इस पैसे से गुजर कर सकता है? पहले तो सिर्फ आदिवासी ही कार्य करते थे लेकिन अब तो दूसरी जाति के लोगों ने भी काम शुरू कर दिया है क्योंकि सेठ-साहूकारों के आगे भी समस्या पैदा हो गई है। ऐसी हालत में बड़े-बड़े आदिवासी क्षेत्रों के अन्दर वहां के गांवों को लूटने के लिए आदिवासी नोटिस दे चुके हैं कि अमुक तारीख को हम फलाना गांव लूटेंगे। ऐसी हालत में भी सरकार कानों में तेल डालकर सोती रहती

(श्री विजयपाल कटारा)

है और इस प्रजातंत्र के अन्दर भी भुखमरी से जनता पीड़ित है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिए मेरा निवेदन है कि इन राहत कार्यों को १५ सितम्बर के बाद भी चालू रखना चाहिये वरना १५ तारीख से बंद होने से लोगों को भय हो गया है। सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए कि जो लाखों और करोड़ों रुपये का वहां खर्चा हो रहा है उसका भविष्य में लाभ हो। वहां सिंचाई के तालाब बनाने का स्कोप है उनको अपने हाथ में लेना चाहिए ताकि वहां भविष्य में खेती हो सके। इसलिए मैंने राज्य सरकार से निवेदन किया था कि यहां सिंचाई का स्कोप है कि भविष्य में उत्पादन बढ़ सकता है, लेकिन नेताओं की राजनैतिक गुटबंदियों के कारण, वहां आपसी फूट के कारण, सड़कों का निर्माण मनमाने ढंग से शुरू करवा देते हैं, सरकारी कर्मचारियों पर प्रभाव डाल कर अपने एरिया में काम शुरू करवाते हैं। ऐसी हालत में मैंने सरकार से निवेदन किया था कि जहां इन्सान के जीवन और मरण का सवाल है, इसको राजनैतिक षड़यन्त्र में नहीं लेना चाहिए, हमको जीवित रहने का अधिकार है। आज जो अनाज की व्यवस्था····

श्री अध्यक्ष : आपने जो बातें कहीं, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, एक दिन इसके लिए रखा गया है। जिस दिन खाद्यान्न और अकाल स्थिति पर विचार हो उस दिन आप ये बातें रखें।

श्री विजयपाल कटारा : मेरा निवेदन है कि विशेषकर १५ सितम्बर के बाद हमारे डूंगरपुर और बांसवाड़ा इलाकों में राहत कार्यों को कम कर दिया गया है। इन कार्यों को सरकार वापस शुरू करने की स्थिति में है या नहीं और भविष्य में अकाल समस्या को मिटाने के लिए सरकार क्या कदम उठायेगी? वहां सरकार कॉटन मिल शुरू कर सकती है, कई उद्योग शुरू कर सकती है। अहमदाबाद में, उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के एक लाख मजदूर बैठे हुए हैं उनकी समस्या को हल करने के बारे में सरकार क्या सोचती है? सरकार इनको ५–५, १०–१० रुपए दे दे तो इस तरह से आर्थिक स्थिति हमारी सुधरने वाली नहीं है। तो मुझे तो दो तीन जवाब दिए जायं। वहां पानी की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। जो मंत्राणी साहिबा वहां आई थीं उनकी मेज पर हमने पानी का गिलास रखा था कि डूंगरपुर की जनता इस प्रकार का पानी पीती है। मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन बहुत गंदा और पेशाब की तरह पानी होता है, उसका उपयोग करते हैं। हमारे जल मंत्री ने कहा था कि डूंगरपुर का पानी अच्छा है आप जाकर देखिए, वहां किस तरह का पानी है। वहां की जनता को पानी के लिए राहत पहुँचाने की कोशिश करें तो जनता सरकार की आभारी होगी।

(कुछ माननीय सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : बाद में इस पर पूरी बहस का मौका दिया जायगा, तब तक इन्तजार करें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे दो मिनट निवेदन करने

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

की इजाजत दें। खास तौर से खलवाड़, मरलूवर और सुराडा-वहां पर सरकार ने काम किया है किन्तु अब बन्द हो गया है। थोड़ी बहुत वर्षा हुई है लेकिन आँसू पूछने जैसी स्थिति वर्षा की है। वहां पर तीन साल से लगातार वर्षा की कमी से कुए प्रायः सूख गये। ५०–५० वर्ष में जो कुएं कभी नहीं सूखते थे वे भी करीब करीब सूख चुके है।

तो मेरा तो आप से यही कहना है कि अभी भी मेरे पास दो तीन तार आये हैं। सरकार ने राहत कार्य करीब करीब सब जगह बंद कर दिये हैं। सरकार को २६ जिलों के लिये व्यवस्था करना है। एक दो जिलों के लिये नहीं यह मैं मानता हूँ। आज हजारों आदिवासी डूंगरपुर जिले में ऐसे हैं जिनको २४ घंटों में एक दफा मुश्किल से खाने को मिलता है। यदि वहां पर राहत कार्य बन्द कर देते हैं तो भूखमरी के सिवाय और कोई चारा ही नहीं है। यह भी स्थिति हो सकती है कि मरे हुए ढोरों को लोग खाने लगें। इस स्थिति पर काबू पाने के लिए मेरे सुझाव मंत्री महोदय के पास यह हैं-वह हमारे जिले में भी आयी है, उनको सब पता है। जहां पांच हजार आदमी काम करते थे वहां आप घटा कर पांच सौ ही कर दीजिये और उनको बाई रोटेशन रखिये वहां जाकर वे कमायें और काम करें। काम भी नहीं करें और कमायें भी नहीं तो मेरे ख्याल से बड़ी दुर्घटना होगी और गजब हो जावेगा। खास कर से आदिवासी क्षेत्रों में आप रेस्ट्रिक्टेड रूप से राहत कार्य करायें। भुट्टे नहीं पके है। वहां पर मक्की जल चुकी है, वहां भुट्टे पकने की भी संभावना नहीं है। ऐसी स्थिति में आप राहत कार्य कम कीजिये लेकिन उनको जारी रखिये, और जारी रखने के लिये जल्दी से जल्दी आदेश डूंगरपुर जिले में और आस पास की तहसीलों में भेजिये।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : दो बात की जानकारी चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। तीन स्थगन प्रस्ताव आये हैं, उन माननीय सदस्यों को बोलने दिया गया है। इस पर बहस न की जाय। यह आवश्यक मामला है और इस पर दिन भर में बहस करेंगे।

मंत्री महोदय उत्तर दे दें।

श्री हीराभाई : मैं अर्ज यह कर रहा था........

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। आपको इतनी उत्सुकता थी तो आप मुझे लिख कर देते।

श्रीमती कमला बेनीवाल (उप-मंत्री, अकाल सहायता): अध्यक्ष महोदय, पहले मैं डूंगरपुर, बांसवाडा के बारे में बोलने वाले माननीय सदस्यों की शंकाओं के बारे में जवाब देना उचित समझूंगी। आपने कहा कि सब जगहों पर काम बन्द कर दिया गया है, स्थिति खराब हो चुकी है। यह बात सही है कि आम तौर पर सब जगह काम बन्द कर दिया गया है लेकिन डूंगरपुर, बांसवाडा के अन्दर अभी काम चालू है और शुरू से लेकर अब तक वहां पर जितने भी लेबर आया ५८ हजार आया चाहे पांच हजार

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

आया, उसकी पूरी व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा की गयी और किसी भी स्थिति में आदमी या जानवर के अभाव की स्थिति के कारण मरने की नौबत पैदा नहीं हुई। एक भी काम चला तो परेशानी पैदा होने की संभावना नहीं है।

सांचोर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ बातें पेश कीं और उप-मंत्री की दलील बतायी कि नवम्बर तक वेट करेंगे और जो रिपोर्ट आवेगी उस पर सोचेंगे। मैंने जो बात कहीं उसको सोचा नहीं, समझा नहीं और समझा तो ग्रहण नहीं किया। मैंने स्पष्ट रूप से यह कहा था कि आम तौर पर अक्टोबर में फर्स्ट रिपोर्ट आती है और नवम्बर में लास्ट रिपोर्ट आती है। लेकिन हमने आपके जिलाधीश को लिखा है कि आज ही रिपोर्ट भेज दे। फसल को नुकसान हो चुका है और गिरदावरी का यह असेस-मेन्ट है वह दो चार दिन में जब भी भेज सकता है भेज दे और उसके मुताबिक कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ यह भी कहा कि जिन इलाकों में बोर्डर रोड का काम चल रहा है और दूर पड़ता है तो काम केव अप किये जा सकते हैं तो किये जावेंगे। अपनी तबियत से बात बनाना कि नवम्बर तक वेट करना चाहते हैं और जबर-दस्ती से लोगों को परेशान करना चाहते हैं यह आपके सोचने की बात है। जिलाधीश की रिपोर्ट पहले से है, कागजों में दो चार आना है तो एक आना भी मान सकते हैं और आपने बात कही उसको सही मानते हैं, उनसे आग्रह किया है कि तुरन्त रिपोर्ट भेजे कि उन इलाकों में जो काम करना चाहते हैं उनको तुरन्त कर सकें।

अनाज का जहां तक सवाल है एडीशनल कोटा भेज दिया गया है। माइलों पहुंच चुका है और जो दूकानें खोली गयी है अनाज पूरी मात्रा में वितरण हो रहा है या नहीं यह मैं नहीं कह सकती, लेकिन अनाज उपलब्ध हो रहा हैं और माइलों इन्टीरियर स्थानों में भी पहुँच जावेगा। गांवों में कोटा पहुँचने की सूचना अभी मुझे नहीं मिली है।

घास का जहां तक सवाल है आपने बताया वह सही है। हम इस भरोसे थे कि जब हमने अगस्त में पांच हजार मन घास अलाट कर दिया तो वह डिपो पर वितरित होगा। जहां से पता चला कि ट्रक्स से बारिश में वितरित नहीं हो सका, बारिश के कारण मूवमेंट बन्द हो गया। यदि ट्रक्स के द्वारा उसको ढोने की व्यवस्था बंद हो गई तो ट्रेन के द्वारा यदि वह जा सकता था तो यह बताना चाहिए था। मूवमेंट जितना था वह मंजूर किया, स्पेशल रेट थी वह भी साथ ही साथ मंजूर की। उसके बाद जो दिक्कत थी वह सरकार की जानकारी में नहीं थी। डिले जरूर हुई है--इसकी तत्काल व्यवस्था करने की कोशिश करूंगी।

जहां तक मवेशी का सवाल है, आपको सुनने से पहले जिलाधीश को आदेश दे दिये हैं कि वे जांच करें कि कितनी मवेशी किस इलाके में माइग्रेट हुई है, वहां उनको प्रशासकीय और चराई की क्या दिक्कतें हैं और हम से कोई अपेक्षा हो तो हम उसका इंतजाम करने की तुरन्त व्यवस्था करेंगे। साथ ही यह भी बताना चाहूंगी कि सांचोर की काफी अच्छी मवेशी है और उसके खारिज होने में राज्य सरकार को और काश्तकार दोनों को ही नुकसान है और उसकी व्यवस्था के लिये खास तौर से ध्यान दिया जावेगा और एक

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

अधिकारी को यहां से भेज कर आपकी जो दिक्कतें हैं उनको शीघ्रातिशीघ्र हल करने की कोशिश की जायगी।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : माननीय अध्यक्षजी,........

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य नहीं, नहीं

श्री रघुनाथ बिश्नोई : ६ दुकानों के अलावा भी सब जगह मिलना चाहिये।

(१२.५८ म. प.)

चम्बल प्रोजेक्ट के कर्मचारियों द्वारा भूख हड़ताल विषयक स्थगन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : कुछ स्थगन प्रस्ताव हैं। एक की सूचना माननीय सदस्य श्री कृष्ण कुमार गोयल और श्री हरिप्रसाद शर्मा ने दी हैं जिसका सम्बन्ध 'चम्बल में प्रोजेक्ट अलाउन्स न मिलने के कारण भूखहड़ताल' से हैं। इसको अस्वीकार किया जाता है। मंत्री महोदय इस पर कुछ रोशनी डालना चाहें ?

सिंचाई मंत्री

(विराम)

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव कल हो सदन में प्रस्तुत कर दिया था। इस विषय में कोई कल से जबाब नहीं आया। विशेष ध्यान इस प्रस्ताव के द्वारा आकर्षित किया था कि चम्बल योजना आफिस में जो नियमित कर्मचारी हैं वे २६-८-६६ से चम्बल आफिस के सामने ४८-४८ घंटों की भूखहड़ताल पर इस ग्रूप के अनुसार बैठते चले आ रहे हैं। इसके अलावा तारीख १३-९-६६ को एक टोकन रुप में सांकेतिक हड़ताल सब लोगों ने मिल कर की थी।

(१-०० म० प०)

और जितने भी कर्मचारी थे वह सारे के सारे उस रोज केजुअल लीव पर रहे और उसके बाद अब उन्होंने सरकार को नोटिस दिया हुआ है कि अगर उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया, अगर उनकी मांगे स्वीकार नहीं की गयी तो २० तारीख को याने आज से वह इन्डेफीनेट पीरियड के लिए हड़ताल पर बैठ जायेंगे ! इस प्रकार का मैंने सरकार को अपने स्थगन प्रस्ताव द्वारा ध्यान आकर्षित कराया है।

अध्यक्ष महोदय, चम्बल योजना के ऊपर जो ३ प्रोजेक्ट्स हैं—पहला प्रोजेक्ट पूरा हो चुका कोटा बैराज। इसके बाद में सेकण्ड बैराज और फिर थर्ड याने सेकण्ड स्टेज और थर्ड स्टेज यह चारों स्टेजेज मिली हुई हैं। राजस्थान सरकार और मध्यप्रदेश सरकार दोनों सरकारें बराबर खर्चा देकर उस खर्चे को कन्ट्रीब्यूट कर रही हैं—याने ५० परसेन्ट राजस्थान सरकार देती है और ५० प्रतिशत इसका खर्चा मध्यप्रदेश सरकार दे रही है। इस खर्च के बाद जो मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों को इन प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए आरम्भ से ३० परसेंन्ट प्रोजेक्ट अलाउन्स के नाम से दिया जाता रहा है। लेकिन इसके विपरीत राजस्थान सरकार ने जो कि इस

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

योजना के ऊपर मध्यप्रदेश सरकार के बराबर खर्चा देती है तो अपने कर्मचारियों को वह केवल २० परसेंन्ट प्रोजेक्ट अलाउन्स देती थी और सन् ५५ के तहत सरकार ने तय किया कि हम सन् ५५ से जो कर्मचारी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं उनको २० परसेंन्ट प्रोजेक्ट अलाउन्स देंगे। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि यह २० परसेन्ट जो प्रोजेक्ट अलाउन्स देते थे यह भी राजस्थान सरकार ने सन् ६१ से बन्द कर दिया। १ जुलाई, ६१ से इस प्रोजेक्ट अलाउन्स में जो परसेन्ट था उसको घटाकर केवल १० परसेन्ट कर दिया और उसी आदेश के अन्दर राजस्थान सरकार ने आदेश दिया कि १-३-६२ से यह प्रोजेक्ट अलाउन्स बिलकुल समाप्त कर दिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, इसका २ जून १९६१ को जो राजस्थान सरकार ने सरकुलर निकाला. उसके अन्दर दोनों आदेश थे कि १-७-६१ से जो अभी तक २० परसेन्ट प्रोजेक्ट अलाउन्स मिलता था वह २० परसेन्ट नहीं दिया जाकर केवल १० परसेन्ट दिया जायेगा और दूसरा आदेश दिया कि १-३-६२ से यह प्रोजेक्ट अलाउन्स बिलकुल समाप्त कर दिया जायेगा। तो इस संशोधन के आने के बाद से ही जो सारे कर्मचारी थे रेगुलर सर्विस में उन्होंने अपना रिप्रेजेन्टेशन राजस्थान सरकार के सामने पेश कर दिया- यह रिप्रेजेन्टेशन अध्यक्ष महोदय, सन् ६१ से अभी तक सरकार के सामने पेन्डिंग है। सन् ६१ से लेकर सन् ६६ होने को जा रहा है-५ साल बीतने को जा रहे हैं-लेकिन राजस्थान सरकार ने उन कर्मचारियों को अलाउन्स दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, इसके बारे में कोई निर्णय नहीं लिया। यहाँ तक हुआ कि जब से यह लोग ४८ घन्टे के धरने पर बैठे हैं तब से लेकर आज तक बीच में इनके रिप्रेजेन्टेटिव चीफ मिनिस्टर फाईनेन्स मिनिस्टर और इर्रिगेशन मिनिस्टर से मिले। उन्होंने इन रिप्रेजेन्टेटिवज को समय समय पर सान्त्वना दी कि हम आपके बारे में जल्दी ही निर्णय लेने वाले हैं। लेकिन स्थिति यह है कि ५ साल के बाद भी राजस्थान सरकार ने अपने कर्मचारियों को कोई सूचना नहीं दी है कि आया सरकार प्रोजेक्ट अलाउन्स को स्वीकार करने के लिए तैयार है या नहीं और मैं सोचता हूँ कि आज से वह हड़ताल पर बैठ गये होंगे? अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया कि इस सारे खर्चे के लिए ५० प्रतिशत तो मध्यप्रदेश सरकार देती है और वह अपने कर्मचारियों को ३० परसेन्ट प्रोजेक्ट अलाउन्स दे रहे हैं और आश्चर्य यह है कि गांधीसागर डैम अब वह सारा का सारा मेन्टीनेन्स में आ गया। मेन्टीनेन्स में आ जाने के बाद भी मध्यप्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों को हैडक्वाटर्स पर भी अभी तक ३० परसेन्ट प्रोजेक्ट अलाउन्स दे रही है। लेकिन हमारी सरकार जो कि खर्चे को बिलकुल ५० परसेन्ट बीयर करती है और जहां इर्रीगेशन है वहां पॉवर के लिए भी है। तो यह जो खर्चा ५० परसेन्ट का है इसमें २५ परसेन्ट राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को देना पड़ता है और २५ परसेन्ट इर्रीगेशन डिपार्टमेन्ट को देना पड़ता है। वह इर्रीगेशन डिपार्टमेन्ट अपने कर्मचारियों को जिनकी कि अजीब प्रकार की सर्विसेस हैं, सारा का सारा डिपार्टमेन्ट टेम्पोररी है, यहां तक अध्यक्ष महोदय हो रहा है कि लोगों की सर्विसेज की कोई

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

मिक्योरिटी नहीं है और उनका रिट्रेन्चमेन्ट हो जाता है तो वह एज बार हो जाते हैं गवर्नमेन्ट सर्विस के लिए, और इस वजह से उनको दूसरी नौकरी नहीं मिल सकती है, फिर वह ओवर टाइम काम करते हैं, स्पेशल फीचर्स के सारे काम हैं और केवल यह प्रोजेक्ट अलाउन्स भी ऐसा अट्रेक्शन था कि जिसके कारण लोग इस सर्विस में आये। लेकिन अचानक सन् ५५ से ६१ तक जो सरकार प्रोजेक्ट अलाउन्स की मान्यता को स्वीकार करते हुए २० परसेन्ट उनको प्रोजेक्ट अलाउन्स देती है और बीच में उसको १० परसेन्ट कर दिया और अब अचानक उसको बन्द कर दिया है। मैं समझता हूं कि इसका औचित्य क्या हो सकता है इसको राज्य सरकार स्वयं अपनी तरफ से बतायें ?

इसके अलावा जो कोटा हैडक्वाटर्स पर चम्बल वर्कशाप है या दूसरे डिपार्टमेन्ट्स हैं और वहां वर्कचार्ज पर जो मजदूर काम करते हैं, अध्यक्ष महोदय, वर्कचार्ज पर काम करने वाले मजदूरों ने ट्रिब्यूनल के सामने यह मामला पेश किया और ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया कि जो वर्कचार्ज पर काम करने वाले मजदूर हैं उनको भी सरकार को प्रोजेक्ट अलाउन्स देना पडेगा। तो जहां एक ओर यह सरकार के सामने फैसला है वर्कचार्ज पर काम करने वाले मजदूरों को सरकार प्रोजेक्ट अलाउन्स देने के लिए बाध्य है तो समझ में नहीं आता कि राजस्थान सरकार किन कारणों पर किस आधार पर इन कर्मचारियों को प्रोजेक्ट अलाउन्स देने के लिए तैयार नहीं है, और मैं अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आज असंतोष जोरदार दिखाई दे रहा है। सरकारी कर्मचारियों में भी असंतोष बढ़ता चला जा रहा है। भिन्न भिन्न समय पर उन्होंने अपनी मांगें रखी हैं और ऐसा प्रोजेक्ट अलाउन्स, जो कि उनको मिलना चाहिए, अगर नहीं दिया गया तो यह असंतोष बढ़ सकता है। इसलिए सरकार को चाहिये कि प्रोजेक्ट अलाउन्स को तुरन्त दे।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषिमन्त्री): अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव जो अभी प्रस्तुत करने की आपने इजाजत नहीं दी फिर भी जो फैक्ट्स प्रोजेक्ट अलाउन्स के बारे में माननीय सदस्य ने रखे- वैसे तो हमारे सिंचाई मन्त्रीजी यहां पर मौजूद नहीं हैं और यह भी सूचना तुरन्त दी गयी है क्योंकि कुछ दिनों पहले यह सिंचाई विभाग मेरे पास ही था....

श्री कृष्णकुमार गोयल : आप उत्तर दें उसके पहले एक सूचना दे देता हूं उसको भी आप क्लियर कर सकें तो अच्छा रहेगा क्योंकि सारे प्रश्न आप के समय के हैं, इस लिए आपको जानकारी होगी। लेकिन यह सारे केसेज फाईनेन्स डिपार्टमेंट तक पहुंच चुके हैं और मुझे ख्याल आता है कि कुछ निर्णय भी लिया गया है या लिया जाने वाला है तो उनको भी जानकारी हो तो आप बता दें।

श्री नाथूराम मिर्धा : वह भी मुझे मालूम है। आप कल कहें तो मैं पूरी जानकारी करके जवाब दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : पूर्ण जानकारी आने के पूर्व यदि मन्त्री महोदय कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि प्रोजेक्ट अलान्स के बारे में जो बुनियादी सिद्धान्त है वह यह हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट पर जो कर्मचारी ऐसी हार्ड कन्डीशन्स में जहां कि दूसरे लोगों से भी ज्यादा मुसीबत में काम करना पड़ता है उन लोगों के लिए यह प्रोजेक्ट अलाउन्स के नाम से कुछ विशेष तौर से परसेन्टेज के हिसाब से तनख्वाह देते हैं । इसमें चाहे वर्कचार्ज कर्मचारी हों या किसी भी दर्जे के हों विशेष परिस्थितियों में जो मुश्किल परिस्थिति हैं, जिनको जंगलों में रहना पड़ता है, प्रोजेक्ट के पास रहना पड़ता है, जहां नार्मली बच्चों के एजूकेशन की व्यवस्था नहीं है, दूसरे प्रकार की कठिनाइयां हैं-ऐसे कर्मचारी चाहे वह किसी भी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हों उन लोगों को प्रोजेक्ट अलाउन्स देने की व्यवस्था है । परन्तु उस प्रोजेक्ट अलाउन्स के साथ में कुछ कर्मचारी जिनके कि हैड आफिस या दफ्तर ऐसे शहर में या ऐसी जगह मौजूद हैं जहां उन लोगों को सभी प्रकार की सुविधायें प्राप्त हैं, जो कि दूसरे विभाग के कर्मचारियों को जो कि उस शहर में रहते हैं उनको जो सुविधायें उपलब्ध है वह भी उस प्रोजेक्ट के कर्मचारियों को उपलब्ध हैं तो कुछ केटेगरी के लोगों ने अपने क्लेम्स पेश किये थे सरकार के सामने । सरकार उन सारे क्लेम्स को जिन लोगों को प्रोजेक्ट अलाउन्स नहीं मिल रहा है इस वजह से कि प्रोजेक्ट में जो दिक्कत वहां पर लोगों को होती है वह दिक्कत इन्हें नहीं है और वे ऐसी कन्डीशन्स में रह रहे हैं जहां पर दूसरे विभागों के लोग भी उसी हालत में रह रहे हैं । ऐसी हालत में प्रोजेक्ट अलाउंस के नाम पर या और किसी प्रकार के नाम पर उन्हें कम्पन्सेशन के रूप में कुछ दिया जाय जो कि एक्चुअल प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहे हैं तो यह सम्भव नहीं है और इस बात से फाईनेंस डिपार्टमेंट की सहमति नहीं हुई । इस प्रकार की केटेगरी के जो लोग थे और इन परिस्थितियों में रह रहे थे उनके लिए फाईनेन्स डिपार्टमेंट ने यह कहा कि यह प्रोजेक्ट अलाउंस पाने के हकदार नहीं है और इन लोगों को प्रोजेक्ट अलाउंस नहीं दिया जा सकता और जो प्रोजेक्ट अलाउंस पाने के हकदार हैं और जो उन परिस्थितियों में काम करते हैं उनको वह अलाउंस बराबर मिल रहा है । जो वास्तव में प्रोजेक्ट में रह रहे हैं और वहां पर काम कर रहे हैं उनको प्रोजेक्ट अलाउंस नहीं मिल रहा हो तो उनके मामलों पर विचार किया जा सकता है और उनको प्रोजेक्ट अलाउंस दिया जा सकता है । यहां तक ही फाईल मेरे सामने थी और मैं इस सारे मसले को डील कर रहा था, उस स्थिति में यह सारा केस चल रहा था । उसके आगे क्या डवलपमेंट हुआ और उसके बारे में क्या कार्यवाही हुई, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है । आपने कहा कि पचास प्रतिशत तो मध्यप्रदेश सरकार देगी और पचास प्रतिशत ही राजस्थान सरकार को ही देना होगा और इससे राजस्थान सरकार पर बोझ

Page No. 50

(श्री नाथूराम मिर्धा)

भी कम आता है। इस मसले को चम्बल कण्ट्रोल बोर्ड के अन्दर भी डिस्कस किया गया था और आखिर जो पैसा है वह चाहे मध्यप्रदेश का हो, चाहे भारत सरकार का हो, चाहे राजस्थान सरकार का हो, उसका श्रोत जनता का पैसा ही है और उस श्रोत में हम पैसे का किस प्रकार से समुचित उपयोग कर सकते हैं यह देखना पड़ता है। अगर इनकी मांग मान ली जाय तो इन्हीं परिस्थितियों में रहने वाले और लोग भी हैं, जो कोटा में रहते हैं और दूसरे महकमों में काम करते हैं उन्हें हम किस प्रकार का अलाउंस नहीं देते हैं। अगर राणाप्रताप सागर या कोटा डेम या प्रोजेक्ट से सम्बन्धित लोग कोटा के अन्तर रहते है, कोटा की स्थितियों में रहते हैं और उन्हें वह सुविधाएं उपस्थित करा दी जाती हैं जो प्रोजेक्ट पर मिलती हैं तो फिर दूसरे लोग भी यह क्लेम कर सकेंगे कि हमको भी यह सुविधाएं मिलनी चाहिए, हम भी कोटा में रहते हैं। हम भी उन्हीं दफ्तरों में बैठे हैं जो प्रोजेक्ट के दफ्तरों कोटा में बैठे हैं। इस प्रकार की कई कठिनाइयाँ फाइनेन्स डिपार्टमेंट के सामने और चम्बल कन्ट्रोल बोर्ड के सामने और विभाग के लोगों के सामने पैदा हुई और इन पर जो विचार–विमर्श हुआ उसके बाद यह निर्णय हुआ कि इन लोगों को प्रोजेक्ट अलाउंस के रूप में कुछ नहीं दिया जा सकता। इसके बाद में कुछ लोग यह कहें कि या तो हमको प्रोजेक्ट अलाउन्स दो नहीं तो हम धरणा देंगे। हड़ताल करेंगे या और कोई मेथड अडोप्ट करेंगे तो मैं बहुत नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि इन मेथड्स को अडॉप्ट करके कोई समस्या, जिसका कि कोई रीजनेबिल बेस नहीं हो, हल करवाना न तो उचित ही होगा और न इन तरीकों को अपनाना ही उचित होगा। अब आगे इस केस में कोई तरक्की हुई तो वह मेरी जानकारी में नहीं है। इस बारे में मैं और कुछ जानकारी नहीं दे सकता, सम्बन्धित मन्त्री महोदय ही बता सकेंगे।

श्री अध्यक्ष : सम्बन्धित मन्त्री महोदय बतायेंगे।

कुछ स्थगन प्रस्ताव और भी हैं। अगर माननीय सदस्य चाहें तो उन पर आज उल्लेख न करके कल इनका उल्लेख किया जाय।

(१.१५ म. प.)

अन्य स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा जो स्थगन प्रस्ताव है वह उन अध्यापकों से सम्बन्धित है जो आज यहां धरणा देने वाले हैं।

श्री अध्यक्ष : जी हां, वह भी है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा जो स्थगन प्रस्ताव है वह मजदूरों की हड़ताल से सम्बन्धित है। उनको पूरे बारह दिन हो गए हैं और उन भूख हड़तालियों में दो की स्थिति बहुत ही गम्भीर हो चुकी है। उनका जीवन खतरे में है एक का जीवन तो बहुत ही संकटमय अवस्था में है।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : मेरा भी स्थगन प्रस्ताव है अध्यक्ष महोदय, उसके सम्बन्ध में सूचना भी सरकार के पास आई है, वहां पर हड़ताल चल रही है....

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि कुछ स्थगन प्रस्ताव जो ऐसे महत्वपूर्ण हैं, उन प्रस्तावों पर माननीय सदस्य विचार रख दें और सम्बन्धित मन्त्री महोदय कल या परसों उत्तर दे देंगे ।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : मेरा भी एक स्थगन प्रस्ताव है अध्यक्ष महोदय ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : स्थगन प्रस्ताव पेश करने के नियम हैं । यह प्रस्ताव कितने दिनों पहले आ जाना चाहिये और उसका जवाब कितने दिनों में दिया जाय, इसके नियम हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य नियमों की बात उठाते हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि जो अधिकांश प्रस्ताव हैं वे इस प्रकार हैं कि जो सम्भवतः माननीय सदस्य प्रश्न के रूप में पूछना चाहते थे और प्रश्न के रूप में ही पूछे जाते तो ज्यादा उपयोगी रहते, लेकिन वह तो कर नहीं पाए और अब दो लाईन लिखकर दे दी । उनकी प्रतिलिपियां नियमानुसार दी जातीं मन्त्रियों को या मुझे या सेक्रेट्री महोदय को और फिर उन पर कार्यवाही की जा सकती थी । इसलिए नियमों की बात करें तो तरीके से ही कर सकते हैं, फिर भी माननीय सदस्यों की जो भावनायें हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए ही यहां पर विचार किया जा रहा है । जिन प्रस्तावों को यहां पर विचारार्थ पेश किया जाएगा केवल वही प्रस्ताव स्वीकार किए जाने काबिल माने जायेंगे जिनका कि सदन में कुछ उल्लेख किया जाएगा । जिन मामलों को मैं अहम समझता हूं, उनके लिए मैं स्वतः ही उन मामलों को किसी न किसी तरीके से माननीय सदस्यों के बोलने के लिए प्रस्तुत कराने का प्रयास कर रहा हूं । अगर माननीय सदस्य अपने प्रस्तावों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं तो उसकी अहमियत के बारे में मुझे संतोष करा दें तो मैं उनके बारे में कोई न कोई करूंगा, अन्यथा यही मान लिया जाए कि वे अस्वीकृत हो गए हैं और उनका सदन में उल्लेख करने की इजाजत नहीं है । इसलिए यही व्यवस्था रहेगी । जो स्कूल के अध्यापकों के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव है और जिसे माननीय सदस्या रामानन्द अग्रवाल, कृष्ण कुमार गोयल और जोधसिंह ने रखा है उसके बारे में चाहें तो वे कुछ शब्द बोल सकते हैं ।

(१.१७ म. प.)

सिकराय पंचायत समिति के अध्यापकों द्वारा धरना विषयक स्थगन प्रस्ताव

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यापकों के धरने के सम्बन्ध में ?

श्री अध्यक्ष : जी, हां ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, सिकराय पंचायत समिति के मानपुर थाने में दो अध्यापक, श्री हनुमान दास और किशनलाल को लगभग एक महीना हुआ तब बुरी तरह से थाने में पिटाई की गई । उसकी घटना इस प्रकार है अध्यक्ष

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

महोदय, कि उस स्कूल में जिस स्कूल में ये टीचर्स हैं वहां के सरपंच का लड़का जो वहाँ पर कुछ दूध, सूखा दूध बांटने के लिए आता है, उस दूध को मांगने के लिए, अपने घर में इस्तेमाल करने के लिए अध्यापक से मांगने आया और उसने अध्यापक से दूध मांगा तो अध्यापक ने वह देने से इन्कार कर दिया। इस पर सरपंच साहब नाराज हो गए और सरपंच साहब ने उनको यह धमकी दी कि तुम इस तरीके का रवैया रखकर अपने इस गांव में अध्यापक नहीं रह सकोगे।

उसके बाद वहां उस स्कूल में जहां कि दूध के बड़े बड़े पैकेट्स रखे गए थे उनमें से एक बड़े पैकेट की रात्रि के समय जब कि वह स्कूल के टीचर्स सिकराय चले जाते हैं उसकी चोरी हो जाती है। उसकी रिपोर्ट मानपुर थाने के अन्दर इन टीचर्स की तरफ कर दी जाती है। इस पर कोई एक्शन नहीं होता और तीन दिन के बाद वहां से बाकी जो भी रखे गए थे पैकेट्स, उनकी भी चोरी हो जाती है और फिर उनकी तरफ से रिपोर्ट वहां पर की जाती है और सारी घटना बताई जाती है कि इस तरीके से यह चोरियां हुई हैं। वहां उस स्कूल में जो हैडमास्टर थे, वहां पर एक हैडमास्टर और एक दूसरे टीचर हैं, उनकी थाने में बुला कर पिटाई की गई और पहले तो हैडमास्टर की पिटाई करके उसको जो छोड़ दिया गया और दूसरे टीचर को यह कहा गया कि तुम हैडमास्टर का नाम ले लो कि इसने चोरी कराई है और उसको बुरी तरह से वहां पर पीटा गया और इस तरह से उनकी बुरी तरह से दुर्गति वहां पर की। यह घटना अध्यक्ष महोदय, वहां पर हुई है और यह उनका कहना है कि सरपंच ने, जिन्होंने कि, सरपंच को दूध नहीं दिया था, उसके बच्चे को दूध नहीं दिया गया, इन अध्यापकों पर वे सरपंच साहब नाराज हो गए और उन्होंने थानेदार के साथ मिलकर यह सारी की सारी घटना की है।

अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गम्भीर मामला है। एक तो नाजायज तरीके से स्कूल में जो बच्चों के दूध आए उसको मांगने की कोशिश की जाय, उसको न दें तो फिर वहां चोरी कराई जाय सरपंच के द्वारा और फिर थाने के अन्दर रिपोर्ट दर्ज करायें तो चोरों के खिलाफ कुछ न हो और जो शिकायत करने वाले हैं उन्हीं की इस तरीके से दुर्गति की जाय, उनको चोर बनाने की कोशिश की जाय और उनकी बुरी तरह से पिटाई हो अध्यक्ष महोदय, वह साधारण नागरिक भी नहीं, स्कूल के अध्यापक हैं उस गांव में बाकायदा उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार हो यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है।

इसकी शिकायत ऊपर के अधिकारियों को भी की गई। वहां पर जांच के लिए एस० पी० साहब गये बतलाये। उन्होंने जांच करने के बाद प्रिलिमिनरी तौर पर थानेदार को दोषी पाया। इसके बावजूद उसे मुअत्तिल नहीं किया गया। उस सरपंच के खिलाफ कोई केस रजिस्टर नहीं किया गया। केवल तुष्टिकरण के लिए थानेदार को लाइन में हाजिर कर दिया गया।

इसके लिए राजस्थान के शिक्षक संघ ने भी सीरियसली विचार किया। उसने

Page No. 53

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

सरकार को एप्रोच किया कि उस थानेदार को मुअत्तिल किया जावे, सरपंच को भी मुअत्तिल किया जावे और उनके खिलाफ मुकद्में दर्ज करके कार्यवाही की जावे। अब अध्यक्ष महोदय, अभी तक कोई कार्यवाही सरकार ने नहीं की है। तंग आकर शिक्षकों ने सरकार को नोटिस दिया है कि यदि २० तारीख तक कोई कार्यवाही नहीं की तो उनको सरकार के सामने धरना देना पड़ेगा। आज बीस तारीख है और आज से मजबूर हो कर उनको धरना यहां विधान सभा के सामने पड़ रहा है।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में पुलिस का इस तरह का रवैया व्यापक तौर पर बनता जा रहा है। पुलिस के अधिकारी बजाय इसके कि अपराधो को दोषी को पकड़ें उनके खिलाफ कार्यवाही करें, वे उल्टे उनसे मिले हुए हैं, बैड करक्टर के लोगों से लिले हुए हैं और आम जनता पर आतंक जमाने की कोशिश करते हैं। इस तरह की घटनाएं बार बार हम आपके सामने लाये हैं। इस विधान सभा के माध्यम से भी सरकार से ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एक्सन लेने के लिए कहा है। लेकिन हर मामले में यही देखा गया है कि एक्सन लेने के बजाय लीपापोती करने की ही कोशिश की गई है। स्थिति आज यहीं तक नहीं रह गई है। कभी किसी अखबार के साथ इस तरह की घटना होती है, कभी किसी चुने हुए प्रधान के खिलाफ घटना होती है। अभी दूसरे भी इस प्रकार अनेकों एडजोर्नमेंट मोशन आपके सामने आवेंगे।

खण्डेला के प्रधान, श्री गोपालसिंह के खिलाफ घटना हुई। इसी तरह की राजस्थान भर की घटनाओं को इकठ्ठा करें तो बहुत बड़ी लिस्ट बन सकती है। और इन सब घटनाओं के खिलाफ कडाई का रूख लेकर आप इनको रोकेंगे नहीं, जो जो पुलिस अफसर इस तरह के कारनामे करते हैं उनके खिलाफ कड़ा एक्सन लेंगे नहीं तब तक इन सब चीजों को आप रोक नहीं पावेंगे। ऐसा मालूम पड़ता है कि राजस्थान सरकार अकर्मण्य हो गई है और उनकी आपसी गुट्टबाजी के कारण इन सरकारी अधिकारियों को और भी ज्यादा बल मिल गया है। वे विरोधी पक्ष के खिलाफ या विरोधी गुट्ट के खिलाफ कुछ भी कर डालें। उन अधिकारियों को जिस तरह से शह मिलती है उससे वे यह महसूस करते हैं कि एक पर्टीकूलर गुट्ट से मिलकर दूसरे को कुचल दो, इन मिनिस्टरों को तुम्हारी इस समय मदद की जरूरत है, और इसलिए इस तरह की घटनाएं राजस्थान में हर जगह पर हो रही हैं। यह मानपुरा की घटना उसी घटनाक्रम की एक कड़ी है। मुझे पता नहीं ये सरपंच महोदय किसी गुट्ट विशेष से सम्बन्धित हैं या नहीं। पर इतना सही है कि निश्चित तौर से राजनैतिक नेताओं का हाथ इन पर है और इसी कारण उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नही हो रही है।

अगर ऐसा ही है तो जैसी मुझे सूचना मिली है तमाम शिक्षक वर्ग इसको अपना इश्यू बनावेगा और इससे एक सीरियस प्रोब्लम सरकार के सामने पैदा होगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि यह केवल शिक्षक वर्ग का ही प्रश्न नहीं है।

Page No. 54

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

यह तमाम राजस्थान के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा का सवाल है, उनकी इज्जत और अधिकारों का सवाल है ।

(१.२५ म० प०)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष पदासीन)

अन्त में मैं यही निवेदन करूंगा कि इन सब बातों को ध्यान में रख कर सरकार इस बारे में सतर्कता से काम ले और दोषी को पकड़ कर उनके खिलाफ एक्शन लें ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे यह स्थगन प्रस्ताव पंचायत मन्त्री से सम्बन्ध रखता है, पर साथ साथ शिक्षा मन्त्रीजी और गृह मन्त्रीजी पर भी इसका दायित्व आता है ।

इस मामले में एक प्रश्न आता है कि आज जहां देश और प्रदेश में शिक्षक को जो सम्मान, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वे दुर्भाग्य से उनको प्राप्त नहीं हो पा रही है, बल्कि इसके विपरीत स्थिति यह उत्पन्न हो रही है कि आज उनको बिलकुल उपेक्षा की दृष्टि से देखा जा रहा है, खासकर प्राइमरी स्कूल के शिक्षक को ।

आज वह गरीब प्राइमरी स्कूल का अध्यापक आर्थिक दृष्टि से अपना कोई स्तर बना कर नहीं रह सकता और स्तर की पूजा करने वाली आज की समाज में वह सम्मान नहीं पा सकता । जो शिक्षा देने के कारण पुराने युग में उसको गुरु का सम्माननीय पद प्राप्त था वह उसको आज नहीं मिल रहा है ।

साथ ही पंचायतों का भी यही हाल है । लोकतन्त्र में आज जो सम्माननीय स्थान पंचायतों को और उसके पंचों, सरपंचों को मिलना चाहिये, जो पहले मिला हुआ था, वह आज नहीं मिल रहा है । वे आज वह आदर्श भी स्थापित नहीं कर पा रहे हैं जो प्राचीन पंचायत राज ने स्थापित किया था जब कि वे बड़े से बड़ा निर्णय स्वतः करती थीं और उसका पालन भी करवाती थीं । आप यह भी देखें कि किसी दलगत राजनीति के कारण कोई सरपंच बेजा संरक्षण न प्राप्त करें । उस संरक्षण से पंचायत राज संस्थाएं बदनाम होंगी ।

जैसे अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने सारी घटना का विस्तार से उल्लेख किया है, पर खेद है कि उसकी कोई उचित जांच की जाकर दोषी को दण्ड आज भी नहीं दिया जा रहा है । इसके बदले उन गरीब मास्टरों को पकड़ कर लातों और डण्डों से पीटा गया । मैं समझता हूँ यह किसी भी सरकार के लिए कलंक है । इस पर सरकार यह ढोंग रचती है कि वह शिक्षक वर्ग का सम्मान करती है मानो जले पर नमक छिड़क रही हो । यह घटना १७ अगस्त की है । पर आज तक उस थानेदार के खिलाफ सिवाय इसके कि उसे लाइन में भेज दिया और कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, न सरपंच के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का सरकार का इरादा

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

दिखाई देता है। आज तक न थानेदार न सरपंच ही सस्पेण्ड किये गये हैं। और जैसी कि मुझे जानकारी मिली है अभी तक अध्यापक वर्ग है वह केवल इसीलिए शान्त है कि जिस समय उस थानेदार को, लाइन पर हाजिर किया गया तो उनको विश्वास दिलाया गया था कि १ महीने के अन्दर अन्दर थानेदार के खिलाफ कार्यवाही करके उसको डिसमिस या मोअत्तिल कर दिया जायेगा और सरपंच के भी खिलाफ कार्यवाही करके उसको सस्पेन्ड या डिसमिस कर दिया जायगा, लेकिन आजतक कार्यवाही नहीं की गई। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह पहली घटना नहीं है कि राजस्थान के किसी सरपंच ने थानेदार के संरक्षण के अन्दर किसी अध्यापक के साथ मार-पीट हुई हो। यह इस प्रकार की पहली घटना नहीं है। मैं, पंचायत मन्त्री जी, आपको यह याद दिलाना चाहता हूँ कि जिला कोटा के अन्दर पंचायत समिति सुलतानपुर के अन्दर कोटड़ा भीमसिंह के सरपंच ने जो अध्यापक के साथ में इस प्रकार की मार-पीट की थी और इतनी भयंकर मारपीट की थी कि उस अध्यापक को शफाखाने में १५–२० दिन तक इलाज के लिए पड़ा रहना पड़ा, बड़ी मुश्किल से उनकी जान बची है उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई न सरपंच के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई, न उस थानेदार के खिलाफ, जिसके पास कि रिपोर्ट करने को गये थे तो उस थानेदार ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की और मामले को तो टाल दिया तो वहां धरने की नौबत आई। भूख-हड़ताल कलेक्टर के कार्यालय के सामने की गई तब जाकर सरकार ने उस सरपंच को गिरफ्तार किया और थानेदार को दो दिन के लिए सस्पेन्ड करके, जैसे ही धरना व सत्याग्रह खत्म हुआ, उसको वापिस रिइन्स्टेट कर दिया, और आज तक, उपाध्यक्ष महोदय, उस सरपंच को सजा देना तो दूर रहा, उस अध्यापक को राहत देना तो दूर रहा—स्थिति यह हुई कि उस अध्यापक के साथ ही नहीं उस पंचायत समिति के क्षेत्र के जितने अध्यापक थे उनके सारों के ट्रांसफर कर दिए गए और उस पंचायत समिति के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि किसी को छबड़ा और किसी को छीपा बड़ौद जो कि रियासत के जमाने में काला पानी कहलाता था, ऐसे स्थानों पर उनका स्थानान्तरण किया गया। पंचायत समिति के सुलतानपुर के सरपंच, कोटड़ा भीमसिंह के बारे में जिन्होंने कि इन अध्यापकों के साथ मार-पीट की थी कोई कार्यवाही नहीं की गई। यहां तक कि धरने की नौबत आई और अध्यापक [illegible] मन्त्री श्री शेखावत कोटा के कलेक्टर के कार्यालय के सामने भूख हड़ताल पर बैठे रहे—तब जाकर उनको गिरफ्तार किया गया, तब जाकर थानेदार को सस्पेन्ड किया गया। लेकिन उसके तुरन्त बाद ही सरपंच के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। सरपंच के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की और उस थानेदार को तीन दिन के बाद रिइन्स्टेट कर दिया गया और उन बेचारे सारे के सारे अध्यापकों का, उपाध्यक्ष महोदय, परिवर्तन कर दिया गया ६०–७०, ८०–९० मील दूर, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या इसी आधार पर आप शिक्षकों को जिनको सबसे कम तनख्वाह मिलती है, क्या आप शिक्षकों के प्रति इस

Page No. 56

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

बर्ताव के द्वारा उनके मन में जो स्थान होना चाहिये विद्यार्थियों के मन में कायम करवा सकते हैं ? मैं सोचता हूँ कि इस सारे विषय को गम्भीरता से लेंगे।

इसमें तीनों मन्त्रियों का उत्तरदायित्व आ गया है–पंचायत मंत्री, शिक्षा मंत्री जी और गृह मन्त्री जी। मैं कहता हूं कि इस बारे में तीनों विभाग एक समन्वय पर पहुँचे और आपस में बैठकर कोई निर्णय लें तब मैं मानूंगा कि इस विषय पर आप सफल निर्णय ले सकते हैं। आज अध्यापक लोग धरने की ठाने हुए हैं। आज शाम से ही वे दो अध्यापक जिनके साथ मारपीट की थी थानेदार और सरपंच ने और जिनको कि आज तक इन्साफ नहीं मिला है–श्री हरनामदास और श्री किशनलाल, पंचायत समिति सिकराय, ये दोनों जो अध्यापक हैं वे आज शाम से ही विधान सभा के सामने धरना देने वाले हैं। मैं समझता हूँ कि आप ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने दें कि बाकी का जो अध्यापक वर्ग है सारे राजस्थान का वह इकट्ठा होकर इस प्रश्न को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर विस्तृत रूप में आपके सामने रखें। उस स्थिति को टालने के लिए आवश्यक है कि सरपंच को मौअत्तिल किया जाय और थानेदार को मौअत्तिल किया जाय और दूध की चोरी के सिलसिले में जो मामला स्पष्ट होना चाहिये या उसकी तफ्तीश की जाय।

श्री निरन्जननाथ आचार्य (गृह मन्त्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह जैसा कि माननीय सदस्य ने फर्माया कि यह तीन मंत्रियों के बीच का है और आज ही यह स्थगन-प्रस्ताव आया है जिसका मुझसे सम्बन्ध न होकर शिक्षामंत्री जी से है। फिर भी माननीय सदस्य को यह विश्वास दिला सकता हूं जैसा कि उन्होंने कहा कि इसकी एन्क्वायरी हुई है और एन्क्वायरी के फलस्वरूप थानेदार को लाइन पर हाजिर होने का आदेश हुआ, क्योंकि मामला कठिन हो चुका है और जांच होने को थी, लेकिन मैं विश्वास दिला सकता हूँ कि उसमें थानेदार के साथ कोई सहूलियत बरती गई हो और उसके विरुद्ध जांच में पर्याप्त शहादत हो तो मैं किसी तरह की रियायत नहीं रखूंगा। आज ही मैंने आदेश दिया है कि जो एन्क्वायरी की गई है–एस० पी० या डी०आई०जी० के द्वारा वह पेश की जाय। मैं उस एन्क्वायरी को तलब कर रहा हूं। इस एन्क्वायरी से मुझे सन्तोष नहीं हुआ तो चूंकि यह अध्यापक की प्रतिष्ठा का प्रश्न है जिस अध्यापक की प्रतिष्ठा को हम स्वयं आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि समाज में उसका विशेष स्थान हो। अगर उस एन्क्वायरी में मैंने कुछ खामियां देखी और मुझे असन्तोष हुआ कि ठीक तरह से जांच नहीं हुई तो दुबारा उसकी जांच नये निष्पक्ष अधिकारी के माध्यम से इस प्रकार से कराने का प्रयत्न करूंगा कि जिससे मुझे संतोष हो जाय, क्योंकि मेरी जानकारी में कोई इसके तथ्य नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, और आज ही यह प्रस्ताव मेरे पास आया है और आपसे जानकारी मिली है इसलिये इस प्रश्न पर आज ही निर्णय नहीं ले सकता। मैं सिर्फ इतना ही विश्वास माननीय सदस्य को दिला सकता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्रीजी की जानकारी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

में यह बात लाना चाहता हूं कि यह तथ्य सामने हैं और उस एन्यवायरी में आप देखेंगे तो पता लगेगा कि उन अध्यापकों को दूसरे दिन सवेरे रिहा किया गया और उनसे कोई जमानत नहीं ली गई। उनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड नहीं किया गया। इसलिए यह इस बात का साफ सबूत है कि उनके खिलाफ कोई केस नहीं था।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैं और एडिशनल एवीडेन्स कोई इधर-उधर से प्राप्त करूंगा मैं विश्वास दिलाता हूं कि इसमें कोई लहतलाली नहीं करूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह बात साबित है कि उनको पीटा गया है? थानेदार को किस बिना पर लाइन हाजिर किया गया है? कोई न कोई चीज उसके खिलाफ पाई गई है तभी तो उसको लाइन हाजिर किया गया है। मैं यह आश्वासन चाहूंगा कि अगर यह साबित हो जाए कि उनको पीटा गया है तो उस पुलिस ऑफिसर को निलम्बित करके उसके खिलाफ केस रजिस्टर्ड करके आप कार्यवाही करेंगे यह कम से कम आश्वासन दें।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : जो सरपंच साहब इसमें शरीक है और इस प्रकार से उन्होंने अपने बच्चे को बचाने का प्रयास किया है और कर रहे हैं और उन्होंने दूध दिलयाया है, तो मन्त्री महोदय इस बात का विश्वास दिलाये कि अगर वह व्यक्ति दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सारी स्थिति को समझता हूं। अगर सरपंच का इसमें सम्बन्ध है, उनके एबेटमेंट से इस तरह का अपराध या इस तरह की घटना हुई है, तो सरपंच साहब ही नहीं और साहब भी कोई हों, दूर के हो या नजदीक के हो जिनके सम्बन्ध में कोई प्रमाण है तो उनके खिलाफ कार्यवाही निश्चित होगी।

दूसरा आपने कहा जैसे सजा के सम्बन्ध में, तो जितनी कानूनी कार्यवाही इस सम्बन्ध में करना है, और पीटा जाना साबित हो गया तो थानेदार के खिलाफ कोई वजह नहीं कि पैनल कोड अपनी कार्यवाही नहीं करेगा। इसलिए मैं, जैसा कि मैंने निवेदन किया है, इस प्रश्न पर तथ्यों के आधार पर, सरकम्स्टान्सेज के आधार पर जो कुछ भी जुर्म इस पर बनता है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि शहादत के आधार पर जो कुछ भी कदम कानूनी होगा वह लिया जायगा, और मैंने फिर निवेदन किया था माननीय सदस्य को जानकारी देने का। यदि फिर भी कोई लेकुना रह गया है, एलिगेशन्स का इम्पार्शियल एप्रोच नहीं किया गया है, तो मैं अलग स्वतंत्र अधिकारी से जांच करवा कर निर्णय लूंगा। उससे ज्यादा कोई मेरे पास शहादत होती तो मैं आज सदन को विश्वास दिला देता।

कृष्णकुमार गोयल : इसमें आज आपने जो आश्वासन दिया है उसके लिए हम आभारी हैं कि आपने कोई बात स्वीकार की है, लेकिन सारी बातें देख कर दूसरी जांच करवानी है, क्या कदम लेंगे–डिटेल्स में जानकारी क्या आप सदन को कल दे सकेंगे?

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय में काफी कह चुके हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अभी जो आपने रिप्लाई दिया है वह आफ हैंड दिया है, केस की सूचना आपको नहीं मिली है आपने सदन को विश्वास दिलाया है कि केस देख कर, कर देंगे । लेकिन पर्टिकुलर आदमियों के साथ घटना हुई है उसके बारे में आप जो कदम उठाना चाहते हैं । उसकी इन्क्वायरी करके सदन को कब सूचित करेंगे ? कल कर सकते हैं, आज स्थगन प्रस्ताव रखा है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं समझ गया आपकी बात । उपाध्यक्ष महोदय, ज्यों ज्यों विश्वास दिलाता हूँ त्यों त्यों तनकियां अलग अलग कायम होती हैं । जो कुछ जान कारी फायल को मंगाकर जो कुछ जानकारी लूंगा, माननीय सदस्य हैं, वे मुझसे बड़ी सहृदयता से संबंध रखते हैं उनको और आपने जिन्होंने यह प्रश्न उठाया है, वे और जानकारी चाहते हैं तो मुझे समय लगेगा देखने में उसके बाद मैं उनको सदन के बाहर जानकारी दे दूंगा, सदन का क्या प्रश्न है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) ; उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पंचायत मंत्रीजी के लिए भी ज्यादा संबंध रखता है क्योंकि दूध की चोरी से इसका संबंध है । दूध की चोरी हुई है, मांडल का सारा पानी सफेद हो गया है । दूध के ट्रक्स दिल्ली में पकड़े गये हैं, राम गढ में पकड़े गये हैं । बड़ी अन्तर्राष्ट्रीय लज्जाजनक स्थिति पैदा कर रहे हैं, पंचायत मंत्री को ध्यान देना चाहिये । अमेरिकन एम्बेसी के आदमी हमारी बात ...

श्री उपाध्यक्ष : यह विषय और है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : विषय यही है, सरपंच दूध की चोरी करना चाहता है– अमेरिकन दूध की चोरी....

श्री उपाध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव से इसका सम्बन्ध नहीं है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सरपंच का लड़का मास्टर से दूध की चोरी करवाना चाहता था, यह अमेरिकन मिल्क मुफ्त में पंचायत समितियों की मार्फत दिया जाता है । अन्तर्राष्ट्रीय लज्जा की स्थिति पैदा की है । आखिर मास्टर को क्यों पीटा गया ? इसलिए पीटा गया कि वह सरपंच के लिए दूध की चोरी करना नहीं चाहता था इसलिये मैं पंचायत मंत्री से निवेदन करूंगा कि ये दूध की चोरियां हमारा मुंह काला कर रही हैं । अन्तर्राष्ट्रीय रुप से हमारे राष्ट्रीय करेक्टर पर बहुत पब्लिसिटी करके कलंक लगाया जा रहा है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : बिल्कुल इरिलैवेन्ट । उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ मास्टर को पीटा गया उसका प्रश्न आ रहा है दूसरी तरफ मास्टर को चोर बता रहे हैं ।

एक माननीय सदस्य : मास्टर चोर नहीं है । आप कानों में रुई डाल कर बैठे हुए हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : प्रश्न इसके साथ इन्वोल्व्ड है । इर्रेगुलेरिटी आप कांग्रेसियों के साथ सारी ही रिलेवेन्ट हैं । रात दिन....

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री रामानंद अग्रवाल (अलवर) : माननीय मंत्रीजी ने अभी जो उत्तर दिया है वह आफ हैड दिया है, कोई स्टेटमेंट नहीं है । इसलिये एडजोर्नमेंट मोशन पर स्टेटमेंट कब देंगे यह थोड़ा बतला दें ?

श्री दामोदरलाल व्यास (पंचायत मंत्री): He has already given his statement.

श्री रामानंद अग्रवाल : यह स्टेटमेंट नहीं है। This is no statement.

अभी तक तो इस स्थिति के बारे में उनके पास पूरी जानकारी ही नहीं है। जानकारी करके आथोरिटेटिव स्टेटमेंट दे सकते हैं यह स्टेटमेंट आपने दिया है। यह कब देंगे एक दिन में या दो दिन में ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह स्टेटमेंट ही है। आसन के आदेश के माफिक मुझको कहा गया। मैंने पूर्व निवेदन किया कि मुझे जानकारी नहीं है आपके दिये तथ्यों के आधार पर मैंने निर्णय के संबंध में निवेदन कर दिया, इसलिये यह मेरा स्टेटमेंट का प्रश्न नहीं हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जो स्थगन प्रस्ताव के द्वारा सदन का ध्यान आकर्षित किया गया, जो तथ्य बताये गये, आज की स्थिति में स्वीकार करते हैं...

श्री निरंजननाथ आचार्य : स्वीकार करने का प्रश्न नहीं है। तथ्यों को मैं कैसे स्वीकार करूं, आफ हैंड आप मुझसे उम्मीद करते हैं। जांच हुई है उसको मैं स्वयं देखूंगा कि क्या तथ्य निकलते हैं, क्या एविडेन्स रही हैं।

श्री रामानंद अग्रवाल : मंत्रीजी स्वयं यह कह रहे हैं कि जो स्टेटमेंट दिया है उसमें तथ्यों की जानकारी करनी है। जब निष्कर्ष निकलेगा, दुबारा जानकारी करेंगे तब संतोष हो सकेगा। यह इनका सन्तोषजनक उत्तर नहीं है। तो मैं मानता हूं कि जब आप जानकारी कर लें तब सदन को सूचित करें।

श्री उपाध्यक्ष इस विषय में जहां तक जितनी जानकारी इस वक्त थी उसके अनुसार मंत्रीजी ने स्टेटमेन्ट दिया है, और यदि कोई और विशेष जानकारी होगी तो अवश्य ही सदन को सूचित करेंगे।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जानकारी तो है, नहीं है तो भी हमारी जानकारी को समझ कर उन्होंने उत्तर दिया है यह उनका बड़प्पन है ....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह आपको मुगालता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : He is beating about the bush.

श्री कृष्णकुमार गोयल : जो प्रस्ताव रखा है, तथ्य बताये हैं–वे तथ्य यदि ठीक हैं तो उनके निराकरण के लिये सरकार कहां तक तैयार है ?

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय में मैं व्यवस्था दे चुका हूं।

श्री भैरोंसिंह : इस व्यवस्था का क्या यह अर्थ लगाया जाय कि इस संबंध में मंत्री जी कल फिर जबाब देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : कल का प्रश्न नहीं है सूचना आयेगी तब दे देंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस हाउस के एडजोर्न होने से पहले मंत्री जी जरूर स्टेटमेन्ट दें।

श्री उपाध्यक्ष : विधायी कार्य। विचारार्थ लिया जाने वाला विधेयक।

(१.४८ म. प.)

स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक एडजोर्नमेन्ट मोशन मैंने दिया है, श्री केदार जी ने दिया है हरिजनों ने भूख हड़ताल कर रखी है, हालत गंभीर है, आज लिया जाना चाहिये। आप कहें तो मैं कुछ अर्ज करूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करदूं कि दूसरे एडजोर्नमेन्ट मोशन हैं वे बाद में ले लिये जायेंगे। वे इतने अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं कि उनको स्वीकार किया जाय, लेकिन उन पर स्टेटमेन्ट की व्यवस्था कल परसों करदी जायगी। लेकिन इस समय क्योंकि हमारे सामने विधायी कार्य है इसलिये उसको हम पहले लेंगे।

श्री भैरोंसिंह : कल एडजोर्नमेन्ट मोशन चल रहा था........

श्री उपाध्यक्ष : अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया है कि समय निर्धारित कर दिया जायगा।

श्री भैरोंसिंह : वह तो कंटिन्यू कर रहा है। कल आसन से यह व्यवस्था की गई थी कि कल क्वेश्चन आवर खत्म होने के बाद, पेपर्स सदन में रखने की कार्यवाही के बाद राजस्थान पत्रिका का सवाल लिया जायगा। मैं भाषण समाप्त नहीं कर पाया था............

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय में अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया है इस विषय पर कल निर्णय दिया जायेगा।

श्री भैरोंसिंह : कल चल रहा था....

श्री उपाध्यक्ष : अध्यक्ष महोदय के आदेश के अनुसार कह रहा हूँ उसको मानना चाहिये। समय वे स्वयं निर्धारित कर देंगे।

श्री भैरोंसिंह : यह स्पष्ट हो जाय कि राजस्थान पत्रिका का प्रश्न कल उठेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : इसके लिए वह स्वयं व्यवस्था कर देंगे। कब आ सकेगा—यह तो मैं नहीं कह सकता।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय के लिए व्यवस्था स्थगित नहीं हो सकती आप भी, उपाध्यक्ष महोदय, इस बात को मानेंगे। इसलिए जो चेयर पर हैं उनको ही व्यवस्था देनी चाहिए और उनके द्वारा जो भी व्यवस्था दी जायगी वह अध्यक्ष महोदय की ओर से दी हुई मानी जायगी।

श्री उपाध्यक्ष : कल अथवा परसों इस विषय में व्यवस्था दे दी जायगी।

श्री भैरोंसिंह : व्यवस्था इस विषय में दे दी जाय कि यह कन्टीन्यू करेगा या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : कन्टीन्यू करेगा।

श्री भैरोंसिंह : कन्टीन्यू करेगा तो मैं यह अर्ज करता हूं कि कल यह प्रश्न आयेगा या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नम्र निवेदन है कि यह प्रश्न बहुत गम्भीर है इसमें कल और परसों की बात न चलाई जाय और ज्यादा अच्छा तो यह हो, यदि आप यह चाहते हैं कि अभी विधायी कार्य को लिया जाय तो पहले आप सारी स्थिति को स्पष्ट कर दें कि 'राजस्थान पत्रिका' के सम्बन्ध में जो चर्चा चल रही थी और जिसको आगे चालू रहना था वह आज नहीं चला कर कल क्वेश्चन आवर के बाद में चालू कर दी जायेगी। इस प्रकार की स्पष्ट व्यवस्था हमारे सामने रहेगी तो उसी के अनुसार अपनी तैयारी करके आयेंगे। यदि अब यह स्थिति रहती है कि कल होगी या परसों होगी तो मैं समझता हूँ कि यह व्यवस्था न तो व्यवस्था के नाते उचित होगी और न हमारे लिए उचित रहेगी, इसलिए इसको आप स्पष्ट कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय में खाली स्पीकर ही ऐसी व्यवस्था दे सकते हैं कि कल ली जायगी।

श्री रामकिशन : वह तो कल चल रही थी।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : आसन की ओर से भी इस प्रकार का आश्वासन दिया गया था कि आज ली जायगी।

श्री भैरोंसिंह : मैं जानना चाहता हूँ कि जो कुछ व्यवस्था आसन की तरफ से दी गई थी क्या वह बदल दी गई है ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन कर दूं कि इस विषय में एडजोर्नमेंट मोशन एडमिट हुआ नहीं था और उसके ऊपर स्टेटमेंट देने के लिए ही आदेश दिया गया था। स्टेटमेंट के ऊपर साधारणतया सामान्य रूप से कुछ स्पष्टीकरण के लिए बातचीत होती है वह भी इस विषय की गम्भीरता को देखते हुए यह बहस शायद चालू रखना उचित समझा गया। अन्यथा वह ऐसी बात नहीं थी कि उसको आगे तक चलाया जाय। इसलिए मैं इसमें केवल निवेदन करता हूँ कि क्योंकि यह व्यवस्था दी गई थी कि इसको आगे चालू रखना है इसलिए आज न होकर कल इस पर बहस हो सकती है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि आज के लिए जो व्यवस्था दी गई थी वह क्या बदल गई है ?

श्री उपाध्यक्ष : आज के लिए परिवर्तन इसलिए किया है कि कार्य है काफी।

श्री मुरलीधर व्यास : जब आसन से यह व्यवस्था देदी गई थी····

श्री उपाध्यक्ष : उसको कल के लिए रखेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : आसन से जो व्यवस्था देदी गई वह कैसे बदल सकती है ?

श्री उपाध्यक्ष : आसन से ही बदली जा सकती है।

श्री मुरलीधर व्यास : उसको बदलने का क्या कारण हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : इसलिए कि कार्य आज काफी है, वह बदली है ।

श्री मुरलीधर व्यास : फिर व्यवस्था क्या रही ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : बाकी एडजोर्नमेंट मोशन, उपाध्यक्ष महोदय, जो एक तो पहले दिये थे-जिनमें से एक मैंने सवाई-माधोपुर में लेबर अनरेस्ट के बारे में एडजोर्नमेंट मोशन दिया था, शुक्रवार १६ तारीख को मैंने एडजोर्नमेंट मोशन दिया था, सवाई-माधोपुर सीमेण्ट फैक्ट्री के मजदूर, बीड़ी मजदूर और वहां के जो सहकारी बैंक के कर्मचारी हैं उनमें अनरेस्ट है उसके सम्बन्ध में एडजोर्नमेंट मोशन दिया था और माननीय मंत्रीजी को उसका उत्तर सोमवार को देने को कहा था । आज मंगलवार हो गया है, उसके उत्तर के विषय में क्या व्यवस्था है ?

श्री उपाध्यक्ष : उसके लिए व्यवस्था मैं यही करता हूँ कि जिस स्थगन प्रस्ताव के बारे में आप फरमा रहे हैं उसके बारे में स्टेटमेंट कल हो जायगा ।

(१.५५ म. प.)

लॉ कॉलेज के विद्यार्थियों की हड़ताल तथा प्रदर्शन विषयक स्थगन प्रस्ताव

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, एक एडजोर्नमेंट मोशन लॉ कॉलेज के स्टूडेण्ट्स की हड़ताल के बारे में मैंने कल दिया था । यह मामला काफी गम्भीर हो रहा है और आज जैसा कि मुझे पता लगा है तमाम स्टूडेण्ट्स हड़ताल करके विधान सभा के सामने प्रदर्शन करने आने वाले हैं । उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला बहुत ही गम्भीर है कि लॉ कॉलिज के स्टूडेण्ट्स के लिए एक नया एडवोकेट एक्ट बना है जिसके अनुसार इन विद्यार्थियों के लिए डिग्री कोर्स लॉ का डिग्री कोर्स दो वर्ष के बजाय तीन वर्ष का बना दिया गया है, फिर उनको एक वर्ष की ट्रेनिंग लेनी पडेगी किसी भी एडवोकेट के तहत, और फिर उनको एक वर्ष बार कौंसिल के तहत एक एक्जामिनेशन पास करना पडेगा इस तरह से पांच वर्ष उनको लगेंगे और तब जाकर वह वकालत करने के लायक बन सकेंगे । इस एडवोकेट एक्ट में........

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय में मैं बीच में निवेदन कर दूँ कि अध्यक्ष महोदय ने यह आदेश दिया है अभी अभी, जो कुछ भी स्थगन प्रस्ताव हैं वह अविलम्बनीय लोक महत्व के न होने के कारण रिजेक्ट समझे जाय और उनके विषय में स्टेटमेंट आदि देने की व्यवस्था कर दी जायगी । तो उनको इस समय रेफर न करें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक तरफ तो जनता में और स्टूडेण्ट्स में गहरा असंतोष है । वह माननीय मंत्री जी से मिलने गये तो माननीय मंत्री जी उनकी बात को सुनें नहीं, उनके साथ में अभद्र व्यवहार करें और उनको किसी तरह का कोई संतोषजनक उत्तर न दें । उनकी इस तरह से हड़ताल हो और सारे जयपुर की कई संस्थायें बन्द हो जायं और हमारा जबकि यहां पर विधान सभा का सत्र चल रहा है, तो हम चुपचाप रह कर यह कहें कि हम इस पर दो-चार दिन में विचार कर लेंगे । उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हमारी देरी के कारण घटना क्रम समाज का ठहरा नहीं करता है। इसलिए सदन को, समाज में जो घटना क्रम चल रहा है, उसके साथ साथ और उसके अनुरूप जरूर चलना पड़ेगा और जो इस तरह विद्यार्थी वर्ग में इस प्रकार का असंतोष व्यक्त हो रहा है उसके बारे में, समाधान करने के बारे में इस सदन की जिम्मेदारी है, यह सदन उस पर कुछ विचार करे और उस पर अपना दृष्टिकोण जाहिर करें ताकि उनको कुछ संतोष मिल सके। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आज सारे राजस्थान के लॉ कॉलेजेज के स्टूडेण्ट्स स्ट्राइक पर हैं और उनकी हमदर्दी में दूसरी इन्स्टीट्यूशन्स के जो स्टूडेण्ट्स हैं वह भी स्ट्राइक पर कई जगह पर हैं। इसके अलावा आज सारे हिन्दुस्तान की दूसरी जगहों पर लॉ कॉलेजेज के स्टूडेण्ट्स स्ट्राइक पर हैं। राजस्थान के स्टूडेण्ट्स के साथ इस बात के साथ साथ दूसरी अनेक और भी समस्यायें हैं, जैसे लेबर लॉज के तहत ....

श्री उपाध्यक्ष : मैं इस विषय में ...

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो डिप्लोमा मिलता है, उसको रिकग्नीशन नहीं मिलता है। उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय पर बार एसोसियेशन्स में विचार-विमर्श शुरू हो गया है और अलवर की बार एसोसियेशन ने सर्व-सम्मति से जो एडवोकेट एक्ट में प्रावधान किये गये हैं-उनके खिलाफ एक रिजोल्यूशन पास किया है, जिसमें कहा है कि जो पांच वर्ष का डिग्री कोर्स किया जा रहा है वह विद्यार्थियों के साथ में ज्यादती है और इसलिए दो वर्ष का ही डिग्री कोर्स रखना चाहिए और डाइरेक्टली वकालत करने की बात को शुरू कर देना चाहिए। जिस तरीके के प्रावधान उस एक्ट में किये गये हैं, उनसे तो ऐसा ही लगता है जैसे कि इस प्रोफेशन पर एक बार लगायी जा रही है ताकि नये एन्ट्रेण्ट्स दाखिल न हो सकें। उपाध्यक्ष महोदय, जब अपने राजस्थान में, अपने देश में एज्यूकेटेड पर्सन्स का अन-एम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ा हुआ है, हमारे ग्रेजुएट्स को हम दूसरी जगहों पर नौकरी नहीं दे सकते, जब इन्जीनियर्स हमारे पास नहीं हैं, डॉक्टर्स हमारे पास नहीं है, और हमारे यहां जो आर्ट्स के स्टूडेण्ट्स हैं, उनको जब कोई जगह नहीं मिलती है तो वह लॉ कालेजेज में जाते हैं.......

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

श्री उपाध्यक्ष : इस स्थगन प्रस्ताव के विषय में, मैं आपको निवेदन कर चुका हूँ, फिर भी आप बिना पर्मीशन के विवाद प्रारम्भ कर रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय में आखिर सदन की क्या राय है, गवर्नमेंट की क्या राय है-यह मालूम होना चाहिये ताकि जो असन्तोष बढ़ रहा है.......

श्री उपाध्यक्ष : इस बारे में जब स्टेटमेंट आ जाय तो उसके बाद में बहस करें।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : यह तो लॉ कॉलेजेज के प्रिन्सिपल से इस्तिफा दिलायेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल ; विधि मन्त्रीजी बैठे हैं, उनको आप कहें।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय मौजूद हैं और मसला जैसा बतलाया गया है और जिस प्रकार के मसले की जानकारी मिली हैं, उससे लगता है कि मसला बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न के सम्बन्ध में यदि सरकार इस सदन में तैयार होकर नहीं बैठे या सरकार के मन्त्री जानकारी करने के बाद में कोई जवाब नहीं दे सकें तो इस बात की पराकाष्ठा है कि सरकार के मन्त्री लोग या सरकार के जिम्मेदार लोग न तो इस सदन की परवाह करते हैं, न लॉ कॉलिजेज के स्टूडेण्ट्स की मांगों की परवाह करते हैं, और उन मांगों के सम्बन्ध में शहर और जनता में प्रतिक्रिया है उसकी किसी प्रकार से चिन्ता नहीं करते-यह तो बिल्कुल चिन्तामुक्त होकर यहां बैठे हैं, स्वयं अपने अपने बंगलों पर गार्ड लगाये हुये हैं, सब प्रकार के साधनों से सम्पन्न होकर बैठे हैं। आपको जनता की चिन्ता नहीं, लॉ कॉलिजेज के स्टूडेण्ट्स का डिग्री कोर्स यदि पांच वर्ष का हो जाता है तो उससे कितना आर्थिक संकट उनके सामने आने वाला है-इसकी चिन्ता आपको नहीं है। जो वकालत पास करके पैसा कमाना चाहे उसके मार्ग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न कर दी जाय और उस बाधा के कारण उनके सामने किस किस प्रकार की समस्यायें आ रही हैं उनकी चिन्ता नहीं सरकार को। सरकार को तो चिन्ता हो रही है कि विधानसभा की कार्यवाही किसी प्रकार से जल्दी से जल्दी स्थगित हो और विधानसभा के सदस्यों से उनका पिण्ड छूटे ताकि वह अपने अपने बंगलों में जाय और फिर बंगलों से निकल कर अपनी अपनी कॉन्स्टीट्यूएंसी के चक्कर लगायें इसके अलावा और किसी प्रकार की चिन्ता उनको

(२.०० म० प०)

नहीं है। लॉ कॉलेज के स्टूडेन्टों की मांगों को लेकर जिस प्रकार का वातावरण चल रहा है, उसके सम्बन्ध में सरकार अपनी तरफ से स्टेटमेंट देती है. जो सत्याग्रह कर रहे हैं, उनको सरकार इस सदन के आंगन के माध्यम से जानकारी देती कि सरकार उनकी किन किन बातों को स्वीकार करने में असमर्थ है, सरकार के सामने क्या क्या उसके लिए दिक्कतें हैं बताती, मगर दुर्भाग्य की बात यह है कि सरकार स्वयं इसके लिए कोई जवाब नहीं देती और जो स्थगन प्रस्ताव रखा है उस पर भी सरकार मौन धारण करके बैठी है। मैं यह कहूंगा कि सरकार की इस मौन धारण करके बैठने का क्या परिणाम होता है-यह मैं आप को निवेदन करना चाहता हूं। इसका परिणाम यह होता है कि विद्यार्थियों में सरकार के प्रति असंतोष उत्पन्न होता है और उनमें वायोलेन्स की स्थिति पैदा होती है। जब उनके सामने किसी प्रकार की समस्या आवे तो वे सरकार के सामने उनको रखते हैं और जब सरकार उन पर किसी भी प्रकार से चिन्तन नहीं करे तो उनको मजबूर होकर सत्याग्रह करना पड़ता है। सरकार के पास डेप्यूटेशन जाते हैं और प्रदर्शन होते हैं और छुटपुट कार्यों के कारण शांति भंग होती है और इस शांति भंग की बात को लेकर सरकार उनकी मांगों पर ताला लगाने की कोशिश

(श्री भैरोंसिंह)

करती है। जोधपुर विश्वविद्यालय में आपने स्वयं ने देखा होगा कि माँगें वाजिब थी.

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उनको लेकर उन विद्यार्थियों ने आन्दोलन किया। यदि उनकी उचित मांगों पर उसी समय विचार किया जाता तो कोई आन्दोलन नहीं होता और शिक्षा में किसी प्रकार की कमी नहीं आती। आपने उनकी मांगों को आन्दोलन के बाद में भी स्वीकार किया। यदि सरकार यही चाहती है कि लॉ कालेज वाले विद्यार्थियों की भी माँगों को आप उसी तरीके से स्वीकार करना चाहते हैं तो वे भी माननीय मन्त्री बतादें कि उनका आन्दोलन अभी उस सीमा तक नहीं पहुंचा है जिस पर मन्त्री और सरकार झुकती है। उनको यह बता दिया जावे कि अभी तक उनके आन्दोलन में वह उग्रता नहीं आई है जिससे सरकार उनकी मांगों को स्वीकार करे। आज सरकार मौन रह कर और सदन में इस बारे में कुछ नहीं कह कर उस बात को प्रोत्साहन दे रही है। मैं यह समझता हूं कि सरकार स्वयं ऐसी स्थिति पैदा करना चाहती है जिसमें शांति भंग हो और इसके अलावा लोगों के पास कोई दूसरा तरीका नही रहे। मैं निवेदन करूंगा कि आज ही सरकार को इसका उत्तर देना चाहिये और सारी समस्या का पूर्ण विवेचन होकर समाधान किया जाना चाहिये। सरकार को सदन के सामने स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि स्थिति बहुत गम्भीर होने वाली है। लॉ मिनिस्टर साहब यहाँ पर मौजूद हैं। सारे राजस्थान के लॉ कॉलेजेज बन्द हो गए हैं। सारे लॉ स्टूडेन्ट्स जुलूस लेकर गलियों और बाजारों में आ जावेंगे और विधान सभा के सामने आने वाले हैं। मगर आप इसको गम्भीरता से नहीं लेंगे। ये कल मन्त्रियों के बंगले जाकर उनके बंगले बन्द करेंगे, ये कल नगर बन्द करेंगे और लॉ कॉलेजेज के स्टुडेन्ट्स 'राजस्थान बन्द' करावेंगे–उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मसला है। आज अन-एम्प्लोयमेंट बहुत बढ़ा हुआ है। लोग लॉ करके वकालत करके अपना पेट पालना चाहते हैं। आज इस प्रकार का अमेन्डमेंट लाकर इसको समाप्त करना चाहते हैं।

कल लॉ कॉलेज के स्टुडेन्ट्स लॉ मिनिस्टर से मिलने गए थे। उनको उनसे मिलने की फुर्सत नहीं थी। उन्होंने अन्दर बैठे बैठे कहला दिया कि फुर्सत नहीं है। वे बड़ी कठिनाई से उनसे मिले, बड़े नखरे के साथ उनसे मिले और बात की जैसे उनको इस विषय में कोई चिन्ता नहीं थी। वे अपने बंगले में चिन्तामुक्त होकर बैठे थे। आपको मालूम होना चाहिये कि ३ वर्षों का कोर्स होने के बाद उनको कितना आर्थिक संकट होगा और आपके न्याय की क्या स्थिति होगी? आज भी आपके यहां पहले ही न्याय लोगों को बहुत मंहगा मिलता है। आपने अपनी मर्जी के मजिस्ट्रेटों को पकड़ पकड़ कर बिठा रखे हैं। पहले ही आपने जुडिशियरी पर भी अपना प्रभाव रखा है।

Page No. 66

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

आज आप खुद जानते हैं कि कितना भ्रष्टाचार फैला है। आज गरीब आदमी के लिए पहले ही न्याय बहुत मंहगा है। फिर आप तीन वर्षों का कोर्स रख रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Order please.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप इससे जनता के लिए कितना संकट पैदा करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पर अब ज्यादा बहस नहीं हो।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं एक मिनिट में समाप्त करता हूँ और केवल इतना ही अर्ज करना चाहता हूं कि लॉ मिनिस्टर इसके सम्बन्ध में जवाब दें, अपना स्टेटमेंट दें। और राजस्थान के लॉ कॉलेज के स्टुडेन्ट्स ही नहीं दो करोड़ जनता, सारे भारत वर्ष की ४५ करोड़ जनता इस समस्या का समाधान चाहती है। यह प्रश्न बहुत ही गम्भीर बनता जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : Order please!

श्री निरन्जननाथ आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, बदकिस्मती से इस मिनिस्टर के साथ लॉ लगा हुआ है–इससे सबको गलत फहमी हो रही है और इसीलिए लॉ कॉलेज की समस्या का संबंध मुझसे बतलाया जाता है। मेरे सभी माननीय सदस्य पूर्णतया इस बात को जानते हैं और इसकी वैधानिक स्थिति को भी जानते हैं और इन सारी स्थिति को जानते हुए भी इसका सम्बन्ध मुझसे लगाया जाता है। मैं यह माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि अगर मेरे अधिकार में लॉ कालेज आ जावे तो।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप भी तो एडवोकेट रहे हैं उदयपुर में। कल फिर आपको वकालत करने का अवसर आ जाए।

श्री निरन्जनाथ आचार्य : अगर यह आ जावे तो दरअसल लॉ कॉलिज के लिए अच्छी बात है, लेकिन बदकिस्मती से लॉ के पास कानून, विधि संबंधी अलग अलग हैं। जुडिशियरी के प्रश्न पर वेतन, फाईनेन्स की समस्या को देखना ये दो विषय लॉ मिनिस्टर के पास हैं। इसमें लॉ कॉलिजकहां से आ गया?

श्री भैरोंसिंह : हमारे समझ में यह नहीं आता कि आप बोलने के लिए क्यों खड़े हो गये?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : आपकी सहूलियत के लिए भी बोलने लगा हूँ। अगर आप सुनना नहीं चाहते तो यह अलग बात है।

एक माननीय सदस्य : आप बोलें।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : यह सेन्ट्रल एक्ट से सम्बन्धित है और बार कौन्सिल में उठाया है। इससे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है बार कौन्सिल एक्ट से है। इसलिए मैं यह कहूँगा कि इस अमेन्डमेंट को स्वीकार करने का या इस पर बहस करने का इस सदन को अधिकार नहीं होकर पार्लियामेंट को है। इसमें सारा का सारा मसला पार्लियामेंट से और विधि मन्त्रालय से है। आप बहस

Page No. 67

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

करिये, लेकिन मैं यह कहूंगा कि यह सदन का विषय नहीं होने से इसको अलाऊ नहीं किया जाना चाहिये-यह पार्लियामेंट का विषय है। इसके सम्बन्ध में बहस करना यहां पर निरर्थक है और इससे कोई अर्थ नहीं निकलता है। फिर भी कानून मेरे साथ लगा है जिसे चाहे बोलें तो किसी भी ढंग से बोलें, मगर मेरा इस एक्ट से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसका पार्लियामेंट से संबंध है और यही बात मैंने लॉ स्टुडेन्टों से भी कही थी कि यह बार कौन्सिल एक्ट से कोई संबंध नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।...........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : परमन्त्री सुखाड़िया जी की कोठी आपने....

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपको रोष है आपके बहनोई का, वह रोष निकालना चाहते है ....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं कभी सिफारिश करने नहीं गया किसी के पास....

श्री निरंजननाथ आचार्य : सिफारिश नहीं मानने पर रोष है....

(शोरगुल)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मेरा चेलेंज है वे यह साबित करें, मिस्टर आचार्य या और किसी से जाकर मैंने सिफारिश की हो तो साबित करें। मेरा चेलेंज स्वीकार करें, किसी को एक शब्द नहीं कहा मैंने....

(शोरगुल-श्री निरंजननाथ आचार्य और श्री योगेन्द्रनाथ हांडा दोनों साथ साथ बोलते रहे)

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं भी जानता हूं, और भी जानते हैं। ...

श्री भैरोंसिंह : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं. मन्त्री महोदय बता दें सेंट्रल सब्जेक्ट है, हाउस सब्जेक्ट नहीं है तो एक बात बता दें, कि लॉ कॉलेज के स्टूडेण्ट्स के साथ सरकार की सहानुभूति है या नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह प्रश्न लॉ मिनिस्टर से सम्बन्ध नहीं रखता इसलिए मैं इसका कोई उत्तर नहीं दे सकता।

श्री भैरोंसिंह : यह सरकार से प्रश्न है, राजस्थान विधान सभा में बैठा हुआ कोई भी राजस्थान सरकार का प्रतिनिधि कह सकता है कि सरकार की लॉ क्लासेज के स्टुडेन्ट्स के साथ सहानुभूति है या नहीं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ओपिनियन का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : पहले ही व्यवस्था दी जा चुकी है कि....

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : मन्त्री महोदय ने स्टेटमेंट दिया कि इनका सम्बन्ध नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि कुछ तथ्यों को छिपाया गया है। इससे राजस्थान सरकार का ताल्लुक है। जो यह हड़ताल हो रही है केवल इसी विषय को लेकर नहीं हो रही है, एक प्रमुख मांग है एडवोकेट एक्ट में संशोधन करने की। वहां

Page No. 68

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

उनकी दूसरी मांग भी है कि हमें जो यहां लेबर लॉज का डिप्लोमा जहां राजस्थान यूनिवर्सिटी देती है वह एक वर्ष का कोर्स होने के बावजूद भी उसका रिकोग्निशन दूसरी यूनिवर्सिटीज़ नहीं करती हैं, जब कि इस प्रकार के लेबर लॉज का डिप्लोमा दूसरी यूनिवर्सिटीज का ६ महीने के बाद मिलता है, उसका रिकोग्निशन दूसरी जगह हो जाता है। राजस्थान के लॉ ग्रेजुएट को यूनिवर्सिटी लॉ पास करने के बाद डिप्लोमा देती है वहां दूसरी जगह बी. ए. करने के बाद भी लेबर लॉज का डिप्लोमा मिल जाता है, वहां वालों को रिकॉग्निशन मिलता है, यहां वालों को रिकॉग्निशन नहीं मिलता तो इस तरह इसका राजस्थान यूनिवर्सिटी से और राजस्थान सरकार से ताल्लुक है इसे एट-पार वैल्यू पर तो लाइये। एल. एल. बी. पास करने के बाद लेबर लॉज़ का डिप्लोमा हासिल करे, फिर भी उसका रिकॉग्निशन दूसरी जगह नहीं करें तो यह तो राजस्थान सरकार और राजस्थान विश्व विद्यालय की कमजोरी है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : आन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर सर। अभी विधि मन्त्री जी ने रायसिंहनगर से आने वाले माननीय सदस्य श्री हांडा के बारे में बात कही कि उन्होंने जाकर उनके बहनोईजी की सिफारिश की वह सिफारिश मंजूर नहीं की इसलिए नाराज होकर हांडा साहब यह बात कह रहे हैं। मैं इसे बहुत सीरियस समझता हूं। ऐसी बात सदन में नहीं कही जा सकती जिसके हाथ हैं न पैर हैं और न सिर है। या तो मन्त्री महोदय इसको साबित करें नहीं तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है कि इस प्रकार गलत ढंग से यहां पर बात कहें। या तो विधि मन्त्रीजी से खुलासा करायें या हांडा साहब से खुलासा करायें। अगर साबित नहीं कर सकें तो विधि मन्त्री जी के खिलाफ ब्रीच ऑफ प्रीविलेज का मोशन प्रिविलेज कमेटी के सुपुर्द किया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि आप व्यवस्था दें, मेरे दल के माननीय सदस्य के ऊपर एक बड़ा सीरियस आरोप लगाया....

श्री उपाध्यक्ष : अगर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन मूव करना चाहें तो विधिपूर्वक करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक अभियुक्त है, जिसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। उनके बारे में किसी माननीय सदस्य ने, इस सदन के मैम्बर ने माननीय गृह मन्त्री जी से सिफारिश की है तो उस सदस्य के खिलाफ सदन को जरूर कार्यवाही करनी चाहिये। यह उसके चरित्र के ऊपर एक बहुत ही बड़ा लांछन है और उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है चाहे मेरे दल के ही वे सदस्य क्यों न हों। अगर इस प्रकार का आरोप वास्तव में नहीं है और माननीय मन्त्री जी केवल अपने ऊपर जो उनकी निष्क्रियता है, उनके शासन में गड़बड़ी है, उसमें डाइवर्शन करने के लिए ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने दिया है तो वह भी बहुत गम्भीर बात हो जाती है और वह पोइन्ट ऑफ प्रिविलेज बनता है और मैं केटेगोरिकली कहना चाहता हूँ कि या तो मंत्री महोदय असर्ट करें या डिनाई करें ताकि इस सम्बन्ध

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

में सदन आगे कार्यवाही करे, तो वे बतायें कि क्या स्टेन्ड है उनका इस आरोप के बारे में ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रत्येक माननीय सदस्य को आजादी है कि ब्रीच आफ प्रिविलेज का मोशन लायें,विधिवत् यहमोशन लाया जायगा तो उस पर विचार किया जायगा ।

विधायी कार्य

(२·१८ म० प०)

पत्र प्रतिनिधियों द्वारा किए गए बहिष्कार के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : एक एडजोर्नमेंट मोशन मेरा भीहै, आज प्रेस ने बायकाट कर रखा है, उसके बारे में ।

श्री उपाध्यक्ष : यह मोशन उससे ही सम्बन्धित है, राजस्थान पत्रिका के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव है उसके साथ ले लेंगे, दोनों सम्बन्धित हैं ।

श्री भैरोंसिंह : दोनों सम्बन्धित नहीं हैं, जब से देश आजाद हुआ है····

श्री उपाध्यक्ष : उसी से सम्बन्धित हैं, उसी के साथ रखना उचित होगा····

श्री भैरोंसिंह : दोनों अलग अलग घटनाओं के लिये हैं एक तो जो राजस्थान पत्रिका के साथ घटना हुई उसके सम्बन्ध में है और आज का यह उस घटना के परिणामस्वरूप प्रेसवालों ने बायकाट किया है । यहाँ बायकाट का इतना गम्भीर मसला है जिस पर सदन को गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए । हिन्दुस्तान की आजादी के बाद पहली घटना है कि सारा प्रेस इस प्रकार बायकाट करे, पूर्व निश्चय के अनुसार सारा प्रेस इस प्रकार बायकाट करे । आप भी मानेंगे, सदन भी मानेगा कि प्रेस और विधान सभा का कितना सम्बन्ध है, विधान सभा में ग्रिवान्सेज रखी जाती हैं. उन ग्रीवान्सेज के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, सदन ने कहाँ तक स्वीकार किया है, यह प्रेस के माध्यम से जनता के पास जाता है । आज की विधान सभा की कार्यवाही को जनता तक पहुंचाने में बायकाट के कारण बाधा पहुंची है और इस तरह से राजस्थान विधान सभा का एक हिस्सा पंगु बना रहता है, राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही हुई वह प्रोसीडिंग्स में रहे, यह एक पहलू है । इसका मतलब यह नहीं कि यही रेकार्ड रखा जाय, यह भी पहलू है कि जिन बातों की ओर इस सदन में राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित किया, जनता का रिप्रेजेन्टेशन यहाँ विधान सभा में होता है, उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, सरकार की क्या पॉलिसीज हैं, क्या रवैया है, क्या कार्यवाहियां हैं, यह जनता को प्रेस से मालूम होता है और प्रेस की मारफत ही जनता में सारे समाचार जाते हैं । आज प्रेस अनुपस्थित है और मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि यह विधान सभा की बहुत बड़ी तौहीन है, तौहीन प्रेसवालों ने की है, यह बात नहीं है । लेकिन प्रेस की व्यवस्था के कारण ऐसा कदम लेना पड़ा सरकार की अकर्मण्यता के कारण इस प्रकार का कदम उठाना पड़ा जिसके कारण राजस्थान विधान सभा

(श्री भैरोंसिंह)

में, बाकी विधान सभाओं में और लोक सभा में कम से कम इस बात का यह पहला उदाहरण होगा कि विधान सभा का विरोधी दल या सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य सरकार पर इस बात का प्रेशर नहीं ला सके कि सरकार प्रेस वालों के साथ तुरन्त किसी प्रकार की न्यायपूर्ण कार्यवाही करें, संतोष कराए और उसके बाद इस स्थिति पर नहीं आए कि प्रेस वाले अपनी गैलरी में आकर बैठें और उनका जो कर्त्तव्य है, लोकतंत्र के अनुसार जो विधान सभा की कार्यवाही है उसको जनता तक पहुँचाना, इस पुनीत कर्त्तव्य को वे पूरा करें। तो मैं इस बात का इलजाम लगाता हूं कि सरकार जनता को कोई संतोष नहीं दिला सकी, उन प्रेस प्रतिनिधियों को संतोष नहीं दिला सकी जिसके कारण प्रेस के प्रतिनिधि यहां पर बैठ कर लोकतंत्र का कर्त्तव्य यहाँ पूरा कर सकें।

आज यदि लैंड रेवेन्यू बिल लाते हैं या ट्रांसपोर्ट के सम्बन्ध में टैक्सेशन बिल लाते हैं तो हमारी क्या प्रतिक्रियाएं होंगी, हम किस प्रकार से जनता को बता सकेंगे कि इस बिल पर विधान सभा के सदस्यों की यह राय थी, उस पर सरकार की यह प्रतिक्रिया थी। आज सदन के अन्दर जैसे बिना चेयर के सदन शोभा नहीं देता उसी प्रकार लोकतंत्र में आस्था रखने वाले व्यक्ति यह कह सकते हैं कि बिना प्रेस गैलरी के सदन की शोभा नहीं है। सरकार ने उस शोभा को बनाए रखने के लिए कोई चेष्टा न की। सरकार अपनी हठधर्मी के आधार पर लोकतंत्र की हत्या कर रही है। सरकार का सदन के प्रति, लोकतंत्र के प्रति यह रवैया निंदनीय है, उसकी जितनी निंदा करनी चाहिए वह कम है। आप जो विधाई कार्य ले रहे है तो मैं भी उस सदन में नहीं बैठना चाहता जिसका एक प्रथम भाग अनुपस्थित हो, जिसने आज तक सदन की इच्छाओं को पूरा किया है और सदन की कार्यवाही को जनता तक पहुंचा कर, जनता और लोकतन्त्र की सेवा की है. वे इस तरह अपनी गैलरी में न बैठें और हम विधान सभा की कार्यवाही चलाएं, यह सदन और सरकार के लिए उचित नहीं है! इसलिए इसके परिणामस्वरूप मैं अपनी पार्टी सहित सदन से वाक आउट करता हूं और सरकार से निवेदन करूंगा कि हमारी अनुपस्थिति में यदि विधाई कार्य को लिया तो इसके परिणाम कल देखने में आयेंगे. हम दुबारा इसको लायेंगे। जब तक प्रेस-वाले आकर बैठें उस समय तक यदि कार्यवाही हाथ में ली तो यह सरकार और सदन के सोचने की बात होगी और सरकार की उसके लिए जिम्मेदारी होगी। यह बात कह कर मैं अपने सदस्यों के साथ वाकआउट करता हूं पूरे दिन भर के लिए करता हूँ और यही सरकार से कहता हुआ जाता हूँ कि जिन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या की, उन हत्यारों को सरकार प्रोत्साहन देकर सरकार स्वयं लोकतंत्र की हत्या करवा रही है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : Point of Order Sir, उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का सवाल यह है कि आज सुबह कार्यक्रम सब चोफ-व्हिप्स ने मिल कर पास किया था, सब दल शामिल थे और यह तय किया कि क्या क्या काम किस किस दिन होगा। मैंने यह समझा था कि इस सरकार

Page No. 71

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

ने कोई सन्तोषजनक काम कर दिया होगा इस अखबार के मामले में। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या जनसंघ के चीफ-विप उसमें नहीं थे ?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : सब थे लेकिन इस बात की जानकारी नहीं थी कि सरकार इतनी निकम्मी और निकृष्ट है कि ३ दिन की लगातार की आवाज के बाद भी वह कानों में तेल डालकर सो रही है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : जहां तक हमारे मौलिक अधिकारों का सवाल है....

श्री मानिकचंद सुराणा (कोलायत) : It has already been stated.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इस तरह से यदि इन्टरप्ट करेंगे तो हम भी आपको इन्टरप्ट करेंगे।

श्री मानिकचंद सुराणा : हम आपकी धमकियों से नहीं डरते। मैं तो उपाध्यक्ष से निवेदन करना चाहता था कि वे उनकी पोइंट ऑफ ऑर्डर को डिस्पोज़ ऑफ करें।

श्री भैरोंसिंह : हम समझ रहे थे कि पोइंट ऑफ ऑर्डर कोई बड़ा महत्वपूर्ण होगा और सरकार की ओर से बतायेंगे कि हमने अमुक कार्यवाही कर दी हैं। यह पोइंट ऑफ ऑर्डर महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए पूर्व निर्णय के अनुसार हम वाक-आउट करते हैं।

(जनसंघ के सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : एक व्यवस्था चाहते हैं। प्रेस की स्वतन्त्रता है उसके अनुसार हमारा सारा विधान चलता है और उसके अनुसार मैं समझता हूं कि जब प्रेस न हो और सदन चल रहा हो जो अपोजीशन ने बात कही, मैं भी यही बात कहता हूँ। प्रेस के बारे में इधर या उधर कोई फैसला करना चाहिए और उसके साथ इस सदन की शोभा ही नहीं बल्कि मैं समझता हूं कि यह सदन मरा हुआ है अगर प्रेस नहीं है। इसलिए मैं इस बात की अपील करूंगा कि यह अच्छी बात नहीं है। मैं कांग्रेस की तरफ से पहला आदमी बोल रहा हूँ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री रामानंद अग्रवाल (अलवर) : इनको बोलने दिया जाय।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं कांग्रेस में होते हुए भी महसूस करता हूँ कि यदि प्रेस न हो और हमारी आवाज जनता तक पहुंचाने का इन्तजाम न हो तो सही नहीं है। प्रेस स्वतन्त्रता का अधिकार संविधान में दिया है और सही बात पर पूरा समय देकर प्रेस संस्था ने सामूहिक रूप से इस सदन का बायकाट किया हो तो यह स्थिति भारत में पहले नहीं हुई है। इसलिए प्रेस के साथ मैं सहानुभूति करता हूं और उनकी बात को महसूस करता हूं लेकिन मेरी पार्टी जो तय करेगी उससे मैं बंधा हुआ हूँ।

श्री दुर्गालाल बाददार (हवामहल, जयपुर) : मेरा पोइंट ऑफ ऑर्डर है

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

कि कल विधान सभा में करीब ५ बजे जब सदन की कार्यवाही स्थगित होने का प्रश्न आया तब आसन से सभापति ने निर्देश दिया कि राजस्थान, पत्रिका के बारे में जो माननीय भैरोंसिंहजी भाषण दे रहे थे वह कल भी जारी रहेगा। यह व्यवस्था इस आसन द्वारा दी जा चुकी है जो इस सारे सदन का संचालन कर रहे थे। अभी आपके सामने एक प्रश्न उठाया गया वह यह कि जिस समय कार्य सलाहकार समिति की मीटिंग चल रही थी उसमें सारे विरोधी दल के सदस्य थे तो ऐसा प्रेज्यूम किया जाना चाहिए कि सारे मसले पर विचार प्रकट किए हैं और सदन में जो चर्चा चलने वाली है उसको स्थगित किया जाना चाहिए। यहां व्यवस्था का प्रश्न उत्पन्न हो जाता है। सलाहकार समिति क्या निर्णय लेना चाहती है और उसके बाद आसन से क्या व्यवस्था दी जाती है तो उसको मानना सदन का कर्तव्य हो जाता है। जो व्यवस्था आसन से दी जा चुकी है और प्रेस के बारे में हम देख रहे हैं कि प्रेस ने हमारे साथ नान–कोआॅपरेटिव एटीट्यूड अख्तियार किया है तो यहां वाणी की स्वतन्त्रता और दूसरे अधिकारों का प्रश्न है। उनकी स्वतन्त्रता पर आघात पहुँचता हो और व्यवस्था आसन से दी जा चुकी हो, उस व्यवस्था के प्रतिकूल दूसरी व्यवस्था दिया जाना कहां तक समुचित है, इसका निर्णय आप करें। मेरा पोइन्ट आॅफ आॅर्डर तो यह है कि जो व्यवस्था आसन से दी जा चुकी है उसकी मान्यता होनी चाहिए और इस पर चर्चा होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : इस व्यवस्था के प्रश्न के विषय में मैं यह कहना चाहता हूँ कि कार्य सलाहकार समिति ने जो प्रतिवेदन रखा है उसको हाउस ने स्वीकार कर लिया है। यदि उसके अनुसार कार्य चलता है तो उसकी हाउस की मंशा गिनी जावेगी और यदि हाउस उससे अन्यथा कर दें तो हाउस सर्वोपरि है और वह सर्वमान्य है ...

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : हाउस में यह चेयर की ओर से आवजर्वेशन्स दिये जा चुके हैं कि इस पर कल चर्चा होगी। हाउस ने तो आदेश दे दिया।

श्री उपाध्यक्ष : उसी प्रकार काम चलाना पड़ेगा।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : माननीय उपाध्यक्षजी, वाक आउट करने से पहले मैं अपना पोइन्ट रखना चाहता हूँ....

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री.) : आपको वाक आउट करना है तो कर जाओ भाषण नहीं दे सकते।

श्री उपाध्यक्ष : वाक आउट करने के लिये संक्षेप में कह कर वाक आउट किया जा सकता है।

श्री नाथूराम मिर्धा : भाषण करने जा रहे हैं।

श्री रामकिशन (वैर) : यह कैसे मान लिया आपने ? अभी तो वे कुछ बोले ही नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : पहले आप कह चुके हैं इसलिए माना है।

Page No. 73

श्री रामकिशन : यह हमारे साथ बड़ा अन्याय हो जावेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामकिशनजी। आपके लिए नहीं माना है । आपने पहले ही कह दिया कि वाक आउट करना चाहते हैं तो कुछ बोलना चाहते हैं । वाक आउट के लिए वाद–विवाद और डिबेट तो नहीं होती ।

श्री राधाकृष्ण गोदल (टोंक) : मेरा स्थगन प्रस्ताव है । मुझे तो बोलने की स्वीकृति है ही ।

श्री जयनारायण सालोदिया : उपाध्यक्ष महोदय, वाक आउट के लिए....

श्री उपाध्यक्ष : आप भाषण नहीं दे सकते । संक्षेप में ही कहें ।

श्री नाथूराम मिर्धा : बताने की बात है वह न कहें । जाना चाहें तो जावें । रूल में लिखा है कि वाक आउट करने पर कोई भाषण नहीं देना चाहिए । चेयर की आज्ञा और रूल का खयाल रखना पड़ेगा ।

श्री जयनारायण सालोदिया : हम तो जरूर रखेंगे और रखते आए हैं । आप अपने बारे में ख्याल करो हम आपका भाषण नहीं सुनना चाहते ।

श्री नाथूराम मिर्धा : नियमों का ख्याल रखना पड़ेगा ।

श्री जयनारायण सालोदिया : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

प्रश्न यह है....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : आप ओपोजिशन को सुनिये ।

He is in possession of the floor.

श्री नाथूराम मिर्धा : वाक आउट करने के पहले कोई भाषण देना कायदे में नहीं है । चेयर कह रही है, आपको मना कर रही है । आप नहीं मानते । हम नहीं सुनेंगे ।

(शोरगुल)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अंगूरों की बेल के नीचे ...

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री नत्थीसिंह : इस जनतन्त्रीय व्यवस्था में जनता तक आवाज पहुंचाने के लिये प्रेस एक प्रमुख अंग है और यदि प्रेस आज यहां सदन में नहीं है तो जनता की आवाज नहीं पहुँच सकती । आप इस प्रकार से सदन में जो बात हो रही है उसको जनता तक न पहुँचने देने के लिये बाधा डाल रहे हैं, आपको इसका कोई अधिकार नहीं है । जनता की आवाज है, इस सदन की आवाज जनता तक पहुंचनी चाहिये । प्रेस के प्रतिनिधि जनता के प्रतिनिधियों की बात को जनता तक नहीं पहुँचने देते और सरकार अपनी हठधर्मी के कारण उसमें बाधा डाल रही है तो यह सदस्यों के विशेषाधिकार का

(श्री नत्थीसिंह)

हनन है और सदस्यों को इस प्रकार से बोलने से नहीं रोका जा सकता। आप ही व्यवस्था दीजिये कि कौन सदस्य बोल सकता है। यह ट्रेजरी बेन्च डिक्टेट करायेगी या आप व्यवस्था देंगे? इस प्रकार सदन में एक अव्यवस्था पैदा की जा रही है उनके द्वारा। यह सदस्यों के मूलभूत अधिकारों का प्रश्न है। जनतन्त्र के साथ जिस प्रकार से यह खिलवाड़ किया जा रहा है, यह सदन में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय में मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि पोइन्ट ऑफ ऑर्डर माननीय ज्वाला प्रसाद जी ने उठाया और माननीय सदस्यों ने उठाया उसका अवसर दिया गया। अब विधायी कार्य किये जाने के लिये प्रस्तुत हैं और अभी उसके पहले जब तक कि वह कार्य प्रारम्भ न हो कि डिबेट का प्रश्न ही नहीं आता है। वाक आउट के लिये कोई बात है तो जिस प्रकार से हमारे यहां विधि-विधान हैं और जो विधि रही है उसके अनुसार संक्षेप में कह कर जा सकते हैं। डिबेट खड़ी नहीं की जा सकती। जो वाद-विवाद सदन में हुआ है वह विधि और विधान के अनुसार ही होता है। वर्ना न तो आसन की जरूरत है। आसन, विधि और विधान ही इसीलिये है कि नियमानुसार कार्यवाही हो और वाद-विवाद किया जाय।

श्री रामकिशन : वाक आउट करने के लिये ही तो वे बोल रहे हैं। पहले उन्हें सुन तो लिया जाय। पहले से ही कैसे कह दिया कि भाषण दे रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष : आपके लिये नहीं है।

श्री रामकिशन : बोलना इसलिये चाहते हैं कि हमारे तथ्यों को सुन कर शायद सरकार अपना मत बदल दे।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा प्रावधान कहीं कोई नहीं है।

श्री रामकिशन : ऐसा नहीं है। लेकिन वाक आउट के लिये बोल रहे हैं। संभव है तथ्य ऐसे आजायें जिनसे सरकार अपना मत बदल दे।

श्री जयनारायण सालोदिया : माननीय उपाध्यक्ष जी ......

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : बिलकुल संक्षेप में। शायद अब तक तो मैं बोल ही गया होता। प्रजातन्त्र में प्रेस का एक विशेष स्थान है। प्रेस की एक वाजिब मांग थी। उसको सरकार ने न मान कर उनके खिलाफ हठधर्मी करके आज ऐसी स्थिति पैदा की है कि प्रेस जैसी जनतन्त्र की महत्वपूर्ण कड़ी आज विधान सभा की कार्यवाही से अलग है यह हमारे लिये, सदन के लिये और राजस्थान के इस निकम्मे मंत्री-मण्डल के लिये बड़ी अशोभनीय बात है। हमारी आवाज जो जनतन्त्र की आवाज है उसको इस प्रकार दबा दिया गया है, जनता को इस के द्वारा नाराज किया गया है इस अशोभनीय चीज के लिये मैं सदन से मेरे दल के साथ वाक आउट करता हूं।

(स्वतन्त्र दल द्वारा बहिर्गमन)

Page No. 75

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : हमारा जो वाक आउट हो रहा है........

(निरन्तर घंटी)

हमको जनता ने चुन कर इसलिये विधान सभा में भेजा था कि जनता की आवाज को हम सदन में रख सकें । हम नहीं चाहते थे कि हमको वाक आउट करना पड़े लेकिन हम देख रहे हैं कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी कि हमारी इच्छा नहीं होते हुए भी, सदन के वाद-विवाद में पार्टिसिपेट करने की भावना रखते हुए भी हमें मजबूर किया गया है कि हम अपने दल के साथ वाकआउट करें और प्रोसिडिंग्स में भाग न ले सकें ।

श्री रामकिशन (वैर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न जिस प्रकार से खड़ा हुआ है इस पर विरोधी पक्ष की अपेक्षा सरकारी पक्ष को अधिक गम्भीरता से सोचना चाहिये । विरोधी पक्ष का एक मूलभूत प्रश्न है ! कोई व्यक्ति विशेष का प्रश्न नहीं है । इससे जनता के मौलिक अधिकारों का प्रश्न जुड़ा हुआ है । जनता के मूलभूत अधिकारों का प्रश्न है । प्रेस ने जो कदम उठाया है अगर सरकार सजग होती और प्रभावशाली लोगों के असर में नहीं होती तो संभव है कोई उस पर कभी की कार्यवाही हो गई होती और जिस प्रकार से सदन में वातावरण बना हुआ है वह सरकार के लिये कत्तई शोभाजनक नहीं है । विरोधी दल के बहिष्कार का और गम्भीर परिणाम हो सकता है । उन सब से सरकार बच सकती थी । लेकिन ऐसा मालूम होता है कि सरकार प्राणहीन और क्रियाशील हो गई हैं । उसमें न कोई शक्ति नजर आती है और न जनता के अधिकारों की रक्षा की बात ही नजर आती है ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : संक्षेप में हो गया :

कुछ माननीय सदस्य : बैठ जाओ, बैठ जाओ ।

श्री रामकिशन : मैं समझता हूँ उस पर ज्यादा बहस नहीं होती । लेकिन आज जनतन्त्र में जिस प्रकार का अन्धेरा हो रहा है वह मैं जानता हूं । भरतपुर में एक साप्ताहिक पत्र के सम्पादक को दिन दहाड़े गोली मार दी गई । अदालत में केस चल रहा है. मैं उस बारे में अधिक कुछ भी नहीं कहूँगा लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जिस रिवाल्वर से उसको गोली मारी गई उसकी आज तक जांच तक नहीं हुई । चाहे लोकवाणी पर हमला हो, चाहे राजस्थान पत्रिका पर चाहे उनके विचारों से सहमत हों या न हों लेकिन यदि इस प्रकार की बातों को प्रोत्साहन दिया गया तो लोकतन्त्र नाम की कोई चीज ही नहीं रहेगी और फिर तानाशाही हो जावेगी ।

इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा सरकार से कि इस मामले में हुल्लड़बाजी और जल्दबाजी करने से अपने लोगों को रोकें । मन्त्री स्वयं इशारा करें हुल्लड़बाजी करने के लिये, यह आपके लिये शोभा की बात नहीं है । यह हमारा व्यक्तिगत मामला नहीं है । हमारा इससे कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, पहले आप ही डूबेंगे अपने इस तरह के कारनामों से । आप की स्वयं की स्थिति इन कारनामों से अधिक खराब होने वाली है । इसलिये निवेदन

Page No. 76

(श्री रामकिशन)

करूंगा कि आपके स्वयं के हक में यह अच्छा होगा कि आप इस पर शीघ्रता से कोई कार्यवाही करें ।

मैं स्वयं तो यह निर्णय कर ही चुका हूं कि इस मुद्दे पर वाकआउट करूंगा । किन्तु अपने दल के लोगों को मैं सलाह दूंगा कि यह मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है । व्यक्ति के अधिकारों के लिये निरन्तर संघर्ष करते रहना है । तो वे एक एक करके संघर्ष करते रहें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : Point of order...

किसी कन्वेन्शन के आधार पर हुकूमत चलाई जाती है । मैं स्वयं चाहता हूं कि स्वस्थ परम्परा कायम हो । सदन में चेयर इस सदन की नाक है, यह मैं समझता हूं सदन रूपी इस चेहरे की शोभा नाक है और सदन के माननीय सदस्य जो बैठे हैं वे इस सदन के....

(घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर इतना लम्बा नहीं होता । आप अपना पोइन्ट ऑफ ऑर्डर प्रस्तुत करें ।

श्री अब्दुल जब्बार : मैं वही निवेदन कर रहा हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष: These are delaying tactics.

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या नियम के अनुसार पोइन्ट ऑफ आर्डर की Maximum लम्बाई-चौड़ाई तय की हुई है ?

श्री अब्दुल जब्बार : प्रेस गैलरी को हाथ समझ कर मैं तुलनात्मक रूप से कर रहा हूं । सदन की चेयर पर आप जो विराजमान हैं उनको सदन की नाक के रूप में मानता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : What is your Point of order please ?

श्री अब्दुल जब्बार : मैं चाहता हूं आज परम्परा मानकर....

श्री उपाध्यक्ष : पोइन्ट आफ आर्डर केवल सदन की व्यवस्था के प्रश्न पर होता है । आप क्या व्यवस्था चाहते हैं ?

श्री अब्दुल जब्बार : मैं व्यवस्था चाहता हूं कि आज इस बात को आप उचित समझते हैं कि नहीं कि सदन में प्रेस रिप्रजेन्टेटिव्ज रहें ।

श्री उपाध्यक्ष : That is not point of order.

श्री अब्दुल जब्बार : तो फिर इन सब पर पर्दा कब तक डालते रहेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : Order ! please Order ! !

श्री अब्दुल जब्बार : यह बात उचित नहीं । इस सदन के माननीय सदस्य मांग करते हैं कि चेयर की तरफ से सरकार को बाध्य कर दिया जावे ।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपना स्थान ग्रहण करें। Order please ! Order !!

श्री अब्दुल जब्बार : मैं आपके आदेश की पालना करते हुए बैठता हूं। फिर पुन: बोलूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो स्थगन प्रस्ताव आज प्रेस के बायकाट के सम्बन्ध में पेश किया गया है उस सम्बन्ध में मुझे निवेदन करना है। आज प्रेस ने इसलिए बायकाट किया कि जो हमला एक स्थानीय दैनिक पत्र राजस्थान पत्रिका के कार्यालय पर किया गया और उस बारे में जो सरकार मौन साधे बैठी है, पुलिस अकर्मण्य बनी बैठी है उससे उनमें अत्यधिक असन्तोष हैं। वे उम्मीद किये बैठे थे कि इस जनतन्त्र के युग में यह विधान सभा, यह मंत्रिमण्डल, उनके अधिकारों की उनके अस्तित्व की सुरक्षा कर सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, कल यहां बहुत बहस करने के बावजूद गवर्नमेंट की तरफ से इस प्रकार का कोई संकेत नहीं मिला कि सरकार ने इस बारे में यह कदम उठाया है और जिन पुलिस अधिकारियों ने अकर्मण्यता बताई है, उनके खिलाफ यह कार्यवाही सरकार ने की है। इसके परिणामस्वरूप प्रेस ने आज यह बायकाट का कदम उठाया है।

प्रेस, हम और यह विधान सभा सभी जनतन्त्र के अंग हैं, स्तम्भ हैं। अगर इनमें से किसी अंग पर इस तरह का बर्बर हमला होता है तो तमाम का तमाम अंग कमजोर पड़ता है यह सीरियसली हमारे सोचने की बात है, मंत्री मण्डल के सोचने की बात है और सदस्यों के सोचने की बात है।

आज अखबार पर हमला हुआ है, कल सदन के किसी माननीय सदस्य, जो निर्भीकता के साथ अपने विचार प्रकट करता है, से कोई अधिकारी नाराज होकर, कोई पुलिस अधिकारी नाराज होकर, या डॉक्टर नाराज होकर उस पर हमला करा सकता है, परसों किसी मिनिस्टर के साथ यह नौबत आ सकती है, किसी कांग्रेस दल के ही किसी गुट-विशेष के व्यक्ति के खिलाफ यह नौबत आ सकती है। तो फिर समझ में नहीं आता यह जनतन्त्र किस आधार पर टिकेगा। यह प्रश्न आज उपस्थित है।

अगर हम प्रेस की आजादी को अक्षुण्ण नहीं रख सके, विधान सभा के चलते रहते समय भी हम सुरक्षा उनको नहीं दे सकते, तो इससे बड़ी शर्म की बात इस जनतन्त्र में विश्वास रख कर चलने वाली सरकार के लिए क्या हो सकती है ?

फिर विधान सभा की बहस सुनने के बाद प्रेस ने बायकाट करने का निर्णय किया तो इसका साफ मतलब यह है कि उनको इस सरकार की तरफ से सन्तोष नहीं मिल सका कि जनतन्त्र में विश्वास रखने वाली, जनता द्वारा चुनी हुई यह सरकार और यह विधानसभा उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा, जिनकी गारन्टी संविधान में दी गई है, कर सकेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

हम इस कमजोरी को महसूस करते हैं कि विरोधी पक्ष के नाते भी हम उनको

Page No. 78

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

न्याय नहीं दिला पाये और इसलिए उनके साथ साथ हम भी यह महसूस करते हैं कि इस सदन में न बैठ कर हमें भी इसका बायकाट करना चाहिए। सरकार अकेली रहे और अपनी उदासीनता का परिणाम वह स्वयं भुगते।

मैं सरकार से भी कहना चाहता हूं कि दुतरफा हुशियार है। आप आज प्रेस पर हमला कराकर प्रसन्न हो सकते हैं, उसके प्रति चुप्पी साध कर हँस सकते हैं, आज हमलावरों को ढील देकर आप चल सकते हैं और कह सकते हैं कि पत्र में हमारी आलोचना करने का मजा चखो, नीम के थाने में प्रधान जो आपकी खिलाफत करता है जबर्दस्ती पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और आप कान में तेल डाले बैठे रह सकते हैं, अध्यापकों की पिटाई हो और आपका सरपंच जो आपके दल का हो इस तरह की कार्यवाहियां करे और आप दूर बैठे हंसते रहो और समझते रहो कि हमारी खिलाफत करने का यही नतीजा है. तो याद रखिये अगर इसी तरह की हालत इस प्रदेश में आपने पैदा होने दी, इस समाज में इसी को पैदा होने दिया तो वह दिन दूर नहीं है कि अब जो हमला आज हमारे ऊपर हो रहा है, पत्र पर हो रहा है वे ही हमले आपकी कोठियों पर होने लगेंगे, आपकी कारों पर होने लगेंगे, आपके मकानों और महलों को आग लगा देंगे, आप पर, आपकी कारों पर पत्थर बरसने लगेंगे। फिर आप महसूस करेंगे कि हमने क्या किया है, तब आपको प्रजातन्त्र और प्रजातन्त्र के तरीके याद आवेंगे, उनकी दुहाई देंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इस तरह अराजकता के तत्वों को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी आपकी है। जिस तरह का रवैया आपने आज अपना रखा है·······

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : चेयर लैंग पर खड़ी है। आप उधर देखें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप क्या बताना चाहते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह बताना चाहता हूँ। (चेयर की तरफ इशारा करते हुए)

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपको कोई बताने का हक नहीं है।

आप हमको नियम सिखाना चाहते हैं। आप स्वयं नियमों का पालन करिये। आप स्वयं नियमों को तोड़ते हैं। आप क्या बताते हैं ! मैं जानता हूं कि आप किस तरह की हरकतें करवाना चाहते हैं। जिस तरह प्रेस पर आपने आज हमला कराकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है और आज हंस रहे हैं और हम पर रौब गांठने की कोशिश कर रहे हैं, गांवों के लोग मिलकर कल आपकी कोठियों पर हमला करेंगे, तुम्हारे सिर टूटते नजर आवेंगे तुम्हारी शानदार कारें टूटती नजर आवेंगी तब तुम्हें अक्ल आवेगी।

(शोरगुल अश्रव्य)

(समय–समाप्ति–सूचक घन्टी)

Page No. 79

-(श्री रामानन्द अग्रवाल)

तब तुम्हारी आँखों से खुमारी उतरेगी, प्रजातन्त्र तब याद आने लगेगा, उसकी दुहाई देते फिरोगे। तब तुम्हें जनता की याद आवेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे दिल आज जल रहे हैं। जिस तरह का अन्याय आज यह सरकार किये जा रही है और प्रजातन्त्र में भी इस तरह का अन्याय होता रहा तो इसकी प्रतिक्रिया बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। काले मुंह लेकर यहां पर बैठे रहो और उस पर हमला होता रहे। आप हंसते रहो, तो यह उनके हमारे अफसोस की बात नहीं है। आपके अफसोस करने की बात है। आपकी ये हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप अपने आपको नालायक साबित कर चुके हैं। राजस्थान के हित में यह है कि आप जैसे नालायकों को निकाल बाहर किया जाय। इसलिए मैं नहीं सुनना चाहता आपको। आपको शर्म आनी चाहिए कि इस तरह से लोगों पर लाठियां पड़ें और आप उसको सुनना नहीं चाहते। आपको शर्म आनी चाहिये। आप हमें नियम सिखाने चले हैं।

इस तरह के जुल्म और ज्यादती को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं इस सबके प्रोटेस्ट के रूप में सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(बहिर्गमन)

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : Point of order Sir. मैंने एक मोशन आपकी सेवा में भेजा है जिस मोशन में हमने आपसे निवेदन किया है कि हम यह प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं कि इस सदन की कार्यवाही प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए और से उसके लिए जो भी संघर्ष प्रेस की ओर किया जा रहा है उसकी सहानुभूति में इस सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाये....

श्री उपाध्यक्ष : यह आप मूव कर रहे हैं ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : जी हां। और यह प्रस्ताव हमने आपको भेजा भी दिया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, यदि इस सदन के अंदर कार्य सलाहकार समिति का कोई प्रतिवेदन पेश भी हुआ है और स्वीकृत भी कर लिया गया है तो भी हमारे नियमों में यह पर्याप्त प्रावधान हैं कि उन सारे प्रावधानों को संशोधित भी किया जा सकता है....

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! आपका जो मोशन है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : आप मूव तो करने दीजिए। आप वोट पर उसको कैसे रख सकते हैं ? मैंने उस मोशन का समर्थन किया है और उसके लिए कुछ अर्ज करूंगा। माननीय सदस्य मोशन को तो मूव करें।

श्री उपाध्यक्ष : मैं रूल २६२ के अन्तर्गत....

श्री मानिकचन्द सुराणा : मेरा निवेदन है कि यह मोशन कोई एक पक्ष का नहीं

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

है। इस मोशन में हो सकता है "हां" पक्ष के लोग भी शामिल हों।

श्री उपाध्यक्ष : लेकिन मैं रूल २६२ के अन्तर्गत I am putting it to vote.

श्री मानिकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि आप वोट पर रखें मैं कुछ कहना चाहता हूं और मुझे कहने का अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष : I don't think we can stop the whole business of the House.

प्रश्न यह है...

श्री मानिकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप इस मामले को इस तरह से फोर्स करते हैं तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विधान सभा के कार्य संचालत के नियमों के प्रति कोई इज्जत साधारण सदस्यों में भी बाकी नहीं रह जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो आप स्वयं विचार कर सकते हैं कि कितनी इज्जत आप उसको देना चाहते हैं। मैं केवल नियमों के अन्तर्गत ही यह कार्यवाही करूंगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह स्तरी डेमोक्रेसी इस तरह से फेल हो जायेगी। रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऐसी पुस्तिका हो जायेगी ....

श्री उपाध्यक्ष : The House is seized with some business.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माननीय सदस्य बतायें तो सही कि मोशन क्या है ? जब तक यह नहीं बताया जाता है तब तक वोट किस बात पर लेंगे ? हाउस बिना समझे बिना प्रस्ताव को जाने, बिना उसके कंटेन्ट्स को जाने किस पर वोट करेगा....

(व्यवधान)

(घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कम से कम हाउस को यह तो बताने दो कि मोशन क्या है।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : वह सबको मालूम है। नियम के अन्तर्गत ही सारे काम कर रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह प्रोसीजर है खेत की मूली नहीं है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब !

श्री उपाध्यक्ष :Order please ! यह प्रश्न है कि जो प्रस्ताव....

अनेक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय,....

(व्यवधान) (अश्रव्य)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप प्रस्ताव तो रखने दीजिए फिर उसे वोट पर रखिये।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Order please! प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव....

अनेक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : Point of order, Sir !

(शोरगुल–व्यवधान)

(शोरगुल और व्यवधान के बीच) Point of order, Sir.

उपाध्यक्ष महोदय, जब एक प्रस्ताव आपके सामने है उस प्रस्ताव को हम समझें कि वह किस लिए सदन को स्थगित करना चाहते हैं। उनकी जब तक पूरी तरह से दलीलें नहीं सुनें तब तक हम प्रस्ताव के पक्ष में या विपक्ष में वोट कैसे दे सकते हैं ? इसलिए यह व्यवस्था का प्रश्न है कि उनसे सुना जाये और सुनने के बाद जो भी कार्यवाही हो, जिस तरह की भी व्यवस्था हो, वह उसके बाद में दें।

श्री उपाध्यक्ष : मैं इस विषय में कह चुका हूँ कि यह प्रस्ताव मूव समझा जायेगा और उसको वोट के लिए पुट कर रहा हूं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : प्रस्ताव क्या है, यह तो आप समझने दीजिए मेम्बरों को।

श्री उपाध्यक्ष : वह श्री मानिकचन्दजी ने प्रस्ताव रखा है कि प्रेस की सहानुभूति के अन्दर सदन की कार्यवाही कल ११ बजे तक के लिए स्थगित कर दी जाये।

(व्यवधान)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैंने भी इसका समर्थन किया है तो फिर क्यों किया है ? आप मुझे समझाने तो दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों का रूल २६२(१) की तरफ ध्यान आकर्षित करूंगा।

"If the Speaker is of the opinion that a motion for the adjournment of a debate is an abuse of the rules of the House he may either forthwith put the question thereon or decline to propose the question."

इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि....

श्री मानिकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, कोई डिबेट को एडजोर्न करने का प्रश्न नहीं है। प्रश्न सारे हाउस को एडजोर्न करने का है। आप लेण्ड रेवेन्यू पर बिल लाते हैं और आप इसलिए लाना चाहते हैं ताकि ट्रेजरी बैन्चेज़ को सहूलियत हो। न तो स्वतन्त्र पार्टी हाजिर है और न जनसंघ है और न सोशियलिस्ट पार्टी ही है।

श्री उपाध्यक्ष : हाजिर तो रहना चाहिए क्योंकि सदन ने स्वीकार किया है कि आज और भी बिजनेस होगा, वह होना चाहिए। अगर वह प्रश्न प्रतिपादित होता है तो आसन का कर्त्तव्य है कि जिस प्रकार से जल्दी लिया जा सकता है वह लिया जावे। इसलिए हम

Page No. 82

(श्री उपाध्यक्ष)

मोशन को डिस्पोज ऑफ करके उनको लेंगे ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : निवेदन मैं यह करना चाहता हूँ कि इस बिल पर कोई बहस आप करते हैं तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ....

एक माननीय सदस्य : स्वतन्त्र पार्टी वापिस आ गई है ।

श्री मानिक चन्द सुराणा : स्वतन्त्र पार्टी आ गई है तो वह जा भी सकती है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह तो आते-जाते रहते हैं । आप एक दफा जायेंगे तो कभी नहीं आयेंगे ।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : इस रेज्योल्यूशन के कन्टेन्ट्स क्या हैं, यह जानने का अधिकार है हमें कम से कम हाउस के सामने रखना था और मूवर को समय दिया जाये फिर बाद में वोट का सवाल आयेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : जो बाकायदा रेज्योल्यूशन और मोशन होता है वह नियमों के अन्तर्गत, विभिन्न नियमों के अन्तर्गत होता है परन्तु तुरन्त जो भी मूव किया जाता है उस पर कोई डिबेट नहीं होती है, कोई, उस पर भाषण नहीं होता है इसलिए मैं जो आपने मोशन रखा है उसको वोट के लिए रखता

(व्यवधान)

मैं उस प्रस्ताव को पढ़ देता हूँ ।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : लेकिन हाउस को उसे समझना तो चाहिए फिर लिया जायेगा । और उसके बाद आप वोट पर रख सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं उस प्रस्ताव को पढ़ देता हूँ ।

माननीय श्री माणिकचन्द सुराणा और श्री....

(विराम)

श्री हीराभाई : यही तकलीफ तो हम आपकी दूर करना चाहते थे ।

श्री उपाध्यक्ष : और श्री हांडा ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसे पढ़ देता हूँ :

"प्रेस की स्वतन्त्रता की रक्षा करने हेतु व उसके लिए अपनी सहानुभूति प्रदर्शन करने हेतु आज सदन की कार्यवाही कल सुबह ११ बजे तक के लिए स्थगित कर दी जाये" जो पक्ष में हों वह 'हां' कहें ।

जो विपक्ष में हो वह "ना" कहें ।

'ना' पक्ष जीता ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : Ayes have it, Sir.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : We want division, Sir.

श्री मानिकचन्द सुराणा : जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में हों आप उनको खड़ा कर दीजिए ।

(विभाजन घंटी)

(३ म. प.)

(राजकीय पक्ष के माननीय सदस्य सदन में स्थान ग्रहण कर रहे थे)

ये प्रेस की स्वतन्त्रता के रक्षक उपस्थित हो गये हैं....

(शोरगुल)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हर एक ने बीसों ब्लॉक बनवा रखे हैं अपनी फोटुओं के और रोज अखबारों में छपवाते हैं, अब आज देखते हैं क्या करते हैं अखबारों के लिए।

श्री उपाध्यक्ष : पुनः मैं प्रश्न रखता हूँ। प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री मानिकचन्द सुराणा ने प्रस्तुत किया है उसको पारित किया जाय ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव को पढ़ कर सुनायें।

(शोरगुल)

(व्यवधान)

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (रायसिंहनगर): इन सबको (राजकीय पक्ष की ओर संकेत) प्रस्ताव पढ़ कर सुनायें।

श्री उपाध्यक्ष–प्रस्ताव इस प्रकार है।

"प्रेस की स्वतन्त्रता की रक्षा करने हेतु व इसके लिए अपनी सहानुभूति प्रदर्शन करने हेतु आज सदन की कार्यवाही कल सुबह ११ बजे तक स्थगित कर दी जाय"।

इस प्रकार का प्रस्ताव है जो इसके पक्ष में हों वे "हां" कहें।

जो इसके विपक्ष में हों वे 'ना' कहें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): Ayes have it, Sir.

श्री उपाध्यक्ष Ayes to "Ayes" Gallery and Noes to "Noes" Gallary.

[विभाजन के पश्चात्]

Ayes....

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): Point of order, Sir ...

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री): No point of order.

श्री मानिकचन्द सुराणा : The point is in relation to this Division. Sir. आपने जो डिविजन कराया है, मैं प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली के नियमों के तहत, उपाध्यक्ष महोदय, उसको चुनौती देता हूँ। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि डिविजन कराने से पहले सारी लॉबीज़ क्लियर होनी चाहिए। आपको यह स्पेसिफिकली कहना था, That the lobbies be cleared,

आपने इन शब्दों का कोई उच्चारण नहीं किया है और लॉबीज़ सारी क्लियर हुए बिना ही और ये सारे दरवाजे बन्द करवाये बिना ही आपने डिविजन कराया है, तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस डिविजन में कोई फोर्स नहीं है। इसलिए मैं यह पोइंट ऑफ ऑर्डर आपकी व्यवस्था के लिए उठाना चाहता हूँ। आप कृपया प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियमावली के नियमों का अध्ययन करके देख लें।

श्री उपाध्यक्ष : डिविजन जिस प्रकार से होता आया है उसी प्रकार से हुआ है, और........

श्री मानिकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, आप रूल्स को एक बार पढ़ लें कि "That the lobbies be cleared" "इन शब्दों का उच्चारण करना आवश्यक है या नहीं ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : यह जो बात है, जहां तक प्रेस का ताल्लुक है इधर वाले भी पूरी तरह से इस मामले में साथ हैं कि इतने दिन तक जो पुलिस ने कार्यवाही नहीं की है वह बिल्कुल गलत है। हम इसकी पार्टी में चर्चा करेंगे। प्रेस जो है वह किसी पार्टी का नहीं है। यह सवाल किसी पार्टी का नहीं है; बल्कि हमारे संव का है और प्रेस को इस तरह से नोटिस देकर इस प्रकार का किया तो इस बात की खुशी समझते हैं कि एडजार्नमेंट मोशन भी पास हो जाय तो कोई बड़ी बात नहीं है।

(विपक्ष की ओर से "हियर, हियर")

लेकिन इसके लिए डिविजन और जिस तरह का रवैया जो अख्तियार किया जा रहा है उससे यह इम्प्रेशन हो रहा है कि जैसे कोई कांग्रेस पार्टी के सारे सदस्य प्रेस के खिलाफ हैं। यह बात गलत है और इस गलत बात को....

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : बातों में तो साथ हो ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : तो, उपाध्यक्ष महोदय, हम फिर इल्तजा करते हैं होम डिपार्टमेंट को कि इस निष्क्रियता से निकलें दिन–दहाड़े एक प्रेस पर हमला हो और १५–२० लोग आकर इस प्रकार की कार्यवाही करें और आज तक पुलिस कोई एक्शन नहीं ले सके तो यह बड़े शर्म की बात है और हमको इस स्थिति में डाल दिया जाय। कांग्रेस पार्टी की पूरी सहानुभूति उनके साथ है। यहां अल्फाज से नहीं कहते हैं तो निष्क्रियता के लिए हम पार्टी में इसको डिस्कस करेंगे।

(विपक्ष की ओर से "हियर, हियर")

श्री उपाध्यक्ष : रिजल्ट इस प्रकार है ...

श्री मानिकचन्द सुराणा : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था हो जाय रूल २८३ के तहत। आपका आब्जर्वेशन होना चाहिए।

श्री राधाकृष्ण गोयल : "That the lobbies be cleared" यह अनिवार्य है कहना या नहीं ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : २८६ में आपकी सेवा में पढ़ दूं। २८६ यह है, उपाध्यक्ष महोदय :

"On the conclusion of a debate the Speaker shall put the question and invite those who are in favour of the motion to say 'Aye' and those against the motion to say 'No'."

इसकी क्लॉज (२) यह है, उपाध्यक्ष महोदय :

"The Speaker shall then say-I think the Ayes (or the Noes, as the case may be) have it. If the opinion of the Speaker as to the decision of a question is not challenged,

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

he shall say twice: 'The Ayes (or the Noes, as the case may be) have it and the question before the House shall be determined accordingly."

श्री उपाध्यक्ष : यह जिस रूल की तरफ आप इशारा कर रहे हैं २८६ (ए) उसमें है :

"If the opinion of the Speaker as to the decision of a question is challenged, he shall order that the Lobby be cleared."

इसका आशय है कि जैसे Ayes एवं Noes का डिक्लेरेशन स्पष्ट भाषा में बाकायदा होता है उसी प्रकार से यहाँ "लोबीज बी क्लिअर्ड" ऐसा कहा नहीं जाता। यह तो मानी हुई बात है कि स्पीकर का आदेश हो गया और उसके अनुसार वह लॉबीज़ क्लियर मिलेंगी। यही परम्परा भी रही है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद में कहा है कि लॉबीज क्लियर कराने के आदेश देंगे और रूल (३) (बी) में यह कहा गया है :

"After the lapse of two minutes he shall put the question a second time and delcare whether in his opinion the Ayes or the Noes have it."

श्री उपाध्यक्ष : That has also been done.

श्री मानिकचन्द सुराणा : No, Sir. The Lobbies have not been cleared.

श्री हरिदेव जोशी : It has been done,

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : You should have said it as prescribed in the rules

श्री उपाध्यक्ष : Order please!

("ना" पक्ष ६० और "हाँ" पक्ष २२)

जो मोशन था वह गिर गया।

[विभाजन के अनुसार "हाँ" व "ना" पक्ष की सूचियां:–

("ना" पक्ष की सूची)

श्री अलदाराम मीणा
श्री बरकतुल्ला खां
श्री मगराज चौधरी
श्री भैरवलाल 'कालाबादल'
श्री भीमसेन
श्री भीमसिंह
महाराजकुमार श्री बृजेन्द्रपाल
श्री बृजसुन्दर शर्मा
श्री चन्दनमल बैद
श्री चतुर्भुज उपाध्याय
श्री दलपतसिंह
श्री देवेन्द्र कुमार मीणा
श्री देवीलाल मीणा
श्री धर्मराम आर्य
श्री गणेशलाल
श्री गंगासिंह परिहार (हिंडोली)
श्री गणपतिलाल वर्मा
श्रीमती गौरी पूनिया

Page No. 86

श्री गिरधारीलाल व्यास
श्री गोकुलप्रसाद शर्मा
श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा)
श्री हरिदेव जोशी
श्री हरिकिशन
डा० हरिप्रसाद शर्मा (मंडावर)
श्री हरिराम धारू (सिवाना)
श्री हरिश्चन्द्र
श्री हरलाल
श्री हजारीलाल शर्मा
श्री जगतसिंह
श्री जयकृष्ण शर्मा
श्री जेठमल बरवड़
श्री जुझारसिंह
श्री ज्वालाप्रसाद
श्री कानाभाई नुवाल
श्री माधोलाल खानपुरिया
श्री मनफूलसिंह
श्री मथुरादास माथुर
श्री मोहरसिंह राठौड़
श्री मोतीलाल चौधरी
श्री नाथूराम (बागीडोरा)
श्री नाथूराम मिर्धा
श्री निरंजननाथ आचार्य
श्री परसराम मदेरणा
श्री फूलचन्द जैन
श्रीमती प्रभा मिश्रा
श्री प्रभुलाल "सेन्टर"
श्री दामोदरलाल व्यास
राव श्री रघुवीरसिंह (बाड़ी)
श्री रघुनाथ विश्नोई
श्री रामचन्द्र
श्री रामप्रसाद लड्ढा
श्री रविशंकर याज्ञनिक
श्री रूपराम पंवार
श्री शंकरलाल जाट
श्री कुम्भाराम आर्य
श्रीमती सुमित्रा
श्री तेजाराम गहलोत
कुमारी उमा माथुर
श्री विरधाराम फुलवारिया

("हाँ" पक्ष की सूची)

श्री अब्दुल जब्बार
श्री अमरसिंह
श्री बालचन्द डागा
श्री चौथमल वर्मा
श्री हरिराम चौहान (तिजारा)
श्री हीराभाई
श्री जयनारायण सालोदिया
ठाकुर श्री जीवराजसिंह
श्री केदारनाथ
श्री मानिकचन्द सुराणा
श्री मथुरेशविहारी माथुर
श्री मूलचन्द चौधरी
श्री मुरलीधर व्यास
श्री नत्थीसिंह (भरतपुर)
श्री नाथूलाल करौल
श्री राधाकृष्ण गोयल
श्री रामानन्द अग्रवाल
श्री मानधातासिंह

श्री उमरावसिंह

श्री विजयपाल कटारा

श्री विट्ठल

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष : विधाई कार्य । विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक

गृह मंत्री के संबंध में संकल्प प्रस्तुत करने विषयक वाद-विवाद

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी मैंने एक संकल्प आपके पास में भेजा है ।

श्री उपाध्यक्ष : संकल्प आपका जो है वह रेजोल्यूशन की तारीफ में है अस्तु यथासमय आना चाहिये तुरन्त ही उस चीज को नहीं लिया जा सकता है । इसलिए कल उसको लिया जा सकता है आज नहीं लिया जा सकता है ।

श्री मानिकचंद सुराणा (कोलायत) : कल संकल्प लेने से सारा इन्फेक्चुअस हो जाता है ।

श्री उपाध्यक्ष : I shall act according to rules and not according to my wish.

श्री मनिकचंद सुराणा : प्रश्न यह है कि जिस तरीके से हमने संकल्प पेश किया है विधान सभा की कार्यवाही स्थगित कर दी जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : आपने एक मोशन मूव किया था । यह संकल्प है इसलिये दोनों में अन्तर है । संकल्प संकल्प ही की तरह मूव किया जा सकता है अन्यथा नहीं ।

श्री उमराव सिंह ढावरिया (बनेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी आप यह कहने जा रहे हैं कि अगला काम लिया जा रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो कहा जा चुका है ।

श्री उमरावसिंह ढावरिया : जो विधेयक....

श्री उपाध्यक्ष : यह क्या पोइंट आफ आर्डर है ?

श्री उमरावसिंह ढावरिया : यह पोइन्ट आफ आर्डर है । आप यह कहने जा रहे हैं आगे के बारे में । लेकिन कल जब हाउस एडजोर्न होने जा रहा था उस समय जो चेयर पर विराजमान थे उन्होंने कहा था कि कल राजस्थान पत्रिका के संबंध में जो स्थगन प्रस्ताव है उस पर चर्चा होगी । आज आप सारी बात को छोड़ कर नया कार्य शुरू कर रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : इसके बारे में व्यवस्था दी जा चुकी है । जो सदन ने नियत किया है वह कार्यवाही की जाय ।

श्री मानिकचंद सुराणा : मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जो लोक सभा में परम्परा है, किसी सदस्य को निलंबित करने का प्रश्न है वह उसी समय उठाया जाता है, पचासों बार प्रश्न उठाये गये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : निलंबित करने के प्रश्न के लिए रूल अलग है २६१, २६२ के अन्तर्गत

Page No. 88

(श्री उपाध्यक्ष)

उनको वियर्डा करने का आदेश दिया जा सकता है । यदि सदन रिजोल्युशन लाता है तो उसका तरीका अलग है । चेप्टर १२ में दिया है ।

श्री मानिकचंद सुराणा : On a point of order, Sir.....

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : मेरा बिल्कुल लीगल पोइन्ट है ।

श्री उपाध्यक्ष : There is already point of order by Shri Surana.

श्री मानिकचंद सुराणा : इस कांग्रेस पार्टी के उप-नेता श्री नाथूरामजी के स्थान पर दुबारा चुनाव होकर श्री मथुरादासजी को नियुक्त कर दिया है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : This is no point of order.

श्री मानिक चंद सुराणा : सीट्स जो एलोटेड है,

श्री उपाध्यक्ष : यहां की परंपरा के अनुसार कोई सीट एलोटेड मी रिजिड नहीं है ।

श्री मानिकचंद सुराणा : कौन मेम्बर सदन में कहां बैठेगा इसके लिए सीट्स फिक्स्ड हैं । डिप्टी लीडर की सीट लीडर के के पास है । आपने इस बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन किया है तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सदन को इसकी सूचना होनी चाहिये अन्यथा मथुरादासजी को आदेश होना चाहिये कि वे अपनी सीट पर बैठें ।

श्री उपाध्यक्ष : साधारणतः यह कोई पोइन्ट आफ आर्डर नहीं है, न इसके बारे में व्यवस्था की आवश्यकता है ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : मैं बहुत जरूरी बात कह रहा हूं सुन लीजिये ऐसा है कि हम लोग १५ तारीख से इस सदन में बैठ रहे हैं और मथुरादासजी माथुर आज ही हाजिर हुए हैं क्योंकि इस सीट पर बैठने के लिये उन्होंने मुख्य मंत्रीजी से लड़ाई कर रखी थी कि नहीं बैठने देंगे तो सदन में नहीं आऊंगा । यदि उन्होंने इशारा कर दिया है कि वे उप-नेता हैं इसलिये आये हैं तो यह सारी बात साफ हो जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : This is no point of order.

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : क्लाज बाई क्लाज विचारार्थ शुरू करवाइये ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : नेता और उपनेता की सीट निश्चित हैं दो सीट्स छोड़ कर वे बैठ सकते हैं । इसलिये सीट को डिस्आर्डर में रखने का पोइन्ट आफ इन्फार्मेशन है ।

(श्री मुरलीधर व्यास बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास बोल चुके हैं ।

(विरोधी पक्ष के कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : कम से कम यह तो सदन में बताया जाय कि सदन के नेता कौन हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : It is no point of order.

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो मोशन लिखित रूप में कुछ माननीय सदस्यों ने माननीय गृह मन्त्रीजी के कंडक्ट के बारे में आपके सामने पेश किया है उसकी लीगेलिटी के बारे में सदन की उसमें राय होनी चाहिये क्योंकि किसी भी मेम्बर के कंडक्ट के बारे में कोई आक्षेप हो तो उस सम्बन्ध में मोशन लाया जा सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय में व्यवस्था दी जा चुकी है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस तरह से ऐसे इम्पोर्टेन्ट मामले में····

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय में कल हो सकता है आज नहीं हो सकता । व्यवस्था के बाद नहीं बोल सकते ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : हमको मौका दीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष I would not allow reopening.

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह कैसे हो सकता है, एक मन्त्री इस तरह से मिस-कंडक्ट करे उसके खिलाफ मोशन आप नहीं लाने दें ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कुछ व्यवस्था का ख्याल रखें और आगे की कार्यवाही चलने दें । व्यवस्था दी जा चुकी है । आप चाहें जैसी व्यवस्था मिले यह आवश्यक नहीं है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! It has already been done. Please allow me your cooperation.

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप सुनने का मौका दें उसके बाद आप जो व्यवस्था देंगे शिरोधार्य करेंगे । आप हमको मोशन रखने दें ।

श्री उपाध्यक्ष : वह मोशन नहीं रखा जा सकता; व्यवस्था दी जा चुकी है ।

श्री रामानंद अग्रवाल : आप हमको सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष : सुना जा चुका है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : हमारा व्यू पोइन्ट सुन तो लेवें ।

श्री उपाध्यक्ष : It is not under consideration. Please allow me your cooperation.

श्री हरिदेव जोशी (जन-सम्पर्क मंत्री) : चेयर से कोऑपरेट करना चाहिये ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : This is point about the Hon.Minister·

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप मुझे बाध्य नहीं करें, सहयोग दें और कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन के अनुसार कार्य चलावें ।

Page No. 90

श्री रामानन्द अग्रवाल : × ×
× × ×
× × ×

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! अन ऑथोराइज्ड स्टेटमेन्ट है उसको एक्सपन्ज करता हूं । This is unauthorised talk. This has been exqunged.

श्री रामानंद अग्रवाल : × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री रामानन्द अग्रवाल × ×
× × × ×

श्री उपाध्यक्ष : Let me not repeat. order please !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : × ×
× × × ×

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : × ×

श्री उपाध्यक्ष : आप सदन की व्यवस्था का ध्यान रखें। इस विषय में व्यवस्था दी जा चुकी है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : × ×

श्री उपाध्यक्ष : That is also expunged. Every talk which is not anthorised is expunged. माननीय सदस्य ने जो भी बातें मेरी व्यवस्था के बाद इस विषय में कही या होंगी वे रेकॉर्ड नहीं की जायेंगी। Nothing shall be recorded. Order please ! Nothing shall be recorded.

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : +

\+ + + +
\+ + + +
\+ + + +

श्री उपाध्यक्ष : No ! No !!

Nothing of this shall be recorded

श्री हरिराम चौहान : + + + +

(अनवरत व्यवस्था-सूचक घंटी)

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : On a point of order Sir,........

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

× × × × अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाले गए।

\+ + + + अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किये गये।

Page No. 91

श्री मानिक चन्द सुराणा : On a point of order, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान रूल २६८ की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ । आपने यह जो अभी आदेश दिया है कि जितने भी माननीय सदस्य बोले हैं उनकी कोई भी बात प्रोसीडिंग्स पर रिकॉर्ड न की जाय । मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इन नियमों के तहत सारे भाषण को एक्सपंज करने का कोई प्रावधान नहीं है । सिर्फ कोई स्टेटमेंट डिफेमेट्री हो या ऑब्जेक्शनेबल रिमार्क्स हों तो वह एक्सपंज किये जायं ...

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहता हूँ ...

श्री मानिक चन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे मेरी बात खत्म तो करने दें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उन्हें अपना पोइन्ट ऑफ ऑर्डर कह लेने तो दें ।

श्री मानिक चन्द सुराणा : आप मुझे कह लेने तो दें । इस रूल में है :

"If the Speaker is of opinion that words have been used in debate which are defamatory or indecent or unparliamentary or undignified, he may, in his discretion, order that such words be expunged from the proceedings of the House."

इसमें सिर्फ ४ प्रकार के शब्दों को एक्सपंज करने का अधिकार है-डिफेमेट्री इंडीसेण्ट, अनपार्लियामेण्ट्री या अनडिगनीं-फाइड–इस प्रकार के ४ प्रकार के शब्द यदि नहीं होते हैं तो उन सारे भाषणों को पूरा एक्सपंज करने का अधिकार, मैं नम्रता के साथ अर्ज करना चाहता हूँ, यह अधिकार आपको भी नहीं है । इसलिए आपने जो व्यवस्था दी है, मैं यह चाहता हूँ, उस व्यवस्था को आप संशोधित इस रूल की लाइट में करने का कष्ट करें । यही मेरा पोइन्ट ऑफ ऑर्डर है ...

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय में ...

श्री रामानन्द अग्रवाल : हमने जो कहा है वह आपने एक्सपंज कर दिया है इसलिए आप हमें बोलने दें ताकि दुबारा वह नोट किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय में मैं अर्ज कर चुका हूँ कि इस विषय में व्यवस्था हो चुकी है । इस सदन की परम्परा के अनुसार सारे भाषण और विवाद होते हैं वह चेयर की इजाजत से होते हैं या जो कार्यवाही में हो वही होते हैं । अगर उनके अलावा कोई किसी प्रकार का विवाद प्रारम्भ हो, चेयर के रोकने के बावजूद हो तो यह एक विवेकपूर्ण तरीका है कि उसे रिकॉर्ड नहीं करने का आदेश दिया जाय ।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : On a point of order, Sir !

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा (रायसिंह नगर) : On a point of order, Sir ...

श्री हीराभाई : एक व्यवस्था का सवाल है, उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : This is obstruction of the proceedings of the House. मैं निवेदन करूं ....

श्री हीरा भाई : एक व्यवस्था का सवाल है....

श्री उपाध्यक्ष : I will not allow.

मैं निवेदन करना चाहता हूँ....

श्री हीराभाई : व्यवस्था का प्रश्न है ! उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है ! ! व्यवस्था का सवाल है ! ! !

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, पोइन्ट ऑफ ऑर्डर तो किसी भी स्टेज पर उठाया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : इसका मतलब यह है कि आप बिजनेस को नहीं चलने देना चाहते हैं।

श्री हीराभाई : मेरा पोइन्ट ऑफ ऑर्डर यह है....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अच्छा सदन चल रहा है !

श्री हीराभाई : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जब माननीय सदस्य इस विधान सभा में अगर काम में दखल-दराजी करते हैं या फिर विधान सभा के सदस्य किसी तरह से कार्यवाही ढंग से नहीं करते हैं, या विधान सभा ढंग से नहीं चलती है तो चेयर का कर्त्तव्य है कि जब हो-हल्ला ज्यादा हो जाता है और विधान सभा को स्थगित करना जरूरी हो जाता है....

श्री उपाध्यक्ष : Order Please ! इसमें आप एडवाइस न करें।

श्री हीराभाई : मेरी ओपिनियन आप सुन लें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चेयर को यह अधिकार तो है लेकिन किसी तरह से भी हमारे भाषणों को रिकॉर्ड से एक्सपंज करने का अधिकार चेयर को नहीं लेना चाहिए। इस सदन में आपके सामने ६ सदस्यों को निलम्बित कर दिया गया था, तत्काल गवर्नर ने घसीट-घसीट कर निकाल दिया था लेकिन आज पत्रकारों पर हमला हुआ है, वह हमारी नौकरी में नहीं हैं....

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! आप भाषण न दें इस प्रकार।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप उनका पोइन्ट ऑफ ऑर्डर तो सुनिये।

श्री हीराभाई : इस घटना को लेकर हमने गृह मंत्री को निलम्बित करने का मोशन रखा है उसको आप रखने के लिए तैयार नहीं हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए था तो यह आश्वासन मिल जाता कि इनको तत्काल निलम्बित कर दिया जाएगा। यह व्यवस्था आप दे दें। इसके अलावा भी बहस आगे न की जाय क्योंकि हमारे पत्रकार-लॉबी में नहीं हैं, रिपोर्टहीन हमारी विधान सभा हो गई है। इसलिए उनके बारे में खेद प्रकट करते हुए मैं वाक-आउट करता हूँ।

(श्री हीराभाई ने बहिर्गमन किया)

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : उनका भाषण भी एक्सपंज किया जाय, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री विट्ठल भाई : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, जो पोइन्ट ग्रॉफ ग्रॉर्डर मैंने आपके समक्ष उठाया था ग्रौर जिस पर व्यवस्था दी है, मैं यह जानता हूँ कि क्या वह सब प्रोसीडिंग्स में दर्ज किया है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : कौनसा पोइन्ट ग्रॉफ ग्रॉर्डर ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : पोइन्ट ग्रॉफ ग्रार्डर मैंने रेज किया था :

श्री उपाध्यक्ष : पोइन्ट ग्रॉफ ग्रॉर्डर तो दर्ज किया गया है। बाकी जिस पर मैंने व्यवस्था दी है वह एक्सपंज किया गया है।

श्री मानिक चन्द सुराणा : वह सारी कार्यवाही प्रोसीडिंग्स की पार्ट बनाई गई है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : जो व्यवस्था दी जा चुकी थी संकल्प के बारे में उसके उपरान्त जो बहस हो रही थी उसके लिए कहा गया था। बाकी सब दूसरा रिकॉर्ड हो रहा है :

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की पालिसी के आधार पर ...

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! You cannot obstruct the proceedings of the House.

श्री अब्दुल जब्बार : मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ वह कॉपरेशन की बात अर्ज करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूँ कि इस प्रकार कार्यवाही रोकी जायेगी तो मुझे उसके लिए उचित कार्यवाही करनी पड़ेगी।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : कार्यवाही रोकने का सवाल नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : यह कार्यवाही में अवरोध डालना है। मैं क्षमा चाहता हूँ अगर मुझे सख्त कार्यवाही करनी पड़े।

श्री मानिकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, हम सारे जो सदन के अन्दर बैठे हैं, हम सब वाक-आउट करना चाहते हैं। लेकिन आप हमको ३-४ मिनिट का समय अपनी बात कहने को तो दें।

श्री विठ्ठल भाई : होम मिनिस्टर ने वह सारी कार्यवाही सहन की और पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की....

श्री उपाध्यक्ष : जो ब्रीफली आप कहना चाहें वह सब कहें, मुझे आपत्ति नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इसको प्रोसीडिंग्स का पार्ट बनाया जायगा ?

श्री विठ्ठल भाई : उनके खिलाफ कार्यवाही हो सकती थी और पुलिस कार्यवाही कर सकती थी लेकिन आज हमारे जैसे आदमियों के साथ यह तमाम घटना होती है तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती।

श्री उपाध्यक्ष : आप भाषण न दें।

श्री मानिक चन्द सुराणा : हम वाक-आउट करने से पहले अपनी बात कहना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो भाषण शुरू करना है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : हम यदि बाहर जा रहे हैं, वाक-आउट कर रहे हैं तो हमें अपनी बात तो कहने दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था दी है वह हमें शिरोधार्य है लेकिन हमें उससे संतोष नहीं है और जो मोशन दिया था माननीय गृह मन्त्री के मिस-कन्डक्ट के खिलाफ, उनको निलम्बित करने के लिए....

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, इसको भी एक्सपंज किया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : राजस्थान पत्रिका पर हमला हुआ, उसके बारे में आपने बयान दिया है, उससे स्पष्ट है कि गवर्नमेंट बजाय इसके कि वह जनतन्त्र की रक्षा करे वह उन तमाम लोगों को संरक्षण देती है....

श्री गिरधारीलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो वही का वही रिपिटिशन है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उन्होंने मुलजिमान को छिपाने की कोशिश की है। उनके मिस–कन्डक्ट के खिलाफ मोशन दिया है और हम यह उम्मीद करते थे कि आप इस सदन को यह मौका देंगे क्योंकि यह गृह मन्त्री जी इतने अयोग्य साबित हो गये हैं ..

श्री गिरधारीलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, इसको एक्सपंज किया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : गृह मंत्री के मिस–कण्डक्ट को यहां डिस्कस करने का आप मौका देंगे लेकिन आपने व्यवस्था देकर हमारी जबान पर ताला लगाने की कोशिश की है। हम इस सदन की उन मर्यादाओं को भंग नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी हम स्ट्रांगली यह महसूस करते हैं कि ऐसा गृह मन्त्री जो इस प्रकार के मिस–कण्डक्ट का दोषी है, जो इस प्रकार....

श्री गिरधारीलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, इसको एक्सपंज किया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मुलजिमान को छिपाने का दोषी है, और जो जब जनतंत्र के ऊपर इस प्रकार का आघात लगे और इस प्रकार हमला हो उसके बाद भी मौन धारण किये हुए है, और प्रत्यक्ष तौर पर ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं ऐसे व्यक्ति को आप प्रोत्साहन दे रहे हैं। मेरा निवेदन है कि चेयर की ओर से यह व्यवस्था देकर उनके खिलाफ, उनके काले कारनामों के बारे में जो खुले तौर पर ...

श्री गिरधारीलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक्सपंज किया जाना चाहिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जनता के सामने बातें आतीं उनको नहीं आने देने की कोशिश है।

श्री दलपतसिंह (आबू) : उपाध्यक्ष महोदय, आप क्या सुन रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसलिए व्यवस्था के प्रोटेस्ट के रूप में मैं वाक-आउट करता हूँ।

(श्री रामानन्द अग्रवाल द्वारा बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष : आप भले ही वाक-आउट करें····

श्री दलपतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय····

श्री विठ्ठल भाई (बांसवाड़ा-सु०): जिस प्रकार की हमारे सामने कार्यवाही हो रही है और इस कार्यवाही के विषय में····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री विठ्ठल भाई : कोई संतोषजनक कार्यवाही न हो। इसलिए मैं सदन से वाक आउट करता हूँ।

(बहिर्गमन)

श्री दलपतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें भी उतना ही रंज है प्रेस के ऊपर हुई घटना के बारे में और राज्य सरकार भी चिन्तित है। उस सम्बन्ध में राज्य सरकार जो भी कार्यवाही करना चाहती है उसके बारे में उनके द्वारा जवाब दे दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन !

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो प्रस्ताव रखा है माननीय सदस्य की तरफ से····

श्री दलपतसिंह (आबू): वह तो पोइन्ट ऑफ डिसीप्लीन है।

श्री मुरलीधर व्यास : इनका जो प्रस्ताव है····

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (रायसिंहनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस पर व्यवस्था हो जाय जो माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है····

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक है उसको क्लॉज बाई क्लाज विचार करने के लिए आपको शुरुआत करनी है। उसमें एक एक को लेना शुरू कर दीजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): On a point of order,

श्री उपाध्यक्ष : कोई पोइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है, मैं क्रमशः बोल रहा हूँ।

श्री मानिकचंद सुराणा (कोलायत) : क्रमशः नहीं। आप क्रमशः पोइन्ट ऑफ ऑर्डर के बाद ही बोल सकते हैं उसके पहले नहीं। व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जो हम हाउस में है उनको वाक-आउट करके जाने की इजाजत होती नहीं और वह वाक-आउट करते हैं वह वाक-आउट करने से पहले एक ब्रीफ स्टेटमेंट देना चाहें तो वह स्टेटमेंट दे नहीं सकते····

श्री उपाध्यक्ष : ब्रीफ स्टेटमेंट आप दें। लेकिन You can't obstruct the

(श्री उपाध्यक्ष)

proceedings. वैसे ऐसा प्रावधान नहीं है ब्रीफ स्टेटमेंट देने के बारे में ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : मैं बार बार खड़ा हो रहा हूँ, लेकिन आप आज्ञा देते ही नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में विचार व्यक्त करना चाहें तो वह कर सकते हैं । मैंने किसी सदन में इस प्रकार की परम्परा नहीं देखी कि वाक-आउट करने से पहले डिबेट हो । जो भी आप कहना चाहें वह संक्षेप में ही कह दें ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : संक्षेप में ही कह रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में नहीं है ।

श्री मुरलीधर व्यास आप कहने तो दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं भाषण अलाऊ नहीं करूंगा ।

श्री मुरली धर व्यास : मैं संक्षेप में ही कहना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष :Order please.

श्री मुरलीधर व्यास : आप इजाजत नहीं देंगे तो मैं बैठ जाऊंगा । लेकिन फिर खड़ा होऊंगा । फिर बैठा देंगे तो फिर खड़ा होऊंगा । आप मुझे मौका तो दीजिये ...

श्री मुरलीधर व्यास: उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का बड़ा खेद है कि बड़े लम्बे अर्से से एक छोटी-सी बात और मुद्दे पर जो आपके सदन की शोभा और जिस पर हम सब यहां पर बैठे हैं, हम यह नहीं चाहते कि किसी प्रकार की गड़बड़ी हो मगर इतना चाहते हैं कि सदन की परंपरा है, कान्स्टीट्यूशन के तहत कार्यवाही होती तो सदन है उसमें पत्र-प्रतिनिधि भी होते हैं जो आज के लोकतन्त्र में एक आवश्यक अंग है उसको हम अलग नहीं कर सकते । यह सदन है जिसकी कार्यवाही उनके द्वारा एक एक व्यक्ति के पास पहुँचाई जाती है और हम चाहते हैं कि यहां की कार्यवाही एक एक व्यक्ति के पास पहुँचे । जो आर्डीनेन्स और दूसरी चीजें यहां सदन में लाई जाती हैं वे उनके द्वारा जनता तक पहुँचाई जाती है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

श्री उपाध्यक्ष : आप भाषण दे रहे हैं ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : हम वाक-आउट करने से पहले ब्रीफ स्टेटमेंट तो दे सकते हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : आप हमें बातें रखने नहीं देते हैं तो मैं क्या करूं ? मैं तो संक्षेप में कहना चाहता हूं । आपने मौका नहीं दिया बोलने का । अगर आपने मौका मुझे नहीं दिया तो मैं बैठ जाता हूँ और फिर खड़ा हो जाऊंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं इसके लिए बाध्य नहीं होना चाहता ...

श्री मुरलीधर व्यास : आपने मुझे ५ मिनिट का समय दिया । दो मिनिट ही हुए आपने बोलने नहीं दिया ।

Page No. 97

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : आपने दो मिनट का समय दिया और ये फिर वही बातें रिपिट कर रहे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास: उपाध्यक्ष महोदय, मेरी मान्यता यह है कि इस मुद्दे पर....

श्री उपाध्यक्ष : मानीनय सदस्य, No I will nol allow you to speak.

श्री मुरलीधर व्यास : आप फिर मेरा समय ले रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यदि आप वाक आउट करना चाहते हैं तो यह आप का अधिकार है

(श्री मुरलीधर व्यास के बोलने के लिए खड़े होने पर)

माननीय सदस्य ! मैंने आपसे निवेदन किया कि आप बैठ जावें।

श्री मुरलीधर व्यास : मुझे आप बोलने तो दें।

श्री उपाध्यक्ष :I will not allow you.

श्री मानिकचन्द सुराणा : वाक-आउने करने के पहले ब्रीफ स्टेटमेंट तो दे सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा on a point of ..., Sir

श्री उपाध्यक्ष : There is no point of information.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा I want very simple information from the Chair.

श्री उपाध्यक्ष No sir, I don't allow it.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा Please allow me to have one docile information. A very humble in formation.

श्री उपाध्यक्ष : No please.

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रकार काम रोका जावेगा तो I will be complled to name the members.

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : मैंने यह माँग की है कि

श्री उपाध्यक्ष : आप अपना स्थान ग्रहण करें।

(श्री हरिराम चौहान तथा उमरावसिंह ढाबरिया के साथ साथ बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष I name Hon. ble Shri HariRam.

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आप बोलने ही नहीं देंगे

श्री उपाध्यक्ष : I also name Shri Dhabaria.

उमरावसिंह ढाबरिया : बोलने तो दें। आप कहेंगे उस पर बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप राजस्थान भू-राजस्व पर बोल सकते हैं इसके अलावा नहीं बोल सकते।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, १६ तारीख को हाउस एडजोर्न होने से पहले सदन के माननीय सदस्य श्री मानिकचन्द सुराणा ने राजस्वमन्त्री से फैसले के बारे में पूछा था कि आप कब देंगे और उन्होंने कहा था कि सोमवार को देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : इसके बारे में व्यवस्था दी जा चुकी है। इस संबन्ध में हम दूसरे विषय पर जा चुके हैं।

श्री केदारनाथ : मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह हमारा स्ट्रोंग केस है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप शांत रहिये।

आप भी भू-राजस्व पर बोलें तो मैं इजाजत दे सकता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : चौधरी साहब फैसला रखें तो हम उस पर बोल सकते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : वाक आउट करने का हमारा अधिकार है, उससे पहले ब्रीफ स्टेटमेंट तो दे सकते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने मुझे उपाध्यक्ष महोदय, ५ मिनट का समय दिया था। मगर बीच में ही मुझे बैठा दिया। मेरी मान्यता यह है कि सारी बातें होने के बाद जब मन्त्री जी को सूचना मिल चुकी कि कल से सारे प्रेस वाले नहीं बैठेंगे तो सदन की कान्स्टीयुशन की रक्षा के लिए हमारे सदन के नेता को प्रेसवालों को बुलाना चाहिए था और उनसे बात-चीत करनी चाहिए थी। ऐसी बात चीत हम उनसे करते कि वे क्यों इस कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेना चाहते। यह एक साधारण सी बात पूछना चाहता हूं इसको क्या हुकूमत ने किया है और इसको क्यों करना, क्यों नहीं ठीक समझा? ठीक नहीं समझा तो उसका कारण यह कि यहां पर पार्टीबाजी चलती है। जो एक अखबार जनता की नीति से जनतन्त्र की नीति से कहता है और सरकारी पक्ष यह कहता है कि हमारे खिलाफ यह कहता है। इसलिए उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना दिया और उसने अपने विचारों को पत्र में लिखा। अगर मन्त्री लोग इस प्रकार की बातें कहते हैं तो यह बात बुरी है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : Order please!

श्री मुरलीधर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय मैं यह बात जानना चाहता हूं कि क्या प्रेस वालों ने नोटिस दिया था कि कल से वे इसमें हिस्सा नहीं लेंगे? तो क्या किसी मंत्री ने उनको बुला कर उनसे बातचीत की है ताकि मुझे पता लगे? अगर नहीं की है तो कम से कम आप यह भी बतला दें। मैं यह निवेदन करूंगा कि यह वाक आउट का प्रश्न नहीं है। अगर सरकार ने उनसे बातचीत की है तो वह उसका जवाब दे कि उन्होंने क्या बातचीत की और अगर नहीं की है तो कहदें कि नहीं की।....

(श्री मुरलीधर व्यास)

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

मैं आपके जरिये मन्त्री महोदय से यही पूछना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, I name shri Murlidhar Vyas.

श्री मुरलीधर व्यास : मैं फिर सरकार से निवेदन कर रहा हूँ कि आप यह बता दें कि आपने उनसे कोई बातचीत की है क्या और की है तो बता दें ?

श्री उपाध्यक्ष : सम्माननीय सदस्य श्री मुरलीधर व्यास ।

श्री मुरलीधर व्यास : यह तो कम से कम सदन को बता दिया जाना चाहिए ।

अगर आप यह भी नहीं बताना चाहते तो यह आपकी मर्जी है ।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : मैंने जो कुछ लिखकर दिया है उसके सम्बन्ध में आपकी क्या व्यवस्था है ?

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की यह राय है कि श्री हरिराम, श्री उमरावसिंह ढाबरिया और श्री मुरलीधर व्यास को आज के लिए सदन से निलम्बित किया जाये ।

(स्वीकृत)

श्री हरिराम, श्री उमरावसिंह ढाबरिया और श्री मुरलीधर व्यास को आज की कार्यवाही से सदन से निलम्बित किया ।

(शोरगुल और व्यवधान)

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : Point of order sir.

श्री उपाध्यक्ष : No point of order When the question is being put, there is no point of order.

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : अभी आपने कुछ व्यवस्था दी है, क्या कोई प्रस्ताव आया था ?

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय में मैं निवेदन करूंगा कि यह प्रस्ताव पास हो चुका है ।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) पाइन्ट आॅफ आॅर्डर है···

(शोर गुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! माननीय सदस्य श्री हरिराम, श्री ढाबरिया और श्री मुरलीधर व्यास सदन से बाहर जायं ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (वनेड़ा) : पाइन्ट आफ आर्डर कर रहे हैं ।····

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सदन से बाहर जायं ।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : बहुमत के लिए अल्पमत को साथ लेकर चलना जरूरी है ···

श्री उपाध्यक्ष : Order please !···

Page No. 100

श्री राधाकृष्ण गोयल : विरोधी पक्ष एक महत्वपूर्ण गंभीर विषय पर अपने विचार प्रदर्शित करता है जिससे कि राजस्थान सरकार के गृह मन्त्री को जानकारी हो और आगे सोच कर सदन के समक्ष बात रखें...

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order Order please ; ! माननीय सदस्य श्री गोयल ! मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप स्थान ग्रहण करें।

श्री मानिकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, इस सारे शोरगुल में हमने नहीं सुना कि आपने क्या कहा।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने माननीय श्री हरिराम, श्री ढ़ावरिया और श्री मुरलीधर व्यास से बार बार निवेदन किया पर उन्होने नहीं माना, इसलिए मैंने उनको नेम किया और उनको आज की कार्यवाही से निलम्बित किया।

श्री उमरावसिंह ढावरिया : किस रूल के तहत कैसे, किसने प्रस्ताव रखा है, मुझे आवाज देकर कहा कहा क्या कि आप मत बोलिये, बैठ जाइये और मैं नहीं बैठा ?

श्री उपाध्यक्ष : मैंने यह कहा था, आप नहीं बैठे।

(शोरगुल)

(कुछ माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री राधाकृष्ण गोयल : हमने सदन की व्यवस्था का प्रश्न उठाया है....

श्री उमरावसिंह ढ़ावरिया : जो गलत काम कर रहे हैं, उनको हम बाहर निकालने को कहते हैं तो उनको मंत्री महोदय को तो निकालते नहीं.......

श्री हरिराम चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, आपने हमको वार्निंग नहीं दी, आपने नाम लिया तभी हम सीट पर बैठ गये।

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रकार सदन की कार्यवाही नहीं चल सकती।

(शोरगुल)

Order please !

श्री मानसिंह महार (आमेर) : On a point of order sir.........

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : आन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, किन्हीं माननीय सदस्य को निलम्बित करने से पहले चेयर पर जो आसीन हों वे पहले कहेंगे कि बैठ जायें, उस पर भी नहीं बैठे तो नाम लेकर कहेंगे कि वे अपने आपको सदन से विथड्रा करें। इसकी भी माननीय सदस्य अवहेलना करें तो फिर निलम्बित किया जाता है। जब तक यह सब नहीं कहें तब तक निलंबित करने का प्रश्न नहीं उठता।

(शोरगुल)

आपने आदेश नहीं दिया कि सदन से बाहर चले जावें।

श्री उपाध्यक्ष : २६१ विथड्रावल और सस्पेन्शन का है, २६२ सस्पेन्शन का। Name करके ही मैंने प्रस्ताव रखा था........

श्री नत्थीसिंह : प्रस्ताव पर वोटिंग ही नहीं हुआ, वोट देने का हमारा हक है, यह प्रस्ताव तो हाउस करेगा।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : आपने प्रस्ताव रखा है और 'हां', 'ना' करवाया है, सारी कार्यवाही हुई है।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : यह गलत है........

(शोरगुल)

श्री नत्थीसिंह : यह नहीं कहा गया आपने Name किया तो बैठ गये।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : आपने नाम लिया और मैं बैठ गया, मैंने खिलाफत क्या की ?

(शोरगुल)

इस तरह कार्यवाही चलाना चाहते हैं,

श्री राधाकृष्ण गोयल : अभी आकर कार्यवाही देख लीजिये, मैंने नहीं सुना।

श्री उपाध्यक्ष : यदि हाउस की यह इच्छा है कि आज हाउस की कार्यवाही नहीं करना चाहते तो माननीय सदस्य मुझे क्षमा करते हुए यह आश्वासन देंगे कि कल जो आज की हमारी कार्यवाही है उसको समाप्त करेंगे....

श्री राधाकृष्ण गोयल : हम अवश्य कर देंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : यह आश्वासन कल भी दिया था, पहले भी दिया था.......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : हम पूर्ण सहयोग देंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह कॉओपरेशन है देख लीजिये....

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : आप सहयोग सदन से चाहते हैं वह सहयोग सदन देने को तैयार है, यदि आप हमारी एक भी बात को नहीं मानेंगे तो हम आपकी २० बात नहीं मानेंगे, आप हमारी एक बात मानेंगे तो हम आपकी २० बात मानेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : मैं केवल इतना ही अर्ज करना चाहता हूँ....

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह आपका सहयोग है कि इस बात पर ४ बज चुके हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : हम जब वाक आउट करना चाहते हैं तो उससे पहले अपनी बात रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि आज की कार्यवही स्थगित कर दी जाय। उस तरफ बैठने वाले माननीय सदस्य अगर इससे सहमत हो गये हैं तो कल जितनी देर सदन चलाना चाहेंगे, जितने बिल पास करना चाहेंगे, करेंगे....

श्री राधाकृष्ण गोयल : कार्यवाही आज स्थगित कर दी जाय कल बिल ले लिये जायं।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, कल बिजनेस एड्वाइजरी कमेटी में हमने आश्वासन दिया है

श्री उपाध्यक्ष : मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि हाउस की यह राय है कि आज कार्य नहीं किया जाय तो कल के लिये स्थगित करना है पर मैं इसमें इतना ही आश्वासन चाहता हूँ कि स्थगन प्रस्ताव भी आयेंगे, ३ बिल भी हैं, यदि माननीय सदस्य तैयार हों कि रात के १२ बजे तक भी बैठेंगे....

श्री रघुनाथ विश्नोई : रात को बैठने का सवाल नहीं, ५ बजे के समय तक कार्यवाही पूरी करने का आश्वासन देते हैं तो ठीक है........

श्री उपाध्यक्ष : मैं सदन की कार्यवाही २० मिनट के लिये स्थगित करता हूँ ताकि सदन के सदस्य इस विषय पर विचार कर ले।

(४. म. प.)

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही ४ बज कर २० मिनट के लिये स्थगित हुई।)

(४.२५ म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : सदन की भावना का खयाल करते हुए और इस विश्वास के साथ कि जो इन दो दिनों में कार्यवाही रुकी हुई है वह कल पूरी कर दी जावेगी, मैं आज की **बैठक** को कल प्रात- ११ बजे तक के लिए स्थगित करता हूं।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही ४.२६ मिनट पर बुधवार दिनांक २१ सितम्बर १९६६ के प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

———

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६२ का उत्तर देखिये)

विवरण

जिला अलवर के २६ बस्तियों का सन् ६५–६६ में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विद्युतीकरण कर दिया गया था इसके अतिरिक्त निम्नलिखित तीन गांवों का भी एल० टी० एक्स्टेंशन से विद्युतीकरण कर दिया गया है।

(१) अजीजपुरा (२) मीर का (३) बसईकला

अलवर, राजगढ़ लाइन इस समय ११ के० वी० पर चालू की गई है।

परिशिष्ट २

(समयाभाव के कारण प्रश्न समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

सांचोर में विद्युतिकरण योजना के अन्तर्गत कार्य

१०८. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर)– क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(१) क्या यह सत्य है कि सांचोर में ग्रामीण विद्युतिकरण योजना के अन्तर्गत बिजली का कार्य करीब करीब सम्पूर्ण हो चुका है ? अगर हां, तो वास्तव में बिजली सप्लाई कब तक शुरू कर दी जावेगी ?

(२) क्या यह सत्य है कि सांचोर पंचायत द्वारा रोड लाइट का कार्य काफी अर्से पहिले किया जा चुका है ?

(३) यदि हाँ तो उपरोक्त रोड लाइट का चार्ज कब तक ले लिया जावेगा ताकि उसी लाईन पर रोशनी शीघ्र दी जा सके।

उत्तर

(१) जी नहीं। कार्य पूर्ण होने पर।

(२) जी हां।

(३) ग्राम में विद्युतिकरण, जिसकी दो तीन माह में पूर्ण होने की आशा है, के पश्चात् लिया जाना संभव है।

अलवर जिले के छात्रावास

१०९. श्री गोकुल चन्द (कठूमर (सु.) क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(१) अलवर जिले में कुल कितने छात्रावास अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लिये हैं ?

(२) अनुसूचित जाति के छात्रावासों में कितने स्थान हैं और अनुसूचित जन जाति के छात्रावासों में कितने स्थान हैं ?

(३) क्या यह सही है कि गत वर्ष अनुसूचित जाति के छात्रावासों में ५ स्थान बढाये गये थे ? यदि हां, तो क्या यह एक ही वर्ष के लिए बढाये गये थे। इस वर्ष उन पांच स्थानों को कम कर देने का क्या कारण है ?

(४) चालू वर्ष में इन छात्रावासों में कितने छात्रों ने प्रवेश पाने के लिए आवेदन फार्म पेश किये थे ? उनमें से कितनों को प्रवेश दिया गया और कितने वंचित रहे- प्रत्येक छात्रावास का ब्यौरा अलग अलग दिया जावे ?

(५) जो छात्र प्रवेश पाने से वंचित रहे, क्या उनकी छात्रवृति अनिवार्य रूप से दी जा सकेगी ?

(श्री समाज कल्याण मंत्री)

उत्तर

(१) अलवर जिले में अनुसूचित जाति का एक तथा अनुसूचित जनजाति के दो छात्रावास हैं।

(२) अनुसूचित जाति छात्रावास में स्वीकृत संख्या ५० है। अलवर शहर में स्थित अनुसूचित जनजाति छात्रावास की स्वीकृत संख्या ४० और राजगढ स्थित छात्रावास की स्वीकृत संख्या ३० है।

(३) जी हां केवल गत वर्ष के लिये अलवर स्थित अनुसूचित जाति छात्रावास ने स्वीकृत संख्या ५० के अतिरिक्त ५ स्थान और बढाये गये थे।

(४) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(५) जी नहीं।

सूची

अलवर जिले में प्रवेश के लिये प्राप्त हुए आवेदन पत्रों की सूची:-

क्र० सं० नाम छात्रावास	कुल आवेदन पत्रों की संख्या	स्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या	प्रवेश पाने से वंचित आवेदन पत्रों की संख्या
१. अनुसूचित जाति छात्रावास	६१	५१	४०
२. अनुसूचित जनजाति छात्रावास राजगढ़	७३	३२	४३
३. अनुसूचित जाति छात्रावास अलवर	४३	४६	२

राजस्थान में राजकीय उद्योग

११० श्री रामकिशन (वैर) क्या राजकीय उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में कुल कितने राजकीय उद्योग हैं और कहां कहां हैं? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) इन उद्योगों में कुल कितनी पूंजी लगी है और उनसे कितना नफा या नुकसान होता है? कृपया उद्योगों की तफसील अलग अलग दें।

(श्री राजकीय उद्योग मंत्री)

उत्तर

राजकीय उद्योग निम्न लिखित हैं ।

१–कोयला खान, पलाना ।

२–गंगानगर शुगर मिल्स, गंगानगर ।

३–हाई टैंक ग्लास फैक्ट्री, धौलपुर ।

४–लवण उद्योग डीडवाना, पचपदरा ।

५–सोडियम सल्फेट, डीडवाना ।

उपरोक्त उद्योगों में जो पूंजी और उनका नफा नुकसान हुआ है ये संलग्न सूची में दिया गया है ।

सूची

गंगानगर शुगर मिल्स

(१) प्राप्त हुई पूंजी

(i) राजस्थान सरकार के शेयर्स	१८,२३०५०
(ii) पब्लिक के शेयर्स	७,१४७५०
योग	२५,३७,८००

१९६४–६५ में लाभ रहा ५,२५,५२४

(२) सोडियम सल्फेट प्लांट डीडवाना

कुल उद्योग में ३६,४३,७०१ रुपये लग चुके हैं । सन् १९६५–६६ में ७,७१,९७१ का माल बेचा गया और ५,०३,२७९ रुपये व्यय ३५–उद्योग के अन्तर्गत खर्च किया गया ।

(३) लवण उद्योग

	पूंजी	लाभ ६४–६५
(i) पचपदरा लवण उद्योग	३,९१,३२७	१८,६९६
(ii) डीडवाना " "	१,०५,९६४	४९१,३५१
(iii) ओडियम सल्फेट	१,१३,५३०	२८,६२५

(४) हाईटैंक ग्लास फैक्ट्री धौलपुर

सरकारी पूंजी	७,६०,०००
प्राइवेट "	१ ५,१७५
योग	७,६५,१७५

हानि

१९६३	३,४४७,०४
१९६४–६५	२,७७,२००,११
१९६५–६६	३,४२,५३५,१५

(राजकीय उद्योगमंत्री)

(५) कोयला खान पलाना

यह खान नुकसान में जा रही है।

	६३–६४	६४–६५
Exp,	६,५६,७०४	६,०३,६४०
Rev.	२,६१,४७०	६५,३००
हानि	३६८२३४	५,०८६४०

जोधपुर शहर में बिजली बन्द रहने की जांच

१११. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे:—

(१) पिछले एक महिने में जोधपुर शहर में बिजली कुल कितनी बार व कितने समय के लिये बंद रही है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) क्या यह सही है कि बिजली बहुत अधिक बार फेल हुई है? यदि हां. तो बिजली के इतने अधिक बार फेल होने के कारणों की क्या कोई जांच की गई है? यदि हां तो राज्य सरकार इस पर क्या कदम उठा रही है?

उत्तर

(१) जुलाई १९६६ में जोधपुर के सारे शहर में तो एक साथ बिजली केवल एक ही बार २० मिनट के लिए तारिख १८-७-६६ को ८–१० से ८–३० मिनट तक बन्द रही। भिन्न भिन्न भागों में अलग-अलग समय पर जब बिजली बन्द रही, उसकी तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी नहीं, सारे शहर में एक साथ बिजली केवल एक बार बन्द हुई है। अधिक बार नहीं। शहर के विभिन्न भागों में समय समय पर जो बिजली बन्द रही, उनका पूर्ण विश्लेषण करने पर पता चला है कि माह जुलाई में केवल ९ बार सर्वत्र अथवा बायलर आदि में खराबी होने के कारण बिजली बन्द रही। बिजली बन्द करने का दूसरा कारण प्लान्ट पर अत्याधिक भार आ जाना अथवा पावर हाउस एवं लाइन पर कार्य करना था।

तीसरा कारण समस्त लाइनों में प्राकृतिक कारणों से वर्षा, तूफान, बिजली गिरना से खराब होना आदि आदि इन तीनों कारणों में अधिकतर प्राकृतिक कारणों से बिजली बन्द रही है जिस पर कोई काबू नहीं है। जैसे जब बिजली बन्द हुई तब सब ही विभागीय कर्मचारियों ने शीघ्रातिशिघ्र जाँच करके प्लांट को लगाया और उसे दूर किया।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखीगई)

ग्राम सेवा सहकारी समिति महादेवा (जिला पाली) में गबन

११२. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : (कोटा) क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे–

[श्री कृष्णकुमार गोयल)

क्या यह सही है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति महादेवा, जिला पाली में गबन व भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायत विभाग को की गई है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

जी हां । विभाग द्वारा जांच की जा चुकी है, तथा राजस्थान सहकारी अधिनियम १६६५ की धारा ७४ के तहत वसूली की कार्यवाही चल रही है ।

योग्यता सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

११३. **श्री भैरवलाल 'कालाबादल'** (अकलेरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के कुछ अधिकारियों ने अपन योग्यता के सम्बन्ध में झूठे प्रमाण पत्र पेश किये हैं ?

(२) यदि हां, तो उनके नाम बताये जावें और सरकार ने ऐसे अधिकारियों के बारे ये क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(१) इस विभाग के किसी आफिसर द्वारा अपनी योग्यता का झूठा प्रमाण पत्र पेश करने का मामला इस विभाग की जानकारी में नहीं है ।

(२) प्रश्न नही उठता ।

अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रावास का खर्चा

१४४. **श्री रावतराम** (सादूलपुर) : क्या समाज कल्याण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार ने यह निश्चय किया है कि अनुसूचित जाति के उन छात्रों को जो प्रावधिक शिक्षा एवं बड़ी कोलेजों में अध्ययन कर रहे है, उन्हें कोलेज होस्टल का पूरा खर्च देकर कोलेज होस्टल में ही रखा जावे ताकि उनकी शिक्षा स्तर ऊंचा उठ सके ? यदि हां, तो यह निश्चय कब से कार्यान्वित होगा और कहां २ कितने कोलेज होस्टल्स में स्थान सुरक्षित किये गये हैं ?

उत्तर

जी हां । निर्णय शीघ्र लागू करने के आदेश दे दिये गये हैं । नियमानुसार स्थान तो ५ प्रतिशत सुरक्षित हैं किन्तु जिला समाज कल्याण अधिकारियों को समस्त संस्थाओं के अध्यक्षों में सम्पर्क स्थापित कर यथा संभव अधिकाधिक छात्रों को संस्थाओं से संलग्न छात्रावासों में भरती कराने के निर्देश दिये गये है ।

जयपुर नगर में सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर व्यय

११५. **श्री दुर्गालाल बादवार** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सार्वजनिक निर्माण कार्यों हेतु जयपुर नगर में सन् १६६४-६५ तथा १६६५-६६ में कितना रुपया व्यय किया गया और क्या २ निर्माण कार्य किया गया ?

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

(२) उपरोक्त निर्माण कार्यों पर व्यय की गई धनराशि में से कितना रुपया राज्य सरकार का था और कितना रुपया केन्द्र द्वारा किया गया था ?

उत्तर

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

ग्राम इटावा के छात्रावास में रजाइयां आदि की व्यवस्था

११६ **श्री लक्ष्मीचन्द** (पीपलदा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि तहसील पीपल्दा के ग्राम इटावा के राजकीय छात्रावास में रजाइयों व गदेलों की कमी हैं ?

(२) इस छात्रावास में कितनी रजाइयों और गदेले उपलब्ध हैं ?

(३) क्या यह सही कि छात्रावास में उपरोक्त कमी को दूर करने के लिये समाज कल्याण अधिकारी कोटा को प्रार्थना की गई हैं ? यदि हां, तो कितनी रजाइयों व गदेलों की स्वीकृति दी गई है ? यदि स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी नहीं ।

(२) इस छात्रावास में ४० छात्रों के लिये प्रत्येक के लिए एक गदेला है । इस छात्रावास में १५ रजाईयां और ५३ कम्बल है (प्रत्येक छात्रों को एक रजाई या दो कम्बल दिये जाते है इस प्रकार १५ छात्रों के लिए रजाईयां और शेष २५ छात्रों को प्रत्येक के लिए दो कम्बलें की दर से स्टोक में पूरी सामग्री है ।

(३) प्रश्न नहीं उठता ।

गंगानगर शुगर मिल्स

११७. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या राजकीय उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) गंगानगर शुगर मिल्स, गंगानगर, राजस्थान में कुल कितनी पूंजी लगी है और उस उद्योग में कितना नफा या नुकसान शुरू से अब तक हुआ है ?

(२) इस उद्योग में मजदूर कितने और प्रबन्धक स्टॉफ में कितने लोग हैं ?

(३) मजदूरों को प्रति वर्ष दी जाने वाली कुल रकम कितनी है और प्रबन्धक स्टॉफ की तनख्वाह, भत्ता व अन्य खर्चा कुल कितना है ?

उत्तर

(१) गंगानगर शुगर मिल्स में पेड़ अप केपिटल २५,३७,८००) रु० है । लाभ हानि के आंकड़े तालिका में दिये गये हैं जो संलग्न है ।

(२) मजदूरों की संख्या ११७४

देखभाल करने वाला स्टॉफ ३६८

वार्षिक मजदूरों का वेतन ११,१५४,३३,४०

और वार्षिक स्टाफ का वेतन ६,८५,८८५,०४

(३) स्टाफ का और मजदूरों के वेतन अनुपात निम्न प्रकार से है :–

$$\frac{११'७४,\ ३६५ + ३.११९\ ।\quad ११,\ १५४३३.४०}{६,\ ६५,\ ८८५.\ ०४} = १.\ ६।२ः\ १$$

सूची

THE GANGANAGAR SUGAR MILLS LTD. JAIPUR

(A RAJASRHAN GOVERNMENT CONTROLLED UNDERTAKING)

Statement showing yearly Profit/Loss from 1945-46 to 1964-65.

Year	Profit	Loss
1945-46		15,463-94
1946-47		1,57,414-15
1947-48	22,538-48	
1948-49		15,480-35
1949-50		4,33,551-23
1950-51		2,94,053-10
1951-52	84,314-87	
1952-53	26,583-05	
1953-54		1,27,438-59
1954-55	1.49,803-10	
1955-56	1,27,413-96	
1956-57	1 34,999-74	
1957-58	8,62,347-83	
1958-59	2.79,326-28	
1969-60	5,93,623-77	
1960-61	4,68,874-39	
1961-62	1,43.745-26	
1962-63	47,637-00	
1963-64		3,36,074-00
1964-65	5,25,524-00	

अलवर जिले में काश्तकारों को रात्रि के समय दी जाने वाली बिजली

११८. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(१) क्या यह सही है कि अलवर जिले में बहुत से किसानों को बिजली खेती के लिये रात के समय दी गई है और पूरी सर्दी में वही रात का समय रखा गया था ?

(२) क्या यह सही है कि किसानों ने यह शिकायतें की हैं कि रात को सर्दी के मौसम में खुले मैदान में पानी मोड़ना बहुत कठिन है और इसलिए बहुत से किसान उस पानी का उपयोग नहीं कर सकते ?

(३) क्या सरकार यह आदेश देगी कि किसानों को बिजली दिन के लिए ही दी जावेगी ?

उत्तर

(१) जी नहीं। अलवर क्षेत्र को २ भागों में विभाजित करके एक को प्रातःकाल ६ से १२ तक और दूसरे क्षेत्र को १२ से ६ बजे श्याम तक विद्युत् वितरण की योजना जिलाधीश के सम्पर्क से बनाई गई थी। रात्रि को पानी लेना न लेना किसानों की इच्छा पर था।

(२) जी नहीं ? किसानों ने कोई सम्पर्क नहीं किया।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम गुहाला में सहकारी समिति

११९. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(१) क्या ग्राम पंचायत गुहाला, तहत पंचायत समिति नीम का थाना के अन्तर्गत ग्राम गुहाला में कोई सहकारी समिति है ? अगर हां, तो कब से ?

(२) क्या वहां पर २५ सितम्बर, १९६४ को कोई चुनाव उक्त समिति के पदाधिकारियों के कराये गये ? अगर हां, तो इस हेतु सूचना किस दिन किस सम्बन्धित अधिकारी ने मतदाताओं को दी ?

(३) क्या यह सही है कि इस चुनाव के संबंध में नीम का थाना पंचायत समिति के विकास अधिकारी ने कोई दिर्नेश दिया था। अगर हां, तो क्या ? और किन प्राव-धानों के अन्तर्गत ?

(४) क्या कानूनन ऐसे सहकारी समिति के सदस्य जिनमें पूंजी के हिस्से की रकम बकाया हो, मतदान के अधिकारी हैं ? अगर नहीं, तो कितने ऐसे लोगों ने मतदान में भाग लिया और क्यों कर उन्हें मतदान में भाग लेने दिया गया।

उत्तर

(१) जी हां, ग्राम गुहाला में ग्राम सेवा सहकारी समिति लि० गुहाला का रजिस्ट्रेशन १० फरवरी सन् १९५८ को हुआ।

(२) जी हां, जो चुनाव दिनांक २५-९-६४ को हुआ उसके सम्बन्ध में कोई वैज्ञानिक सूचना किसी ने भी मतदाताओं को नहीं दी।

(३) जी हां, विकास अधिकारी पंचायत समिति नीमकाथाना ने सहकारी प्रसार अधिकारी की तारीख २४-९-६४ को निर्देश किया था कि वे अपने समक्ष नयी कार्यकारिणी का चुनाव कराकर एक सप्ताह में रिपोर्ट पेश करें। विकास अधिकारी को ऐसा निर्देश करने का कानूनन कोई अधिकार नहीं था।

(४) समिति के उप नियमानुसार प्रत्येक सदस्य को कम से कम एक हिस्सा पूर्ण रूप से प्रारम्भ में क्रय करना आवश्यक है जिसका मुल्य १०) रु० है और कोई भी सदस्य उस समय तक वोट देने का अधिकारी नहीं है जब तक वह एक हिस्से की रकम चूकतीं नहीं करदे। परन्तु यह पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता कि तारीख २५-९-६४ को हुए चुनाव में भाग लेने वाले कितने ऐसे सदस्य थे जिन्होंने पूर्ण हिस्सा राशि क्रय करके सदस्यता के अधिकार प्राप्त नहीं किये थे क्योंकि समिति का कुछ रिकॉर्ड जिससे यह जानकारी मिल सकती है समिति के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री विहारीलाल जोशी के पास है और उन्होंने नई प्रबन्धकारिणी को उसे नहीं सम्भलवाया है। रेकार्ड प्राप्त करने के लिए राजस्थान सहकारी अधिनियम १९६५ को धारा ३७ के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

खानपुर में बिजली

१२०. **श्री प्रभूलाल सैंटर** (खानपुर): क्या विद्युत मन्त्री यह वताने की कृपा करेंगे:-

(१) खानपुर, जिला झालावाड़ को कब तक विजली उपलब्ध हो सकेगी ?

(२) वर्ष १९६५-६६ व १९६६-६७ के बजट प्रावधानों के अनुसार खानपुर में कितने मील तक बिजली पहुँचाने की स्वीकृति है ?

(३) उपरोक्त वर्षों में कितना काम हो चुका है तथा बाकी कब तक पूरा हो जावेगा ?

(४) क्या यह सही है कि पंचायत समिति खानपुर ने जल्दी से जल्दी खानपुर में बिजली पहुंचे इसके लिए विद्युत् बोर्ड को चालीस हजार रुपया ऋण दिया है। यदि हां, तो इस कार्य में देर लगने का क्या कारण है ?

उत्तर

(१) इस वित्तीय वर्ष में बिजली उपलब्ध होने की आशा है।

(२) सन् १९६५-६६ की योजना के अनुसार ४·६ लाख रुपयों की लागत पर २० मील दूर के० वी० की लाइन खींचने की योजना थी।

(३) कार्य प्रारम्भ हो चुका है। पोल गाड दिये गये हैं और इस कार्य के मार्च ६७ तक पूर्ण हो जाने की संभावना है।

(४) यह सत्य है। २० मील लम्बी लाइन खेंचने में कुछ समय अवश्य लगता है। इस वित्तीय वर्ष में इस कार्य का पूरा करने की पूरी सम्भावना है।

परिशिष्ट ३

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या २२ का उत्तर देखिये)

सूची

जिलानुसार प्रति व्यक्ति व्यय

जिला	प्रति व्यक्ति व्यय			
	१९६१–६२	१९६२–६३	१९६३–६४	१९६४–६५
१. अजमेर	८.३७	१२.५०	८.३०	९.५६
२. अलवर	५.६९	५.५६	५.४७	६.६९
३. बांसवाड़ा	८.११	८.२४	९.२८	१०.१७
४. बाड़मेर	४.१२	५.०२	५.८३	६.७६
५. भरतपुर	४.८४	४.३०	६.३०	१३.०१
६. भीलवाड़ा	६.८०	५.१४	७.६३	९.६२
७. बीकानेर	१७.५०	१७.०४	१५.१६	११.९२
८. बून्दी	२१.०७	१६.८८	३०.४७	२९.०९
९. चित्तौड़गढ़	८.६६	१०.२९	११.०३	११.६५
१०. चूरू	५.९४	५.७५	५.५३	५.८६
११. डूंगरपुर	७.५०	६.०७	९.५१	१०.१४
१२. गंगानगर	१६.२८	१०.६१	९.३२	१५.३७
१३. जयपुर	९.४३	१०.२२	१०.१८	१४.१९
१४. जैसलमेर	६.७९	६.२९	१४.५६	११.२३

१	२	३	४	५
१५. जालौर	४.३९	३.८६	५.२३	६.७१
१६. झालावाड़	७.६५	७.५९	९.३४	९.८९
१७. झुनझुनू	४.८६	४.५०	५.९४	७.५८
१८. जोधपुर	९.६२	९.११	९.००	१४.३२
१९. कोटा	२१.१५	२५.७२	२५.५१	२३.०९
२०. नागौर	५.३६	४.८९	५.९६	७.०६
२१. पाली	८.२६	८.२२	९.१८	११.२१
२२. सवाई माधोपुर	४.५३	५.०३	४.९८	५.८६
२३. सीकर	५.१३	५.२०	४.७१	६ ०६
२४. सिरोही	१२.८६	११.१७	१२.३५	१२.५१
२५. टोंक	८.०४	६.७५	६.६९	७.३५
२६. उदयपुर	९.६५	१०.३४	११.९५	१३.२६
योग:—	१४.८०	१८.१२	१८.८१	२३.७४

नोट:—१९६१–६२, १९६२–६३ व १९६३–६४ के आंकड़े योजना प्रगति प्रतिवेदन १९६३–६४ में प्रकाशित व्यय के आधार पर है।

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, दिनांक २० सितम्बर, १९६६)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	१५	करेगे	करेंगे
२	अन्तिम से ७	विल्कुल	बिल्कुल
४	६	धाटी	घाटा
,,	४	आबाद	आबाद
,,	८	यादय) :	यादव):
५	२	जमातपुरा	जमालपुरा
,,	अन्तिम से ४	विजली	बिजली
७	१७	आपकी	आपकी
८	१	श्रो	श्री
,,	७	श्री घासोराम	श्री घासीराम
,,	१०	प्रिकाशन्स	प्रिकॉशन्स
,,	१५	श्री रामनन्द	श्री रामानन्द
,,	२२	विजली	बिजली
१०	४	यादव) (१)	यादव) : (१)
,,	११	(निवाई)	(निवाई) :
११	अन्तिम से २	हाता	होता
१४	१३	कव	कब
१५	२	आॉफिसर	ऑफिसर
,,	४	मैं	में
१६	अन्तिम से ७	काभ	काम
१७	शीर्षक	ताराकित	तारांकित
१८	२	व्यवस्था	व्यवस्था
,,		श्री मैरोंसिह	श्री भैरोंसिंह
,,	२३	चार्जज	चार्जेज

१	२	३	४
१८	अन्तिम से २	टेक्निकल	टेक्निकल
१६	१६	और	और
२०	११	कम	कम
,,	१३	स्लम्स	स्लॅम्स
२३	अन्तिम से ३	वाकाई	वाकई
२४	२	बूरे	बुरे
२७	अन्तिम से ४	कानून अवहेलना	कानून की अवहेलना
,,	अन्तिम	अपसान	अपमान
२८	६	वैद :	वैद) :
,,	२३	माननीम	माननीय
२६	४	जरुर	जरूर
,,	४	मैने	मैंने
३०	अन्तिम से ६	श्री भंवरलाल	श्री भैंरवलाल
३२	१६	रोस्पोन्डिग	कोरस्पोन्डिग
,,	अन्तिम	ज्यों हि	ज्योंही
३८	१६	हैं ? उनकी	हैं उनको
४३	१०	कर्त्तव्य	कर्त्तव्य
४४	अन्तिम से ८	भीलबाड़ा	भीलवाड़ा
,,	,, ६	हैं वे लेकिन	हैं लेकिन
४६	६	टेकेदार	ठेकेदार
४६	१२	राजकीय उप मंत्री	राजकीय उपक्रम मंत्री
,,	१६	सरकार टैक्सटाइल	सरकार ने टैक्सटाइल
५०	१	को	का
५१-५२	शीर्षक	–२० सितम्बर,–	–२० सितम्बर, ६६–
५२	२३	पाजीशन	पोजीशन
५३	६	फर्मो	फर्मों
,,	११	रार्यटिग	राईटिंग
५४	२०	बम्बई रामगंज मंडी	बम्बई ने रामगंज मंडी
,,	अन्तिम से ३	(प्रश्न संख्या १०५)	प्रश्न संख्या १०५
५६	१	केअ्रा नुसार	के अनुसार

१	२	३	४
५६	२	हूं।	है।
,,	१८	in present.	is present.
६१	१३	श्री उपाध्यक्ष :	श्री अध्यक्ष :
६५	१६	हे	है
७०	१३	रड़ाडा	सराड़ा
७२	११	वषों	वर्षो
७३	१६–१७	: (उपमन्त्री, राजस्व) :	(उप-मन्त्री, राजस्व) :
,,	२०	अधिसूचना	अधिसूचना
७४	५	हे	है
,,	७	(स्वीकत)	(स्वीकृत)
७५	७	हुग्रा	हुआ
७७	२३	कि	कि
,,	अन्तिम से ४	ग्रौर	और
,,	,, ३	ज्याद	ज्यादा
७८	६	है,	है,
,,	२०	रिपोर्ट	रिपार्ट
,,	अन्तिम से ६	सुचित	सूचित
७६	शीर्षक	ग्रकाज	अकाल
८०	१०,१२ व १४	माइलों	माइलो
,,	१७	व्यवस्था	व्यवस्था
६०	२५	जिलाधींश	जिलाधीश
६१	२	शीघ्रनिशीघ्र	शीघ्रतिशीघ्र
६२	५	सव	सब
,,	११	गौर	गौर
६३	अन्तिम से ८	उन्हौने	उन्होंने
६५	१६	डिपार्टमेम्ट्स	डिपार्टमेन्ट्स
६७	७	प्रोजेल्ट	प्रोजेक्ट
६८	१३	ये	थे
६६	१४	प्रोंजेक्ट	प्रोजेक्ट
,,	अन्तिम से ५	कूछ	कुछ

१	२	३	४
१०१	१५	श्रोर	श्रोर
,,	१७	श्री श्रध्यक्ष	श्री श्रध्यक्ष
१०३	५	भांगने	मांगने
१०५	१६	श्रपराधो	श्रपराधी
१०६	३	इकठ्ठा	इकट्ठा
१०७	१	कागरिकों	नागरिकों
,,	१०	सर्तकता	सतर्कता
१०६	शीर्ष	(श्री कृष्णक्रमार	(श्री कृष्णकुमार
१११	२२	इकट्ठा	इकट्ठा
,,	श्रन्तिम से २	गहोदय	महोदय
,,	श्रन्तिम	फ्रर्माया	फर्माया
११३	२	एन्यवायरी	एन्क्वायरी
११४	२	एवेटमैंट	एवेटमेन्ट
,,	२३	लूंगा	लूंगा
,,	श्रन्तिम से ११	कृष्णकुमार गोयल :	श्री कृष्णकुमार गोयल :
११५	,, ६	पंचायत	पंचायत
११७	,, ५	मै स्वयं देखूंगा	मैं स्वयं देखूंगा
११८	३	उतर	उत्तर
,,	४	मै	मैं
१२६	२	मॉगें	मांगें
,,	४	विद्याधियों	विद्यार्थियों
,,	श्रन्तिम से ७	निवेढन	निवेदन
१३०	१२ व १६	स्टुडेन्ट्स	स्टूडेन्ट्स
१३१	१५	,,	,,
,,	१५	लाँ	लॉ
,,	श्रन्तिम से ५	संवंध	संबंध
१३२	३	लाँ	लॉ
,,	७	श्री निरन्जनाथ	श्री निरन्जननाथ
,,	१३	कालेज	कॉलेज
,,	१६	श्रातॉ	श्राता

१	२	३	४
१३७-१३८	शीर्षक	पत्र प्रतिनिधियों के-२० सितम्बर, ६६-बहिष्कार संबंधी-स्थगन प्रस्ताव	लॉ कालेज के संबंधी २० सितम्बर, ६६-पत्र प्रतिनिधियों सम्बन्धी
१३८	४	वाद	बाद
,,	११	ाँ	कहां
१३९	अन्तिम से ८	नहों	नहीं
१४२	२	व्यवस्था	व्यवस्था
,,	७	मैं मी	मैं भी
१४३	४	निदेंश	निर्देश
१४५	१	वड़ा	बड़ा
,,	१६	हे	है
१४७	१६	ड़िवेट	डिबेट
१४९	अन्तिम से २	क्रियाशील	क्रियाशिथिल
१५०	,, ६	जल्दवाजी	जल्दबाजी
१५१	,, ४	श्री अदुब्दुल	श्री अब्दुल
१५२	,, ६	Order ! please	Order please !
१५८	६	भेजा	भेज
१५९	अन्तिम से १४	संचालत	संचालन
,,	,, ५	स्तरी	सारी
१६०	२	मदस्य	सदस्य
,,	अन्तिम से ४	(व्यवधान) (अश्रव्य)	(व्यवधान-अश्रव्य)
१६१	४	मानीय	माननीय
,,	६	के बीच	के बीच)
१६२	अन्तिम से २	िया	लिया
१६५	शीर्ष		(श्री मानिकचन्द सुराणा)
१६७	अन्तिम से १२	अरितयार	अख्तियार
१७३	१२	आपाके	आपके
१७४	११	ढावरिा	ढांबरिया
१७५	अन्तिम से ११	यहॅ	यहां
१७७	अन्तिम से ६	श्री उपाध्यक्ष I wonld	श्री उपाध्यक्ष : I would

१	२	३	४
१७६	७	exqunged	expunged
१८१	अन्तिम से ३	घा	या
१८२	,, २	Houes.	House.
१८३	,, ८	fधान	विधान
,,	,, ५	वर्त्तव्य कि	कर्त्तव्य है कि
१८४	,, ११	त्यवस्था	व्यवस्था
,,	,, ५	वहिगमन	वहिर्गमन
१८८	६	स्टोंगली	स्ट्रोंगली
,,	अन्तिम से ६	गिरधारीलाल	गिरधारीलाल
१६०	१४	order	order, ...
१६१	१	proceedinge.	proceedings.
,,	१४	श्री उपायक्ष	श्री उपाध्यक्ष
,	१६	में	मैं
,,	अन्तिम से ५	होंऊंगा	होऊंगा
,,	,, ४	दिजिये....	दीजिये
,,	,, ३	श्री मुरलीधर व्यास	----
१६२	४-५	परपरा	परम्परा
,,	१०	व्यति	व्यक्ति
	अन्तिम से ५	श्री उपाध्यक्ष	श्री उपाध्यक्ष
,,	,, ४	चाहता	चाहता ...
१६३	७	nol	not
,,	अन्तिम से १२	मुझ	मुझे
,,	,,	वाक-आउने	वाक-आउट
,,	,, २	Sir,........	information, Sir,
१६४	५	श्री उपाध्यक्ष	श्री उपाध्यक्ष :
,,	१७	मॉग की है कि	मांग की है कि....
,,	अन्तिम से ६	श्री उपाध्यक्ष	श्री उपाध्यक्ष :
१६५	१२	दगे ।	देंगे ।
१६६	४	कान्सटीयुशन	कॉन्स्टीट्यूशन
१६६	८	Order	Order !

१	२	३	४
१६६	अन्तिम से ७	देकर कहा कहा	देकर कहा
२०२	शीर्षक	वाद विवाह	वाद-विवाद
२०७	५	श्री रघूनाथ	श्री रघुनाथ
२०८	४	(कह्वमर (सु०)	(कह्वमर–सु०)
२१४	अन्तिम से १३	ख़राब़	ख़राब
,,	,, ६	शीघ्रातिशिघ्र	शीघ्रातिशीघ्र
२१५	,, १४	अपन	अपनी
,,	,, ६	बारे ये	बारे में
२१६	१	१४४	११४.
,,	१०	कव से	कब से
२१७	४	किया गया	दिया गया
,,	१५	रजाइयों	रजाइयां
,,	अन्तिम से २	(प्रत्येक	प्रत्येक
२२४	१२	दिर्नेश	निर्देश
२२५	अन्तिम से ७	को धारा	की धारा